अध्याय 4

स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं, औषधियों एवं उपकरणों की उपलब्धता

मुख्य अंश

- वर्ष 2016–22 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (विभाग) ने ₹ 3,753.18 करोड़ मूल्य की दवाएं, औषधियाँ एवं उपकरण क्रय किए थे। छत्तीसगढ़ शासन ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत दवाओं, औषधियों एवं उपकरणों की सभी क्रय एवं आपूर्ति के लिए एक केन्द्रीकृत नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) की स्थापना (2010) की थी।

- स्वास्थ्य विभाग के संचालनालयों द्वारा दवाओं, औषधियों एवं कंज्युमेबल सामग्रियों के क्रय के लिए वार्षिक मांगपत्र को देरी से एवं तदर्थ तरीके से अंतिमीकृत किया गया जिसमें पिछली खपत, मौजूदा स्टॉक एवं पहले से दिए गए क्रय आदेशों पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा, कार्यक्रम/योजना की दवाओं को वार्षिक मांगपत्र में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा, स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा स्थानीय क्रय को ड्रग प्रोक्योरमेंट एण्ड डिस्ट्रिब्युशन मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम (डीपीडीएमआईएस) में दर्ज नहीं किया गया।

- केन्द्रीकृत क्रय एजेंसी होने के बावजूद 2016–22 के दौरान कुल क्रय का 26.79 से 50.65 प्रतिशत क्रय की गई दवाएं, औषधियां एवं कंज्यूमेबल स्थानीय स्तर पर (विकेन्द्रीकृत क्रय) क्रय की गईं।

- सीजीएमएससीएल छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम (सीजीएसपीआर) के अनुरूप क्रय प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए क्रय मैनुअल तैयार करने/अंतिम रूप देने में विफल रहा, जिसके कारण कई मामलों में सीजीएसपीआर का उल्लंघन करते हुए क्रय किया गया। वर्ष 2016–22 के दौरान दवाओं, औषधियों एवं उपकरणों के क्रय के लिए दर अनुबंध (आरसी) को अंतिम रूप देने के लिए आमंत्रित कुल 278 निविदाओं में से 165 निविदाओं को अंतिम रूप देने में 3 से 649 दिनों का विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, दवाओं की आपूर्ति में विलंब के मामले सामने आए, जिसके कारण स्वास्थ्य संस्थानो में आवश्यक दवाओं की सूची (ईडीएल) के अनुसार दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाईं एवं स्थानीय क्रय या रोगियों द्वारा अपने खर्च पर आवश्यक दवाओं का क्रय किया गया।

- उपकरणों एवं दवाओं के क्रय के लिए नई आरसी की वैधता अवधि को सीजीएमएससीएल द्वारा क्रमशः एक वर्ष से दो वर्ष एवं एक वर्ष से 18 महीने तक बढ़ा दिया गया था, जिससे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना वैधता अवधि छः महीने तक बढ़ गई थी।

- सीजीएमएससीएल ने सभी मांग की गई दवाओं के लिए आरसी को अंतिम रूप नहीं दिया एवं 2016–22 के दौरान मांग की गई मात्रा के विरुद्ध जिन दवाओं के लिए आरसी को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, उनका प्रतिशत 48.82 (2016–17) एवं 63.59 (2018–19) प्रतिशत के मध्य था। इसके परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य संस्थानों को 2017–22 के दौरान ₹ 97.93 करोड़ मूल्य की ईडीएल दवाएं बिना जाँच के स्थानीय क्रय के माध्यम से क्रय करनी पड़ीं।

- सीजीएमएससीएल ने स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा मांगे गए सभी उपकरणों के लिए उपकरणों की श्रेणी जैसे उच्च मूल्य, कभी–कभी उपयोग आने वाले आदि पर विचार किए बिना दीर्घकालिक आरसी निष्पादित की थी, जो शासन के सर्वोत्तम हित में नहीं था क्योंकि स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा कुछ उपकरणों की मांग कभी–कभी ही की जाती है तथा प्रौद्योगिकी में लगातार उन्नयन के कारण, उपकरण वर्तमान बाजार दर पर शायद उपलब्ध नहीं हो सके।
- उपकरणों के क्रय के लिए सीजीएमएससीएल की निविदा मूल्यांकन प्रणाली में गंभीर कमियां थीं क्योंकि इसमें उपकरणों के साथ परीक्षण के लिए आवश्यक रीजेंट की कीमत पर विचार नहीं किया गया था एवं केवल परीक्षण उपकरणों की लागत का मूल्यांकन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप निविदाएं आमंत्रित किए बिना एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत दरों पर उन्हें एकल स्वामित्व वाली सामग्री मानकर ₹ 129.27 करोड़ की लागत वाले रीजेंट क्रय किए गए थे।
- चार मामलों में, डीएचएस/सीजीएमएससीएल द्वारा उपकरणों की तकनीकी स्पेसिफिकेशन की समुचित जाँच–पड़ताल किए बिना तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलीभगत से तय की गई, जिसके परिणामस्वरूप टेलरमेड स्पेसिफिकेशन तय किए गए तथा ₹ 30.48 करोड़ का अनियमित क्रय हुआ।
- सीजीएमएससीएल ने उद्धृत दरों का उचित मूल्यांकन किए बिना ही तीन मामलों में उपकरणों के क्रय के लिए आरसी को अंतिम रूप दे दिया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.26 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।
- स्वास्थ्य विभाग ने बायोसेफ्टी कैबिनेट, कैलोरीमीटर एवं माइक्रो पिपेट का क्रय आवश्यकता से अधिक किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.09 करोड़ का क्रय बिना आवश्यकता के किया गया, जो कि निष्क्रिय पड़े रहे ।
- सीजीएमएससीएल ने चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रायपुर के लिए पीईटी–सीटी मशीन के संचालन के तौर तरीके को अंतिम रुप दिये बिना पीपीपी मोड पर क्रय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.46 करोड़ मूल्य के उपकरण एवं अधोसंरचना निष्क्रिय पड़े रहे, साथ ही आज तक (नवंबर 2022) आम जनता को सुविधा से वंचित रखा गया।
- जीएमसी/जीएमसीएच रायपुर, जगदलपुर एवं राजनांदगांव में ₹ 8.13 करोड़ मूल्य के कुल 21 चिकित्सा उपकरण विभिन्न कारणों जैसे तकनीकी खराबी, महत्वपूर्ण भागों की अनुपलब्धता, रीजेंट/किट की आपूर्ति न होना, आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण न होना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण न देना आदि के कारण निष्क्रिय पड़े रहे ।
- सीजीएमएससीएल ने मौजूदा बाजार मूल्य की निगरानी में कमी, कम दरों वाली मौजूदा आरसी की अनदेखी एवं अनुचित आधारों पर कम दर को अस्वीकार करने के कारण उच्च दरों पर दवाईयां, औषधियां एवं कंज्युमेबल सामग्रियों का क्रय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। दवाओं एवं औषधियों का क्रय टेलरमेड स्पेसिफिकेशन के अनुसार, थोक मात्रा के बजाय सांकेतिक मात्रा के साथ निविदा आमंत्रित करने आदि के मामले सामने आए। सीजीएमएससीएल ने ब्लैकलिस्ट फर्मों से ₹ 23.98 करोड़ की दवाएं भी क्रय किया था।

- सीजीएमएससीएल ने पैरासिटामोल एवं आरडी मलेरिया किट की आवश्यकता वास्तविक मांग से काफी कम उल्लेखित किया एवं थोक क्रय का लाभ नहीं उठा सका तथा निविदाओं को उच्च दर पर अंतिम रूप दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.09 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।
- सीजीएमएससीएल ने स्वास्थ्य संस्थानों से अत्यधिक मांग होने के बावजूद आरसी की वैधता अवधि में एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए क्रय आदेश देने में विफल रहा एवं नामांकन के आधार पर उच्च दर पर इसे क्रय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.20 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अलावा, बाद की निविदा में, सीजीएमएससीएल ने मांग पत्र में मांगे गए वेरिएंट के स्थान पर उच्च दर के वेरिएंट को चुना, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।
- सीजीएमएससीएल आपूर्तिकर्ताओं से 'मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं' दवाओं का प्रतिस्थापन करवाने में विफल रहा तथा उन पर न तो ₹ 1.69 करोड़ की शास्ति लगाई एवं न ही ऐसे चूककर्ता आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 24.60 लाख का डेमरेज शुल्क वसूल किया।
- दवा स्टॉक प्रबंधन प्रणाली दोषपूर्ण थी क्योंकि सीजीएमएससीएल ने अपने गोदामों में उपलब्ध स्टॉक, पिछली खपत प्रवृत्ति एवं भविष्य की आवश्यकता पर विचार किए बिना ही क्रय आदेश जारी कर दिए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.63 करोड़ मूल्य की औषधियां कालातीत हो गईं।
- गोदाम प्रबंधन में, दवाओं के भंडारण के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों का पालन न करने के मामले सामने आए। सीजीएमएससीएल विभिन्न दवाओं के भंडारण के लिए गोदामों में निर्धारित तापमान बनाए रखने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप दवाओं की प्रभावकारिता एवं गुणवत्ता में कमी आई। गोदाम प्रबंधन के लिए सीजीएमएससीएल द्वारा कोई मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी।
- स्वास्थ्य संस्थानों में दवाएं उपलब्ध न होने के मामले देखे गए। नमूना जाँच के लिए चयनित सात जिलों मे 31 मार्च 2022 की स्थिति में डीएच के लिए आवश्यक 272 ईडीएल दवाओं में से कुल 103 दवाएं उपलब्ध नहीं थी। इसी तरह, नमूना जाँच के लिए चयनित 14 सीएचसी में, सीएचसी के लिए आवश्यक 149 ईडीएल दवाओं में से कुल 39 दवाएं उपलब्ध नहीं थी।
- कोविड–19 दवाओं एवं उपकरणों के क्रय के लिए, सीजीएमएससीएल ने आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 142.73 करोड़ मूल्य के 131 उपकरणों के 340 क्रय आदेश एवं ₹ 860.03 करोड़ मूल्य की 84 दवाओं, औषधियों एवं कंज्युमेबल सामग्रियों के 385 क्रय आदेश जारी किए थे।
- कोविड समिति ने कोविड–19 से संबंधित सामग्रियों के क्रय के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने की अनुशंसा की थी, जिसमें दो बोलीदाता पूर्व–निर्धारित आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं करते थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.98 करोड़ की अनियमित क्रय हुआ।
- ट्रूनॉट कॉम्बो किट के क्रय के मामले में, कोविड समिति ने मूल निर्माताओं द्वारा दी जाने वाली रियायती किट के बजाय वितरक के माध्यम से क्रय करने की अनुशंसा की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.33 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

- रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की निविदा में आपूर्ति की अवधि में संशोधन एवं कठोर शर्तों को शामिल करने के कारण, छह बोलीदाताओं में से केवल एक बोलीदाता ने आपूर्ति की संशोधित अवधि की शर्तों को स्वीकार किया एवं प्रति किट ₹ 89.60 की दर उद्धृत की, जो पूर्व अंतिमिकृत दर की तुलना में 245 प्रतिशत अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.21 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।
- क्रय एजेन्सी (सीजीएमएससीएल) ने कोविड समिति की अनुशंसा के बिना ₹ 23.13 करोड़ मूल्य की कोविड–19 संबंधित सामग्रियों क्रय की थी, जो अनियमित था ।
- जीएमसीएच के लिये क्रय किए गए चार लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) टैंक या तो लगाए नहीं गए या चिकित्सालयों की सप्लाई लाइन से जुड़े नहीं थे एवं ये निष्क्रिय पड़े थे। इसके अलावा, डीकेएसपीजीआई चिकित्सालय में लगाया गया क्रायोजेनिक एलएमओ टैंक (12के.एल.) चिकित्सालय की ऑक्सीजन पाइपलाइन से जुड़ा नहीं था।
- वर्ष 2016–22 के दौरान, आयुष संचालनालय के वार्षिक मांगपत्र क्रय एजेंसी (सीजीएमएससीएल) को चार से 256 दिनों की देरी से भेजे गए। चयनित जिलों में आयुष स्वास्थ्य संस्थानों को ₹ 0.75 करोड़ की लागत वाले कुल 281 उपकरण अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति किए गए।
- आईटी सिस्टम अपर्याप्त योजना के साथ बनाया गया था। सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल आंशिक रूप से कार्यरत थे। सॉफ्टवेयर में उपयोग किए गए विभिन्न डेटाबेस आपस में जुड़े नहीं थे।
- सिस्टम में डेटा प्रमाणीकरण एवं रिकार्ड की पुनरावृत्ति की जाँच की व्यवस्था नहीं थी।
- दवाओं की आपूर्ति वार्षिक मांग से 467 प्रतिशत तक अधिक थी। दवाओं के कालातीत होने एवं आपूर्ति में देरी की निगरानी प्रणाली में नहीं की गई।
- बारकोड प्रणाली लागू नहीं की गई थी एवं प्रणाली में बारकोड विवरण प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रतिवेदन 43 से 265 दिनों तक की देरी से प्राप्त हुए।
- संस्थान प्रबंधन में विसंगतियों के कारण तृतीयक स्तर की दवाओं की आपूर्ति प्राथमिक स्तर की सुविधाओं को की गई।
- सिस्टम में पासवर्ड नीति एवं सुदृढ़ वेबसाइट सुरक्षा नीति नहीं थी।

4.1 प्रस्तावना

स्वास्थ्य संस्थानों (एचआई) में दवाओं, औषधियों एवं उपकरणों की उपलब्धता रोगी की देखभाल में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाती है। राज्य में दवाओं, औषधियों एवं उपकरणों का क्रय केन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत (स्थानीय) क्रय के माध्यम से किया गया था। केन्द्रीकृत क्रय के लिए, छत्तीसगढ़ शासन ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पूर्ण स्वामित्व वाली शासकीय कंपनी के रूप में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) का गठन किया (2010), जिसने 2013–14 से अपना व्यापारिक संचालन शुरू किया। सीजीएमएससीएल

का प्राथमिक उद्देश्य पूरे राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं, औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करना एवं केन्द्रीकृत क्रय के माध्यम से थोक क्रय का लाभ प्राप्त करना है। सीजीएमएससीएल को छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 (सीजीएसपीआर), यथा संशोधित के प्रावधानों का पालन करते हुए ई–क्रय पोर्टल के माध्यम से खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा सभी आवश्यक दवाओं, औषधियों, कंज्युमेबल सामग्रियों एवं उपकरणों का क्रय करना था।

सीजीएमएससीएल द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा निर्धारित सामग्रियों के लिए दवाओं, औषधियों एवं कंज्युमेबल सामग्रियों की आपूर्ति न किए जाने की स्थिति में स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा विकेन्द्रीकृत क्रय किया गया। स्वास्थ संस्थान, विकेन्द्रीकृत क्रय के माध्यम से गैर–ईडीएल दवाओं का भी क्रय करते हैं। 2016–22 के दौरान स्वास्थ संस्थानों के लिए दवाओं, औषधियों, कंज्युमेबल सामग्रियों एवं उपकरणों का कुल क्रय *तालिका – 4.1* में दी गई है:

तालिका –4.1: स्वास्थ्य संस्थानों के लिए दवाओं एवं उपकरणों की कुल क्रय का वर्षवार विवरण

वर्ष	केन्द्रीकृत क्रय (₹ करोड़ में)		विकेन्द्रीकृत क्रय (₹ करोड़ में)		कुल क्रय (₹ करोड़ में)	
	दवाएं एवं औषधियां	उपकरण	दवाएं एवं औषधियां	उपकरण	दवाएं एवं औषधियां	उपकरण
2016–17	112.93	81.47	115.90	6.87	228.83	88.34
2017–18	170.08	108.06	95.82	38.54	265.90	146.60
2018–19	145.72	163.94	106.89	5.14	252.61	169.08
2019–20	179.26	103.62	162.83	6.49	342.09	110.11
2020–21	589.24	264.97	215.65	25.41	804.89	290.38
2021–22	528.01	216.43	269.66	40.25	797.67	256.68
कुल	**1725.24**	**938.49**	**966.75**	**122.70**	**2691.99**	**1061.19**

(स्रोतः वीएलसी डाटाबेस, विस्तृत शीर्षक 25–001, 005, 007 एवं 28–003 के अंतर्गत)

4.2 सीजीएमएससीएल द्वारा केन्द्रीकृत क्रय

स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाओं एवं उपकरणों के मांगपत्र, क्रय, भंडारण एवं वितरण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया *चार्ट – 4.1* में दिखाया गया है :

चार्ट – 4.1: स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाओं एवं उपकरणों की मांग, क्रय, भंडारण एवं वितरण की प्रक्रिया का विवरण दिखाने वाला चार्ट

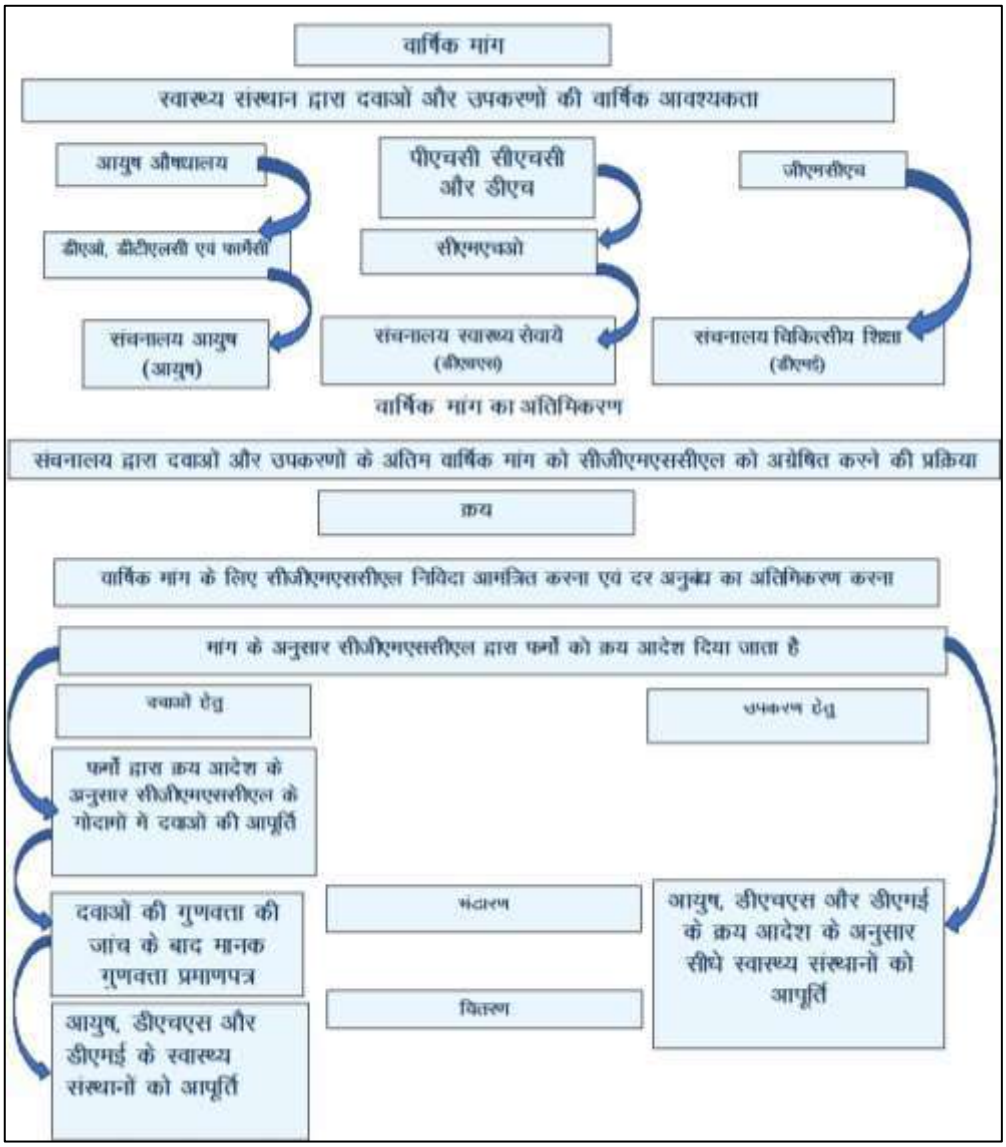

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा दी गई जानकारी से संकलित)

4.2.1 वार्षिक मांगपत्रों को अंतिम रूप देना

डीएचएस/डीएमई/डीए से प्राप्त दवाओं एवं औषधियों के वार्षिक मांग पत्र से संबंधित अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

(i) वार्षिक मांगपत्र को अंतिम रूप देने में देरी

छत्तीसगढ़ शासन ने निर्देश दिया (27 मई 2016) कि राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक दवाओं का अनुमान संचालनालय स्तर पर प्रतिवर्ष 30 सितंबर तक तैयार किया जाना चाहिए। दवाओं के वार्षिक अनुमान की जाँच के बाद, संबंधित संचनालनालयों को स्पष्ट स्पेसिफिकेशन एवं मात्रा के साथ वार्षिक मांगपत्र को अंतिम रूप देना चाहिए जिसे प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक सीजीएमएससीएल को भेजा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएचएस में एक राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) वार्षिक मांगपत्र को अंतिम रूप देती है। यद्यपि, मांग को अंतिम रूप देने के लिए एसएलसी की बैठकें

समय पर आयोजित नहीं की गई। बैठकों के मिनट्स भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएचएस द्वारा सीजीएमएससीएल को वार्षिक मांगपत्र भेजने में एक महीने से लेकर आठ महीने तक की देरी हुई, जैसा कि *तालिका – 4.2* में दर्शाया गया है।

डीएमई के मामले में, डीएमई के फील्ड स्वास्थ्य संस्थानों ने मार्च 2020 तक सीधे सीजीएमएससीएल को मांगपत्र भेजे एवं उसके बाद 2020–21 से डीएमई ने सीजीएमएससीएल को भेजने के लिए फील्ड स्वास्थ्य संस्थानों की मांग को समेकित किया। डीएमई द्वारा सीजीएमएससीएल को वार्षिक मांगपत्र भेजने में एक महीने से लेकर पांच महीने तक की देरी हुई, जैसा कि *तालिका – 4.2* में दर्शाया गया है ।

तालिका – 4.2: डीएचएस एवं डीएमई द्वारा वार्षिक मांगपत्र जमा करने की वर्षवार निर्धारित तिथि एवं वास्तविक तिथि

वर्ष	एसएलसी बैठक की तिथि	सीजीएमएससीएल को मांगपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	सीजीएमएससीएल को प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	सीजीएमएससीएल को वार्षिक मांगपत्र प्रस्तुत करने में देरी	सीजीएमएससीएल को प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	सीजीएमएससीएल को वार्षिक मांगपत्र प्रस्तुत करने में देरी
			डीएचएस		डीएमई	
2016–17	30–12–2015	31–10–2015	23–02–2016	04 महीने	--	--
2017–18	4–12–2016	31–10–2016	28–04–2017	06 महीने	--	--
2018–19	7–06–2018	31–10–2017	12–07–2018	08 महीने	--	--
2019–20	23–01–2019	31–10–2018	03–05–2019	06 महीने	--	--
2020–21	29–11–2019	31–10–2019	04–12–2019	01 माह	06–12–2019	01 माह
2021–22	5–12–2020	31–10–2020	26–12–2020	02 महीने	03–04–2021	05 महीने

(स्रोतः डीएचएस एवं डीएमई द्वारा दी गई जानकारी से संकलित)

इसके अलावा यह भी पाया गया कि संचालनालय स्तर पर मांगपत्र के अंतिमीकरण से संबंधित कोई भी वर्किंग पेपर उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि मैदानी इकाईयों द्वारा मांग के पैटर्न एवं जिला/स्वास्थ्य संचालनालयों के स्तर पर किए गए संशोधनों के आकलन के लिए पिछले वर्षों के लिए दवाओं एवं औषधियों के लिए स्वास्थ्य संस्थानों–वार मांगपत्र ड्रग प्राक्योरमेंट एण्ड डिस्ट्रिब्युशन मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम (डीपीडीएमआईएस) पोर्टल के बैक–एंड डेटा में उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अगले वर्ष के लिए सीजीएमएससीएल को वार्षिक मांगपत्र देते समय पिछले वर्षों में क्रय नहीं की गईं दवाओं एवं कंज्युमेबल सामग्रियों की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके कारण, ओव्हरलैपिंग/ अत्यधिक मात्रा में क्रय की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा भेजे गए मांगपत्रों को जिला एवं संचालनालय स्तर पर कोई औचित्य दर्ज किए बिना तथा बिना उपभोग पैटर्न, सीजीएमएससीएल की इकाइयों एवं गोदामों में उपलब्ध स्टॉक तथा पिछले मांगपत्र के विरूद्ध आपूर्ति की स्थिति का विश्लेषण किये बिना संशोधित किया गया।

मांग पत्र को अंतिम रूप देने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव के कारण, लेखापरीक्षा ने आवश्यकता से अधिक मात्रा में दवाओं एवं औषधियों के क्रय के मामले पाए। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में कालातीत दवाओं एवं दवाओं की अनुपलब्धता/कमी पाई गई, जिसकी चर्चा इस अध्याय के आगामी कंडिकाओं में की गई है।

डीएचएस ने बताया (जनवरी 2023) कि वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक मांगपत्र को समय पर अंतिम रूप दे दिया गया था। डीएचएस ने आगे बताया कि मांगपत्र को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में गोदामों में उपलब्ध स्टॉक पर विचार करना एवं पिछले वर्ष की खपत में 10 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ना शामिल है। संचालक ने आश्वासन दिया कि भविष्य में समिति की बैठक के कार्यवृत्त को वर्किंग पेपर के साथ संधारित किया जाएगा।

(ii) गैर–ईडीएल एवं कार्यक्रम/योजना की दवाओं को वार्षिक मांगपत्र में शामिल न करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्षिक मांगपत्रों को अंतिम रूप देते समय, विशिष्ट कार्यक्रम एवं योजना यथा मितानिन कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सिकल सेल प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय संचारी रोग कार्यक्रम की औषधियों की मांग स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त नहीं की गई थी तथा इन्हें स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत तरीके से क्रय किया गया था।

उदाहरण के लिए 2016–22 की अवधि के लिए मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक ईडीएल दवाओं/कंज्युमेबल सामग्रियों के लिए सीजीएमएससीएल को मांगपत्र नहीं भेजा, यद्यपि इस कार्यक्रम में मितानिन दवा पेटी के क्रय के लिए सीएचएमओ को ₹ 33.33 करोड़ आबंटित किया गया था। इसके बाद, इन सभी दवाओं/कंज्युमेबल सामग्रियों को जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा स्थानीय क्रय के माध्यम से क्रय किया गया।

डीएचएस ने कहा (जनवरी 2023) कि लेखापरीक्षा अनुशंसा के अनुसार केंद्रीय आपूर्ति वाली दवाओं की योजनाओं को छोड़कर वर्तमान वार्षिक मांगपत्र (2023–24) में मितानिन एवं कार्यक्रम उन्मुख दवाओं को शामिल किया गया है।

(iii) डीपीडीएमआईएस का अपर्याप्त कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा डीपीडीएमआईएस में स्थानीय क्रय की प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गई थी। सात जिलों में नमूना जाँच में पाया गया कि 17 स्वास्थ्य संस्थानों ने सीजीएमएससीएल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्थानीय क्रय के माध्यम से ₹ 86.93 करोड़ की दवाएं एवं कंज्युमेबल सामग्रियां क्रय की एवं ₹ 86.37 करोड़ की दवाएं एवं कंज्युमेबल सामग्रियां बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए क्रय की गई। इसके अलावा, 2019–22 की अवधि के दौरान डीपीडीएमआईएस में सामग्री प्राप्ति प्रमाण पत्र तैयार नहीं किए गए।

4.2.2 केन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत क्रय के लिए नीति का कार्यान्वयन न होना

थोक क्रय का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य संचालनालय केन्द्रीकृत क्रय के लिए सीजीएमएससीएल को निधि हस्तांतरित करते हैं। इसके अलावा, आपातकालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए एवं सीजीएमएससीएल में दवाओं, औषधियों एवं उपकरणों की अनुपलब्धता के मामले में, डीएचएस सीएमएचओ/सीएस के माध्यम से विकेन्द्रीकृत क्रय के लिए जिलों को निधि आबंटित करता है। इसी तरह, डीएमई के मामले में, जीएमसीएच एवं संबद्ध चिकित्सालय भी विकेन्द्रीकृत क्रय (स्थानीय क्रय) के माध्यम से दवाओं, औषधियों एवं कंज्युमेबल सामग्रियों का क्रय करते है। विभाग ने सभी संचालनालयों को केन्द्रीकृत क्रय के लिए बजट का 90 प्रतिशत सीजीएमएससीएल को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया (11 सितंबर 2019)। 2016–22 के दौरान केन्द्रीकृत क्रय के लिए सीजीएमएससीएल को निधि के हस्तांतरण एवं विकेन्द्रीकृत क्रय

के लिए मैदानी स्वास्थ्य संस्थानों को निधि के आबंटन का विवरण ***तालिका – 4.3*** में दिया गया है :

तालिका – 4.3: डीएचएस, डीएमई एवं आयुष इकाइयों के लिए दवाओं, औषधियों एवं कंज्युमेबल सामग्रियों की केन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत क्रय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विभाग द्वारा दवाओं पर कुल व्यय	विभाग द्वारा दवा क्रय के लिए सीजीएमएससीएल को हस्तांतरित निधि (केन्द्रीकृत)	मैदानी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा दवा क्रय (विकेन्द्रीकृत क्रय)	विकेन्द्रीकृत क्रय (प्रतिशत)
2016–17	228.83	112.93	115.90	50.65
2017–18	265.90	170.08	95.82	36.04
2018–19	252.61	145.72	106.89	42.31
2019–20	342.09	179.26	162.83	47.60
2020–21	804.89	589.24	215.65	26.79
2021–22	797.67	528.01	269.66	33.81
कुल	**2,691.99**	**1,725.24**	**966.75**	

(स्रोतः महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) का वीएलसी डेटाबेस; 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान की गई क्रय में कोविड क्रय भी शामिल है)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि विकेन्द्रीकृत (स्थानीय क्रय) क्रय से क्रय की गई दवाओं पर व्यय 2017–18 के ₹ 95.82 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 269.66 करोड़ हो गया। 2016–22 की अवधि के दौरान, दवाओं/कंज्युमेबल सामग्रियों में स्थानीय क्रय का हिस्सा 26.79 से 50.65 प्रतिशत तक था। स्थानीय क्रय के माध्यम से उच्च दरों एवं बिना जाँच की गई दवाओं के मिलने के बावजूद स्वास्थ्य संस्थानों ने दवाएं, औषधियाँ एवं कंज्युमेबल सामग्रियां क्रय करना जारी रखा। उच्च दर पर स्थानीय क्रय के उदाहरण ***तालिका – 4.4*** में सारणीबद्ध हैं:

तालिका – 4.4: स्थानीय स्तर पर क्रय की गई दवाओं एवं केन्द्रीकृत क्रय में प्राप्त न्यूनतम दरों का विवरण

क्र. स.	दवा का नाम	सीजीएमएससीएल दर (प्रति यूनिट)	न्यूनतम दर (प्रति यूनिट)	दर अंतर (प्रति यूनिट)	प्रतिशत अंतर	स्थानीय आपूर्तिकर्ता	क्रय की गई मात्रा (संख्या)	आपूर्ति की तिथि	स्वास्थ्य संस्थान का नाम
1	इंज कॉर्बोप्लाटिन 150 मिग्रा	369.00	413.28	44.28	12.00	मेसर्स चोपड़ा इंटरप्राइजेज रायपुर	176	16.10.2020	जीएमसीएच रायपुर
2	बीटामेथासोन वैल–एरेट ऑइंटमेंट आईपीओ 1%	7.39	12.32	4.93	66.71	हितेन्द्र इंटरप्राइजेज रायपुर	5000	11.07.2018	जीएमसीएच अंबिकापुर
3	लाइनजोलिड 2एमजी/एमएल इंजेक्शन	68.264	110.88	42.616	62.43	पंकज मेडिको ट्रेडर्स बिलासपुर	300	08.07.2019	जीएमसीएच बिलासपुर
4	ह्यूमन एंटी डी इम्युनोग्लोबुलिन	1848.00	2912	1064	57.58	पंकज मेडिको	100	06.01.2021	जीएमसीएच बिलासपुर

क्र. स.	दवा का नाम	सीजीएमएससी एल दर (प्रति यूनिट)	न्यूनतम दर (प्रति यूनिट)	दर अंतर (प्रति यूनिट)	प्रतिशत अंतर	स्थानीय आपूर्तिकर्ता	क्रय की गई मात्रा (संख्या)	आपूर्ति की तिथि	स्वास्थ्य संस्थान का नाम
	(पॉलीक्लोनल/ मोनोक्लोनल)Inj BP300mcg					ट्रेडर्स बिलासपुर			
5	टैब एमोक्सक्लैव 375 मिग्रा	3.91	6.16	2.25	57.54	मेसर्स हिंदुस्तान मेडी ट्रेडर्स, रायपुर	3000	13.08.2020	जीएमसीएच रायपुर
6	इंजेक्शन गेमाटाबाइन 1–4 ग्रा.	513.02	777.84	264.82	51.62	मेसर्स कपीश फार्मा रायपुर	192	28.10.2020	जीएमसीएच रायपुर
7	मलहम . पोविडोन आयोडीन	7.03	10.07	3.04	43.24	मेसर्स सुरेश मेडिकल स्एवं	6000	21.08.2019	जीएमसीएच अंबिकापुर
8	इंजेक्शन सेफ्ट्रिएक्सोन पाउडर 1ग्रा. आईपी इंजेक्शन के लिए	12.86	18.20	5.34	41.52	पंकज मेडिको ट्रेडर्स बिलासपुर	5400	15.06.2019	जीएमसीएच बिलासपुर
9	एनोक्सापैरिन इंजेक्शन 40 मिग्रा	155.40	209.00	53.60	34.49	गुरुनानक मेडिकल	1000	02.03.2022	जीएमसीएच बिलासपुर
10	इंजेक्शन पर्मेट्रिएड 500 मिग्रा	708.00	928.48	220.48	31.14	शुभम् एजेंसी	50	29.08.2020	जीएमसीएच रायपुर

(स्रोतः जीएमसीएच, रायपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित)

उपर्युक्त ईडीएल औषधियां डीपीडीएमआईएस से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय की गई, जो यह इंगित करता है कि सीजीएमएससीएल समय पर स्वास्थ्य संस्थानों को इन दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहा।

4.2.3 क्रय मैनुअल/व्यवसाय करने हेतु नियम तैयार करने में अत्यधिक विलंब

एक केन्द्रीकृत क्रय एजेंसी होने के नाते, सीजीएमएससीएल के लिए सीजीएसपीआर के अनुरूप एक व्यापक क्रय मैनुअल रखना आवश्यक है, ताकि राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए मितव्ययी, प्रभावी एवं कुशल क्रय की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीजीएमएससीएल ने बिना किसी मानकीकृत दस्तावेजी क्रय प्रणाली के दवाएं, औषधियाँ एवं उपकरण क्रय किए क्योंकि इसके द्वारा प्रारंभ से ही कोई क्रय मैनुअल/नीति नहीं बनाई गई है। परिणामस्वरूप, सीजीएमएससीएल द्वारा अपनाई गई क्रय प्रक्रियाओं में एकरूपता का अभाव था। लेखापरीक्षा ने क्रय के ऐसे उदाहरण देखे जो निर्धारित नियमों/मानदंडों से अलग थे एवं इस अध्याय के आगामी कंडिकाओं में इसकी चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सीजीएमएससीएल के संचालक मंडल (बीओडी) ने ''व्यवसाय करने के सिद्धांत'' नाम से एक मसौदा क्रय मैनुअल का अनुमोदन दिया था (जनवरी 2016) एवं सीजीएमएससीएल ने अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस विभाग को भेज दिया (मार्च 2016)। उत्तर में, विभाग ने सीजीएमएससीएल को अपने प्रस्तावित मसौदे में कुछ संशोधन एवं परिवर्धन करने का निर्देश दिया (जनवरी 2018)। तदनुसार, प्रबंध संचाालक ने तीन सदस्यीय[1] समिति का गठन किया (15 फरवरी 2018) एवं 10 दिनों के भीतर संशोधित मसौदा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि लगभग पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी क्रय मैनुअल तैयार नहीं किया गया।

4.2.4 सीजीएसपीआर का उल्लंघन करते हुए दवाओं, औषधियों एवं उपकरणों की क्रय के लिए दर अनुबंधों की वैधता का अनियमित विस्तार

सीजीएसपीआर के अनुसार, सामग्री की क्रय के लिए दर अनुबंध (आरसी) आम तौर पर एक वर्ष के लिए वैध होती हैं। तदनुसार, सीजीएमएससीएल एक वर्ष की वैधता अवधि के लिए आरसी को अंतिम रूप देता है । मौजूदा आरसी की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले नए आरसी को अंतिम रूप देना सीजीएमएससीएल की जिम्मेदारी है ताकि स्वास्थ्य संस्थानों को दवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए, नई आरसी के लिए नए टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया पहले से ही की जानी चाहिए। नए टेंडर को अंतिम रूप देने में देरी होने की स्थिति में, सीजीएमएससीएल मौजूदा आरसी की वैधता को उसी दरों, नियमों एवं शर्तों पर छह महीने के लिए बढ़ा देता है।

लेखापरीक्षा में आरसी की वैधता अवधि के संबंध में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

(i) उपकरणों के लिए आरसी

सीजीएमएससीएल ने अगस्त 2016 से उपकरणों की क्रय के लिए अपनी नई आरसी की वैधता अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया है, साथ ही इसे छह महीने के लिए एवं बढ़ाने की सुविधा भी दी है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीजीएमएससीएल ने बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के सीजीएसपीआर का उल्लंघन करते हुए स्वतः ही उपकरणों के क्रय के लिए आरसी की वैधता को एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ा दिया।

(ii) दवाओं एवं औषधियों के लिए दर अनुबंध

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2021) कि सीजीएमएससीएल ने अपनी 30वीं संचालक मण्डल की बैठक (23 फरवरी 2019) में दवाओं एवं औषधियों की क्रय के लिए अपने नए आरसी की वैधता अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 18 महीने करने का निर्णय लिया, जिसे छह महीने के लिए एवं बढ़ाया जा सकता है। वैधता अवधि का विस्तार सीजीएसपीआर का उल्लंघन था क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किया था एवं इसलिए अनियमित था।

4.2.5 निविदाओं के अंतिमीकरण में असामान्य देरी

विभाग ने दवाओं, कंज्युमेबल सामग्रियों एवं उपकरणों के संबंध में सीजीएमएससीएल द्वारा आरसी को अंतिम रूप देने के लिए निविदा तिथि से 153 दिनों की समय सीमा निर्धारित की थी (8 दिसंबर 2016)। 2016–22 के दौरान, सीजीएमएससीएल ने दवाओं/कंज्युमेबल सामग्रियों (156 निविदाएं) एवं चिकित्सा उपकरणों (122 निविदाएं) की आरसी के लिए 278 निविदाओं को अंतिम रूप दिया था।

[1] महाप्रबंधक (वित्त), प्रभारी महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं उप प्रबंधक (वित्त)

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 278 निविदाओं में से 165 निविदाएं (59 प्रतिशत) को 153 दिनों से अधिक दिनों के विलम्ब से अंतिम रूप दिया गया। दवाओं/कंज्युमेबल सामग्रियों की 74 निविदाओं के अंतिम रूप देने में चार से 494 दिनों तक का विलंब था एवं उपकरणों की 91 निविदाओं में यह विलम्ब तीन से 649 दिनों तक का था, जैसा कि क्रमशः *परिशिष्ट – 4.1* एवं ***4.2*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। निविदा में देरी से उच्च दरों पर स्थानीय क्रय को बढ़ावा मिला, जैसा कि आगामी कंडिका में चर्चा की गई है ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा में उल्लेखित पूर्व–योग्यता आवश्यकता एवं तकनीकी स्पेसिफिकेशन में स्पष्टता की कमी के कारण, निविदा आमंत्रित करने के बाद निविदा में लगातार संशोधन किए गए, जिससे निविदाओं को अंतिम रूप देने में भी देरी हुई।

चूंकि उपयोगकर्ता विभाग एक वर्ष के लिए मांग प्रस्तुत करता है, इसलिए निविदा को अंतिम रूप देने में देरी होने की स्थिति में मांग अप्रासंगिक हो जाती है। इसके अलावा, विशिष्ट मौसमों के लिए आवश्यक कुछ दवाएं निविदा को अंतिम रूप देने में देरी के कारण रोगियों को नियत समय पर उपलब्ध नहीं होंगी एवं यदि इसे ऐसे विशिष्ट मौसम के बाद आपूर्ति की जाती है, तो ऐसी दवाओं के कालातीत होने की संभावना अधिक होगी।

4.2.6 सभी मांगी गई दवाओं के लिए आरसी को अंतिम रूप न दिए जाने के परिणामस्वरूप स्थानीय क्रय के माध्यम से दवाओं का क्रय

सीजीएमएससीएल, विभाग के वार्षिक मांगपत्र के अनुसार पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से दवाओं, औषधियों एवं उपकरणों की क्रय के लिए आरसी को अंतिम रूप देने के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदाओं के अंतिमीकरणे के बाद सफल बोलीदाताओं के साथ आरसी निष्पादित की गई एवं क्रय आदेश देकर दवाएं/उपकरण क्रय किए गए। मांगी गई दवाओं के लिए आरसी को अंतिम रूप देने का विवरण *तालिका – 4.5* में दिया गया है :

तालिका – 4.5: दवाओं की वर्षवार प्राप्त मांग तथा डीएचएस एवं डीएमई के लिए अंतिमीकृत की गई आरसी

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
डीएचएस एवं डीएमई द्वारा मांगी गई दवाओं की संख्या	723	867	997	966	1235	2095
दवाओं की संख्या जिनके लिए आरसी को अंतिम रूप दिया गया	370	343	363	386	421	998
दवाओं की संख्या, जिनके लिए आरसी को अंतिम रूप नहीं दिया गया	353	524	634	580	714	1097
दवाओं का प्रतिशत, जिनके लिए आरसी को अंतिम रूप नहीं दिया गया	**48.82**	**60.44**	**63.59**	**60.04**	**62.91**	**52.36**

(स्रोतः डीएचएस एवं डीएमई द्वारा दी गई जानकारी से संकलित)

तालिका – 4.5 से देखा जा सकता है कि सीजीएमएससीएल मांगी गई सभी दवाओं के लिए आरसी को अंतिम रूप देने में विफल रहा। वर्ष 2016–22 के दौरान मांगी गई दवाओं के लिए आरसी को अंतिमीकृत न करने का प्रतिशत 48.82 से 63.59 प्रतिशत के बीच था। मांगपत्र के विरुद्ध सीजीएमएससीएल द्वारा आरसी को अंतिम रूप न दिए

जाने के कारण, स्वास्थ्य संस्थानों ने 2017-22[2] के दौरान स्थानीय स्तर पर ₹ 97.93 करोड़[3] मूल्य की बिना जाँच की हुई आवश्यक दवाओं का क्रय किया।

उपकरणों का क्रय

4.2.7 उच्च मूल्य वाले उपकरणों के लिए आरसी का अंतिमीकरण

सीजीएसपीआर के नियम 4.3.3 के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक मूल्य का सभी शासकीय क्रय खुली निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाना हैं। जिन सामग्रियों का बार–बार उपयोग किया जाना है, उनके लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ सीजीएसपीआर के अनुसार आरसी निष्पादित की जानी है ताकि यह बहुत कम समय में उपलब्ध हो सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो सीजीएमएससीएल एवं न ही विभाग ने चिकित्सा उपकरणों को स्वास्थ्य संस्थानों में बारंबार एवं कभी–कभार उपयोग में आने के आधार पर वर्गीकृत किया, इसके अभाव में सीजीएमएससीएल ने स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा मांगे गए सभी उपकरणों के लिए दीर्घकालिक आरसी[4] निष्पादित की थी, चाहे वह कम मूल्य के उपकरण हों या उच्च मूल्य के उपकरण। दो साल की आरसी के साथ 2016–21 के दौरान सीजीएमएससीएल द्वारा चिकित्सा उपकरणों (मूल्य 25 लाख रुपये से पांच करोड़ रुपये के बीच) के क्रय के कुछ उदाहरण *परिशिष्ट – 4.3* में दिए गए हैं ।

उच्च मूल्य के उपकरणों के लिए आरसी को अंतिम रूप देना शासन के सर्वोत्तम हित में नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा इसकी मांग कभी–कभार की जाती है तथा प्रौद्योगिकी में लगातार उन्नयन के कारण, दीर्घकालिक आरसी के माध्यम से क्रय के परिणामस्वरूप पुराने उपकरणों का क्रय अधिक लागत पर हो सकता है।

इसलिए, सीजीएमएससीएल को सभी चिकित्सा उपकरणों के लिए आरसी को अंतिम रूप देने की अपनी प्रथा पर पुनर्विचार करना चाहिए। अधिक दक्ष एवं प्रभावी निविदा के लिए, सीजीएमएससीएल सीजीएसपीआर के अनुरूप अपनी निविदा में विस्तार/पुनरावृत्ति आदेश उपवाक्य[5] को शामिल करने पर भी विचार कर सकता है।

शासन ने आश्वासन दिया (दिसंबर 2022) कि भविष्य में, पूंजीगत उपकरणों के लिए मात्रा निविदाएं आमंत्रित की जाएगी।

4.2.8 वास्तविक आवश्यकता का आंकलन न किए जाने के कारण निविदा में दर्शाई गई मात्रा से अधिक उपकरणों का क्रय

सीजीएसपीआर के नियम 4.14 में यह प्रावधान है कि पुनरावृत्ति क्रय आदेश/ बाद वाले आदेश मूल आदेश की मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसलिए, इस प्रकार क्रय की गई कुल मात्रा निविदा की गई मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवश्यक मात्रा की अनुसूची (निविदा दस्तावेज का अनुलग्नक–1) क्रय जाने वाली संभावित मात्रा को इंगित करता है, जो बोलीदाता को न्यूनतम मात्रा के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों को उद्धृत करने में मदद करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016–22 के दौरान 173 मामलों में, सीजीएमएससीएल ने सामग्रियों की निविदा की गई मात्रा से अधिक मात्रा में उपकरण क्रय किए थे। कुछ उदाहरण *तालिका – 4.6* में सारणीबद्ध हैं:

---

2 सीजीएमएससीएल ने स्थानीय क्रय के आंकड़े अप्रैल 2017 से ही रखना प्रारंभ किया।

3 सीजीएमएससीएल की डीपीडीएमआईएस ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार

4 उपकरण के लिए 24 महीने

5 सीजीएसपीआर के नियम 4.14 में प्रावधान है कि विस्तारित/पुनरावृत्ति आदेश मूल आदेश की 25 प्रतिशत मात्रा तक दिया जाएगा।

तालिका – 4.6: उपकरणों की वास्तविक क्रय के साथ निविदा मात्रा का विवरण

सं. क्र	निविदा संदर्भ संख्या एवं दिनांक	उपकरण का नाम	निविदा मात्रा (संख्या)	दर (₹ प्रति यूनिट)	कुल क्रय संख्या (संख्या)	प्रस्तुत मात्रा से अधिक (संख्या)
1	53 15/06/17	बेबी वेट मशीन	1	2,450	19,142	19,141
2		मल्टी पैरामीटर मॉनिटर	2	1,48,425	357	355
3		बायो कैमिकल एनॉलॉइजर	2	1,80,000	142	140
4		माइक्रोस्कोप	1	2,10,000	70	69
5		डेंटल चेयर	1	1,79,000	65	64
6		बीपी उपकरण/स्फिग्मोमैनोमीटर	11	3,920	694	683
7	77 (आर) 08/07/18	इंट्यूबेशान उपकरण के साथ इमरजेंसी रेसुसिटेशन ट्रे	3	1,34,400	545	542
8		आईसीयू बेड	3	1,41,600	333	330
9	67 (आर2) 08/08/18	उपकरण ट्रॉली सभी स्टेनलेस स्अील	20	13,570	1,491	1,471
10		आई. व्ही. स्टैण्ड	68	4,129	4,995	4,927

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

निविदा की गई मात्रा के मुकाबले क्रय की गई मात्रा में बड़ा अंतर यह दर्शाता है कि थोक क्रय का लाभ प्राप्त करने के लिए डीएचएस/डीएमई/आयुष द्वारा आवश्यकता का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था । यह संभावना हो सकती है कि निविदा में उल्लेखित कम मात्रा के कारण प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध आपूर्तिकर्ताओं ने निविदाओं में भाग नहीं लिया हो । चूंकि बाद की आवश्यकताएं मूल मांग से काफी अधिक थी, इसलिए सीजीएमएससीएल को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए थी । कई मात्राओं के क्रय सीजीएसपीआर के नियम 4.14 में निहित प्रावधानों के भी विरुद्ध था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 2016–22 के दौरान आमंत्रित 31 निविदाओं में, सीजीएमएससीएल ने निविदा में आवश्यकता की अनुसूची में किसी भी मात्रा का उल्लेख नहीं किया है। सांकेतिक मात्रा के अभाव में, प्रतिस्पर्धी दरों के साथ–साथ थोक क्रय से जुड़े लाभ प्राप्त करना बहुत मुश्किल था।

शासन ने बताया (दिसंबर 2022) कि आरसी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अन्य उपयोगकर्ता विभागों से मांगें प्राप्त हुईं, तदनुसार उपकरण क्रय किए गए।

उत्तर से स्पष्ट है कि निविदा आमंत्रित करने से पूर्व सीजीएमएससीएल ने सभी उपयोगकर्ता विभागों से मांग प्राप्त नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप निविदा मात्रा एवं वास्तविक क्रय की गई मात्रा के बीच असामान्य भिन्नता हुई।

4.2.9 उपकरण एवं उसके रीजेंटस के क्रय में अनियमितताएं

वर्ष 2017–22 के दौरान डीएचएस, आयुष एवं जीएमसीएच से प्राप्त मांगपत्रों के आधार पर ऑनलाइन निविदाओं के माध्यम से एक फर्म[6] से निम्नलिखित डायग्नोस्टिक उपकरण क्रय किया गया, जैसा कि *तालिका – 4.7* में विस्तृत है :

तालिका – 4.7: वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान क्रय किए गए डायग्नोस्टिक उपकरणों का विवरण

सं. क्र.	उपकरण का नाम एवं निविदा संख्या	मात्रा	प्रति यूनिट दर	उपकरणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	उपकरणों के क्रय की अवधि	रीजेंट क्रय की अवधि	क्रय की गई रीजेंट की मात्रा (संख्या में)	क्रय किए गए रीजेंट का मूल्य (₹ करोड़ में)	रीजेंट का क्रय करने में विलंब (दिन)
1	यूरिन एनालॉइजर (53 ईपी)	105	1,27,440	1.32	नवंबर 2017 से अगस्त 2019 तक	जनवरी 2020 से दिसंबर 2021	8,250	3.21	791
2	ब्लड सेल काउंटर (53 ईपी)	154	5,07,400	7.81	जनवरी 2018 से मई 2020 तक	अप्रैल 2020 से दिसंबर 2021	6,141	15.90	699
3	प्रोटीन एनालॉइजर एचबीए1सी (53 ईपी)	18	2,65,500	4.78	नवंबर 2017 से अक्टूबर 2018	जनवरी 2020 से दिसंबर 2021	3,467	13.48	791
4	फ्लोराईड ऑयन मीटर (55 ईपी)	7	4,87,340	0.34	नवंबर-2017	मार्च 2020 से अप्रैल 2020	654	3.49	834
5	कॉर्बन मोनाऑक्साइड मीटर (100 ईपी)	82	1,82,900	1.50	अक्टूबर 2018 से सितंबर 2020	जनवरी 2020 से मार्च 2020	2,010	2.85	457
6	ऑटो हेमोटोलोजी एनालॉइजर 109 आर ईपी	29	15,08,040	4.37	नवंबर 2019 से सितंबर 2021	मई 2020	1,466	2.79	192
7	फुल्ली ऑटोमेटिक ऑटो एनालाईजर (77 आर/ईपी)	46	28,26,100	13.00	मार्च 2019 से मई 2020	जून 2020से दिसंबर 2021	9,011	86.55	458
8	ब्लड गैस एनालॉइजर (94 ईपी)	31	26,40,960	8.19	फरवरी 2019 से मार्च 2020	अगस्त 2020 से जनवरी 2021	29	1.00	547
कुल				**41.31**			**31,028**	**129.27**	

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

[6] मेसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन

इन डायग्नोस्टिक्स उपकरणों को परीक्षण/विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के रीजेंटस की आवश्यकता थी। तदनुसार, सीजीएमएससीएल ने जनवरी 2020 से मार्च 2020 के दौरान ₹ 129.27 करोड़ मूल्य के रीजेंटस (उपकरण वार) क्रय किये गये।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां पाईं:

(क) डायग्नोस्टिक उपकरणों के लिए निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगति क्योंकि आवश्यक रीजेंट की लागत पर विचार नहीं किया गया था

डायग्नोस्टिक उपकरण को नमूनों की जाँच के लिए कुछ आवर्ती लागत वाली रीजेंट/परीक्षण स्ट्रिप्स की आवश्यकता होती है, जो इसके माध्यम से किए गए परीक्षणों की संख्या पर निर्भर करती है। इसलिए, उपकरणों के क्रय के लिए निविदाएं आमंत्रित करते समय आवश्यक रीजेंट की लागत का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त आठ डायग्नोस्टिक उपकरणों की मांग प्रस्तुत करते समय, डीएचएस ने रीजेंट की आवश्यकता को चिन्हित करने में विफल रहा। सीजीएमएससीएल लागत लाभ विश्लेषण करने के बाद उपकरण एवं रीजेंट के लिए समग्र बोली आमंत्रित करने में भी विफल रहा एवं केवल डायग्नोस्टिक उपकरणों के लिए उद्धृत दर के आधार पर निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया।

चूंकि सीजीएमएससीएल ने ये निविदाएं खुली निविदा प्रणाली के अंतर्गत आमंत्रित की थी, इसलिए रीजेंट की आपूर्ति के स्रोत के साथ–साथ रीजेंट की लागत की पहचान करना आवश्यक था ताकि क्रय किए गए उपकरणों की प्रभावशील लागत एवं दक्षता सुनिश्चित की जा सके। यद्यपि, सीजीएमएससीएल ने निविदाएं आमंत्रित करते समय एवं निविदाओं को अंतिम रूप देते समय इन आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर दिया।

सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कहा (4 नवंबर 2022) कि सीजीएमएससीएल ने अब डाईग्नोसिस उपकरणों के क्रय की प्रणाली को ओपन से क्लोज सिस्टम[7] में बदल दिया है। सीजीएमएससीएल के प्रबंध संचालक ने आगे कहा कि उपकरणों के क्रय की नवीनतम निविदाओं में, उन्होंने रीजेंट की लागत के साथ–साथ लागत लाभ विश्लेषण (प्रति परीक्षण लागत) पर विचार करके बोलियों का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है।

(ख) निविदा आमंत्रित किए बिना एवं बिना उचित विश्लेषण एवं औचित्य के एकल स्वामित्व वाली सामग्री मानते हुए ₹ 129.27 करोड़ मूल्य की रीजेंट क्रय किया गया।

सीजीएमएससीएल ने जनवरी 2020 से मार्च 2022 के दौरान डीएचएस से प्राप्त मांगपत्र के आधार पर *तालिका – 4.7* में उल्लेखित उपकरणों के लिए ₹ 129.27 करोड़ रुपये के 31,028 रीजेंट किट एकल स्वामित्व वाली सामग्रियों के रूप में उसी विक्रेता से क्रय किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएचएस ने अपने मांगपत्र में मांग की थी कि रीजेंट उसी निर्माता/आपूर्तिकर्ता से क्रय किया जाए, जिससे उपकरण क्रय किया गया था। सीजीएमएससीएल ने रीजेंट की स्वामित्व वाली प्रकृति की पुष्टि किए बिना इन रीजेंट को स्वामित्व वाली सामग्री मान लिया एवं आपूर्तिकर्ता की उद्धृत दरों पर आरसी निष्पादित की।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी पाया कि सीजीएमएससीएल द्वारा उपकरण एक खुली प्रणाली के रूप में क्रय किया गया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा एकल स्वामित्व प्रकृति की सामग्रियों के रूप में कंज्युमेबल सामग्रियों/रीजेंट के क्रय की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि, रीजेंट का क्रय करते समय, आपूर्तिकर्ता ने उपकरण को एक बंद प्रणाली के रूप में घोषित किया, जिसमें सटीक परिणामों एवं उपकरणों के उचित

[7] क्लोज सिस्टम वे विश्लेषक हैं जो केवल निर्माता विशिष्ट रीजेण्टों का उपयोग करते हैं।

क्रियान्वयन के लिए केवल अनुकूल रीजेंट के क्रय की आवश्यकता थी। आपूर्तिकर्ता से एकल स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर, सीजीएमएससीएल ने एकल स्वामित्व सामग्री के रूप में रीजेंट क्रय किया एवं आपूर्तिकर्ता की उद्धृत दर पर आरसी निष्पादित किया। इसके अलावा, सीजीएमएससीएल ने उपयोगकर्ता विभाग जैसा कि डीएचएस से रीजेंट का कोई एकल स्वामित्व लेख प्रमाण पत्र (पीएसी) प्राप्त नहीं किया। इसके बजाय, इसने आपूर्तिकर्ता/निर्माता से स्व–घोषणा प्राप्त की थी कि उपकरण आपूर्तिकर्ता/निर्माता का स्वामित्व था यद्यपि आपूर्तिकर्ता की स्व–घोषणा किसी भी सहायक दस्तावेजों जैसे रीजेंट के विवरण, इसके पेटेंट प्रमाणपत्र, स्वामित्व की प्रकृति, शासकीय एजेंसी/संगठन से प्रमाणन आदि द्वारा समर्थित नहीं थी। इस प्रकार, सीजीएमएससीएल ने क्रय के समय उपकरण के लिए रीजेंट की आवश्यकता का आकलन नहीं किया एवं उपकरण की दर को अंतिम रूप देते समय रीजेंट की लागत का आकलन करने में उचित सावधानी रखने में विफल रहा।

शासन ने कहा (दिसंबर 2022) कि डीएचएस ने उसी निर्माता के रीजेंट की मांग की, जिससे उपकरण क्रय किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएमएससीएल ने सामग्रियों की स्वामित्व प्रकृति को सत्यापित करने के लिए उचित कार्यवाही नहीं की। इसके अतिरिक्त, डीएचएस द्वारा विशिष्ट ब्रांड की मांग को स्वामित्व सामग्री नहीं माना जा सकता।

(ग) रीजेंट/परीक्षण किट के अभाव में डायग्नोसिस उपकरण का निष्क्रिय होना

जैसा कि ऊपर दी गई *तालिका – 4.7* से देखा जा सकता है, सीजीएमएससीएल ने नवंबर 2017 एवं फरवरी 2019 के बीच स्वास्थ्य संस्थानों को विभिन्न उपकरण आपूर्ति की । यद्यपि, रीजेंट की कमी के कारण उन्हें तुरंत उपयोग में नहीं लाया गया, जो कि वास्तव में जनवरी 2020 एवं अगस्त 2020 के बीच की गई थी। इस प्रकार, ये उपकरण 192 से 834 दिनों के बीच की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े रहे। यह संचालनालय स्तर पर त्रुटिपूर्ण नियोजन को दर्शाता है, जो समय पर रीजेंट की आवश्यकता का आकलन करने में विफल रहा।

शासन ने बताया (दिसंबर 2022) कि उपकरण की आपूर्ति के एक वर्ष बाद रीजेंट का मांगपत्र प्राप्त हुआ, तदनुसार रीजेंट की खरीद की गई।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि उपकरण क्रय करते समय उपकरण के लिए रीजेंट की आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया था, इसलिए उपकरण रीजेंट के अभाव में निष्क्रिय पड़े रहे।

(घ) ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों जहां परीक्षण उपकरण स्थापित नहीं किया गए थे में रीजेंट आपूर्ति के कारण ₹ 6.37 करोड़ की परिहार्य हानि हुई

डीएचएस ने प्रोटीन एनालाइजर (एचबीए1सी) उपकरण के लिए रीजेंट हेतु मांगपत्र जारी किया (अक्टूबर 2019, मार्च 2020 एवं अगस्त 2020) एवं तदनुसार सीजीएमएससीएल ने ₹ 38,869.20 रुपये प्रति किट की दर से ₹ 13.48 करोड़ मूल्य के 3,467 किट रीजेंट क्रय किए गए (जनवरी, जून एवं अगस्त 2020)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्रय किए गए कुल 3,467 रीजेंट किट में से, सीजीएमएससीएल ने ₹ 6.37 करोड़ मूल्य की 1,639 किट दस[8] स्वास्थ्य संस्थानों को आपूर्ति किया (जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक), जहां प्रोटीन एनालाइजर एचबीए1सी उपकरण उपलब्ध नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, इन रीजेंट का उपयोग नहीं किया जा सका एवं अंततः स्वास्थ्य संस्थानों में उनके कालातीत होने की अवधि आ गई, जिसके परिणामस्वरूप शासकीय खजाने को ₹ 6.37 करोड़ का नुकसान हुआ।

शासन ने कहा (दिसंबर 2022) कि डीएचएस के मांग के अनुसार स्वास्थ्य संस्थानों में रीजेंट की आपूर्ति की गई थी। डीएचएस के संचालक ने कहा (जनवरी 2023) कि मामले की जाँच की जाएगी एवं ऐसे जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

यह डीएचएस के साथ–साथ सीजीएमएससीएल की ओर से गंभीर प्रणाली विफलता को इंगित करता है, जिन्होंने ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों को रीजेंट की आपूर्ति की, जहां उपकरण स्थापित नहीं थे।

(ङ) उच्च दर पर रीजेंट की क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 8.88 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ

जैसा कि ऊपर बताया गया है, सीजीएमएससीएल ने 3,467 रीजेंट किट (एचबीए1सी) ₹ 38,869.20 प्रति किट की दर से क्रय किया था एवं एक किट की क्षमता 25 परीक्षण की थी। रीजेंट की दर स्वीकार करते समय, सीजीएमएससीएल ने प्रचलित बाजार दर एवं स्वीकृत दरों की तुलना करके दर के औचित्य का आकलन नहीं किया, जो उच्चतर स्तर पर थी। प्रति किट 25 परीक्षण की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, एक परीक्षण की लागत ₹ 1,554 आती है, यद्यपि यही परीक्षण निजी पैथोलॉजिकल लैब द्वारा अधिकतम ₹ 500 प्रति परीक्षण की लागत पर किए जा रहे थे। इसके परिणामस्वरूप 3,467 रीजेंट किट के क्रय पर ₹ 9.14 करोड़[9] का अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने बताया (नवंबर 2022) कि उपयोगकर्ता विभाग से सहमति मिलने के बाद दर को अंतिम रूप दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक केंन्द्रीय क्रय एजेंसी होने के नाते सीजीएमएससीएल की जिम्मेदारी है कि वह यथोचित जाँच–पड़ताल के बाद मितव्ययी दर पर सामग्रियों का क्रय करे।

4.2.10 केवल विशेष बोलीदाता को योग्य बनाने के लिए उपकरणों के विशिष्ट (टैलरमेड) स्पेसिफिकेशन तैयार करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो उपयोगकर्ता विभागों ने एवं न ही सीजीएमएससीएल ने स्वास्थ्य संस्थानों में आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले/आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के मानक जेनेरिक स्पेसिफिकेशन को अंतिम रूप दिया था। क्रय किए जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन संचालनालयों के अधिकारियों द्वारा तय किए गए थे एवं परिणामस्वरूप जेनेरिक के स्थान पर ब्रांडेड/ट्रेडमार्क सामान के स्पेसिफिकेशन की मांग की गई एवं सीजीएमएससीएल द्वारा उन्हें क्रय किया गया। कुछ उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

---

[8] सीएमएचओ रायपुर, सीएमएचओ सुकमा, सीएमएचओ दंतेवाड़ा, सीएमएचओ धमतरी, सीएमएचओ राजनांदगांव, सीएमएचओ नारायणपुर, सीएमएचओ कोंडागांव, सीएमएचओ जशपुर, डीएच रायपुर एवं डीएच गौरेला पेंड्रा मरवाही।

[9] (₹ 1554 – ₹ 500) x 3,467 किट x 25 परीक्षण

निम्नलिखित चार मामलों में, क्रय किए जाने वाले उपकरणों की तकनीकी स्पेसिफिकेशन विशिष्ट आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में तैयार की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आमंत्रित निविदाओं में प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई एवं डीएचएस/सीजीएमएससीएल द्वारा तकनीकी रुप से एकल बोली के माध्यम से उपकरणों का क्रय किया गयाः

स. क्र.	उपकरण का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	आपूर्ति की गई मात्रा (संख्या)	यूनिट दर	उपकरणो की कुल लागत (₹ करोड़ में)	क्रय किए गए रीजेंट का मूल्य (₹)
1	कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर	मेसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन	82	1.83 लाख	1.50	2.85 करोड़
	डीएचएस ने उपकरण एवं रीजेंट के लिए अपने मांगपत्र में टैलरमेड स्पेसिफिकेशन निर्धारित किए थे, जो जेनेरिक प्रकृति के नहीं थे। निर्धारित स्पेसिफिकेशन निर्माता/आपूर्तिकर्ता के उत्पाद के साथ ट्रेडमार्क रीजेंट[10] के पूर्णतः समान थे। सीजीएमएससीएल ने भी टैलरमेड स्पेसिफिकेशन की अनदेखी की, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई। परिणास्वरूप, निविदा में केवल दो बोलियां प्राप्त हुईं। बोलीदाताओं में से एक अर्थात मेसर्स रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में, जिसका उत्पाद तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं था, निविदा समिति ने एकल बोली पर निविदा को अंतिम रूप देने से बचने के लिए इसे योग्य बना दिया था क्योंकि मेसर्स मोक्षित की बोली को अंततः अंतिम रूप दिया गया क्योंकि इसके द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशन निविदा स्पेसिफिकेशन के समान थे। यह डीएचएस, सीजीएमएससीएल के कर्मचारियों एवं दोनों बोलीदाताओं के बीच मिलीभगत को इंगित करता है। यह स्पष्ट है कि निविदाएं टैलरमेड स्पेसिफिकेशन तैयार करके तथा आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए आमंत्रित की गई थी।					
2	**स्टेरिजेन डिसइनफेक्टेंट जनरेशन सिस्टम के लिए स्टेरिजेन–सी इलेक्ट्रो–लाइट कंसन्ट्रेट सोल्युशन**	**मेसर्स फैथ इनोवेशन**	**5945**	**23500**	**13.97**	—
	स्टेरिजेन डिसइन्फेक्टेंट जेनरेशन सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोलाइट कंसन्ट्रेट सॉल्यूशन के लिए विशिष्ट ब्रांड नाम यानी ''स्टेरिजेन –सी'' के साथ निविदा आमंत्रित की, जिसका निर्माण केवल एक बोलीदाता यानी मेसर्स फेथ इनोवेशन द्वारा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप केवल टैलरमेड स्पेसिफिकेशन के आधार पर मेसर्स फैथ इनोवेशन से उपकरण क्रय किए गए।					
3	**कैलोरीमीटर**	**मेसर्स एस्टीम एंटरप्राइजेज**	**4350**	**5861.63**	**2.55**	—

[10] डी–पीस$^{टीएम}$ एवं स्टेरिब्रीथ$^{टीएम}$ माउथपीस

स. क्र.	उपकरण का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	आपूर्ति की गई मात्रा (संख्या)	यूनिट दर	उपकरणो की कुल लागत (₹ करोड़ में)	क्रय किए गए रीजेंट का मूल्य (₹)
	लेखापरीक्षा ने पाया कि कैलोरीमीटर के लिए मांगपत्र देते समय, डीएचएस ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं भेजा गया था एवं सीजीएमएससीएल ने सीजीएसपीआर के नियम 4.1 का उल्लंघन करते हुए किसी तकनीकी मापदण्ड का उल्लेख किए बिना निविदा आमंत्रित की (20 सितंबर 2016), जिसमें यह उल्लेखित है कि क्रय की गई सामग्री के लिए स्पेसिफिकेशन/ मानक निविदा जारी करने से पहले निर्धारित किए जाने चाहिए। निविदा में, बोलीदाताओं में से एक बोलीदाता (मेसर्स एस्टीम) ने सीजीएमएससीएल से कैलोरीमीटर के दो मॉडलों (एक डिजिटल फोटो कैलोरीमीटर एवं दूसरा माइक्रोप्रोसेसर आधारित कैलोरीमीटर) के बारे में स्पष्टीकरण मांगा (07 दिसंबर 2016) एवं अपने डिजिटल कैलोरीमीटर का स्पेसिफिकेशन प्रस्तुत किया। उसके बाद सीजीएमएससीएल ने मेसर्स एस्टीम से प्राप्त स्पेसिफिकेशन को निविदा में शामिल करते हुए अपनी निविदा में संशोधन किया (16 दिसंबर 2016) । निविदा में संशोधन के बाद, मेसर्स एस्टीम की केवल एक बोली प्राप्त हुई एवं सीजीएमएससीएल द्वारा स्वीकार की गई। इसके परिणामस्वरूप टैलरमेड स्पेसिफिकेशन को अंतिम रूप दिया गया एवं इसके फलस्वरूप बोलीदाता को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।					
4	फुल्ली ऑटोमेटेड ऑटो–एनालाइजर	मेसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन	34	28.26 लाख	9.61	––
	सीजीएमएससीएल ने सीजीएसपीआर के नियम 4.1 का उल्लंघन करते हुए फुली ऑटोमेटेड ऑटो–एनालाइजर के लिए तकनीकी स्पेसिफिकेशन का उल्लेख किए बिना निविदा आमंत्रित की। निविदा के आमंत्रण के बाद, डीएचएस ने तकनीकी स्पेसिफिकेशन को अंतिम रूप दिया, जो विशिष्ट निर्माता (मेसर्स डायसिस डायग्नोस्टिक सिस्टम्स जीएम बीएच जर्मनी का अधिकृत वितरक मेसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन, दुर्ग) के एक विशेष मॉडल के पक्ष में था । सीजीएमएससीएल ने निविदा के प्रकाशन के तीन महीने बाद निविदा में संशोधन किया। टैलरमेड स्पेसिफिकेशन के कारण, केवल एकल बोली प्राप्त हुई एवं सीजीएमएससीएल ने एकल बोली को स्वीकार करके (मार्च 2019) निविदा को अंतिम रूप दिया । इसके अतिरिक्त, अन्य विक्रेता यानी मेसर्स ट्रांसएशिया मुंबई ने निविदा में शामिल टैलरमेड तकनीकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपत्ति उठाई (08 नवंबर 2018), यद्यपि, सीजीएमएससीएल ने प्रतिस्पर्धी बोलीदाता द्वारा उठाई गई आपत्ति का कोई संज्ञान नहीं लिया एवं निविदा को रद्द नहीं किया।					

शासन ने बताया (दिसंबर 2022) कि सभी मामलों में, निविदाओं को उपयोगकर्ता विभाग द्वारा प्रस्तुत स्पेसिफिकेशन के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सीजीएमएससीएल को प्रतिस्पर्धी बोली के लिए सामान्य (जेनेरिक) स्पेसिफिकेशन के आधार पर निविदा आमंत्रित करनी चाहिए थी

केस स्टडी

सीजीएसपीआर के अंतर्गत सीएसआईडीसी के लिए आरक्षित सामग्री के लिए आरसी का अनियमित अंतिम रूप देना *एवं* ₹ 3.86 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

राज्य शासन के विभागों को मितव्ययी दरों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं स्थानीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) को सीजीएसपीआर के नियम 3 के तहत आरक्षित सामग्रियों के लिए आरसी को अंतिम रूप देने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था। अनारक्षित सामग्रियों को सीजीएसपीआर के नियम 4 के अनुसार राज्य शासन के संबंधित विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से क्रय किया जाता है।

सीजीएमएससीएल ने आयुष विभाग से प्राप्त (23 सितंबर 2016) मांगपत्र के आधार पर 30 प्रकार के विभिन्न उपकरणों के दर अनुबंध के लिए निविदाएं आमंत्रित की

(15 जून 2017), जिसमें बेबी वेइंग मशीन (आइटम कोडः आयुष 27) भी शामिल *थी* बेबी वेइंग मशीन के लिए तीन बोलियां प्राप्त हुईं *एवं* मेसर्स नीतिराज इंजीनियर्स लिमिटेड ने प्रति यूनिट ₹ 2,450 की न्यूनतम कीमत उद्धृत की, जिसे सीजीएमएससीएल ने स्वीकार कर लिया एवं 15 नवंबर 2018 तक की वैधता अवधि के लिए 16 नवंबर 2017 को आरसी निष्पादित किया गया। सीजीएमएससीएल ने जनवरी 2018 से फरवरी 2020 की अवधि के दौरान ₹ 5.53 करोड़ मूल्य की बेबी वेइंग मशीन की 19,142 यूनिट क्रय किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बेबी वेइंग मशीन (मैकेनिकल *एवं* इलेक्ट्रिकल दोनों प्रकार) को सीजीएसपीआर के आरक्षित मद में शामिल किया गया था। तदनुसार, केवल सीएसआईडीसी को बेबी वेइंग मशीन (हैंगिंग) के लिए आरसी निष्पादित करने का अधिकार प्राप्त था। यद्यपि, सीजीएमएससीएल ने सीजीएसपीआर का उल्लंघन करते हुए ₹ 5.53 करोड़ मूल्य की आरक्षित सामग्री क्रय किया था, जो कि अनियमित था।

इसके अतिरिक्त उपयोगकर्ता विभाग अर्थात आयुष संचालनालय ने मैकेनिकल टाइप बेबी वेइंग मशीन (हैंगिंग) की मांग की थी। यद्यपि, सीजीएमएससीएल ने इलेक्ट्रिक टाइप बेबी वेइंग मशीन की आरसी अंतिमीकृत की थी। सीएसआईडीसी की आरसी के अनुसार, मैकेनिकल टाइप बेबी वेइंग मशीन (हैंगिंग) की दर ₹ 876.30 थी, जबकि सीजीएमएससीएल ने ₹ 2,450 प्रति यूनिट की दर से आरसी फाइनल की थी। इसलिए, सीजीएमएससीएल ने अधिक महंगी सामग्री क्रय की। इसके परिणामस्वरूप मैकेनिकल टाइप मशीन के मांगपत्र के विरूद्ध इलेक्ट्रिक टाइप बेबी वेइंग मशीन की 19,142 यूनिट के क्रय पर ₹ 3.01 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने कहा (दिसंबर 2022) कि उसने इलेक्ट्रॉनिक टाईप वेइंग मशीन के लिए आरसी को अंतिम रूप दे दिया था। इसके अलावा, बोलीदाताओं के साथ बोली–पूर्व बैठक में, किसी भी बोलीदाता ने सीएसआईडीसी की आरक्षित सामग्री सूची में इस सामग्री के वर्गीकरण के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएमएससीएल ने डीएचएस द्वारा वास्तविक मांगी गई मैकेनिकल बेबी वेइंग मशीन के के स्थान पर महंगी इलेक्ट्रॉनिक बेबी वेइंग मशीन की आरसी को अंतिम रूप दिया था। इसके अलावा, सीजीएमएससीएल का कृत्य सीजीएसपीआर के प्रावधान के विरुद्ध था।

कुल 19,142 यूनिट के क्रय में से 18,666 यूनिट सभी जिलों के सीएमएचओ को सीएचसी, पीएचसी, एसएचसी एवं एमसीएच को आगे की आपूर्ति के लिए प्रदाय की गई, जबकि आईपीएचएस मानकों के अनुसार 5,513 स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 5,513 बेबी वेइंग मशीन की आवश्यकता थी। चूंकि विभाग ने आवश्यकता से अधिक मशीनें क्रय की थीं, इसलिए इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.80 करोड़ मूल्य की 13,153 बेबी वेइंग मशीन का अनुचित क्रय हुआ।

4.2.11 निविदा समिति की अनुशंसा का उल्लंघन करते हुए प्राप्त एकल बोली पर उपकरणों के लिए आरसी को अंतिम रूप दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.83 करोड़ मूल्य के उपकरणों का अनियमित क्रय हुआ।

सीजीएमएससीएल ने पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर एवं जीएमसीएच, जगदलपुर से प्राप्त (जून 2017) मांगपत्र के आधार पर विभिन्न चिकित्सा उपकरणों के क्रय के लिए आरसी को अंतिम रूप देने के लिए दो ऑनलाइन निविदाएं (निविदा संख्या 58 एवं 59) आमंत्रित की (5 अगस्त 2017) । उपर्युक्त निविदाओं में प्राप्त बोलियों का विवरण निम्नलिखित ***तालिका – 4.8*** में दिया गया हैः

तालिका –4.8: निविदा संख्या 58 एवं 59 के लिए प्राप्त बोलियों का विवरण

निविदा सं.	कुल बोलीदाताओं ने भाग लेनेवाले	तकनीकी मूल्यांकन की तिथि	तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता	उपकरणों की संख्या	मूल्य बोली की तिथि	प्राप्त बहु–बोलियों के लिए उपकरणों की संख्या	एकल बोली के लिए प्राप्त उपकरणों की संख्या
58	17	16/03/2018	13	17	20/03/2018	4	13
59	10	05/02/2018	8	9	06/02/2018	2	7

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन दोनों निविदाओं में 13 एवं 7 उपकरणों के लिए एकल बोलियां प्राप्त हुई थीं। अतः, निविदा समिति ने (20 मार्च 2018 एवं 6 फरवरी 2018) उन सामग्रियों के लिए पुनः निविदा जारी करने की अनुशंसा की, जिनके लिए एकल बोलियां प्राप्त हुई थीं।

यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि सीजीएमएससीएल के एमडी ने बोलीदाताओं के साथ बातचीत के बाद निविदा समिति की अनुशंसाओं को नजरअंदाज करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित किए बिना एकल बोली वाली सामग्रियों की दरों को अंतिम रूप दिया था। इस प्रकार, एकल बोली मदों की आरसी को अंतिम रूप देना एवं ₹ 31.83 करोड़ के उपकरणों की क्रय (जैसा कि *परिशिष्ट – 4.4* में विस्तृत है) अनियमित था।

4.2.12 उच्च दर पर निविदाओं को अंतिम रूप देने के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय – ₹ 3.26 करोड़

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीजीएमएससीएल ने निम्नलिखित चार मामलों में बिना समुचित तत्परता एवं उद्धृत दरों की तर्कसंगतता सुनिश्चित किए बिना आरसी को अंतिम रूप दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक अतिरिक्त व्यय हुआ एवं परिणामस्वरूप शासकीय खजाने को हानि हुई।

4.2.12.1 कम दर पर आरसी उपलब्ध होने के बावजूद, डीएचएस के स्वास्थ्य संस्थानों को आपूर्ति के लिए उच्च दर पर आईवी स्टैंड के क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

डीएचएस एवं आयुष से आईवी स्टैंड के लिए प्राप्त मांग के आधार पर, सीजीएमएससीएल ने दो अलग–अलग निविदाओं को अंतिम रूप दिया, जैसा कि निम्नलिखित *तालिका – 4.9* में विस्तृत हैः

तालिका – 4.9: आईवी स्टैंड के क्रय के लिए प्राप्त मांगपत्र एवं अंतिम रूप दिए गए निविदा का विवरण

स.क्र.	विवरण	निविदा संख्या 86 ई.पी.	निविदा संख्या 67(आर 2) ई.पी.
1	उपयोगकर्ता विभाग, जहां से मांगपत्र प्राप्त हुआ	डीएचएस	आयुष
2	मांगपत्र की तिथि	13 दिसम्बर 2017	2 अगस्त 2018
3	मांगी गई मात्रा	70	68
4	निविदा की तिथि	4 अप्रैल 2018	8 अगस्त 2018
5	सांकेतिक निविदा मात्रा (आवश्यकतानुसार परिवर्तनशील)	70	68
6	मूल्य बोली खोलने की तिथि	26 सितम्बर 2018	15 नवंबर 2018

स.क्र.	विवरण	निविदा संख्या 86 ई.पी.	निविदा संख्या 67(आर 2) ई.पी.
7	एल 1 दर (₹ प्रति यूनिट)	1936.38	4128.82
8	एल 1 बोलीदाता का नाम	मेसर्स कैरेवेल मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	मेसर्स बंसल लाइफसाइंसेज
9	दर अनुमोदन की तिथि	17 दिसंबर 2018	5 मार्च 2019
10	डीएचएस द्वारा कुल क्रय मात्रा	115	5670
11	डीएचएस द्वारा कुल क्रय मूल्य (₹ में)	2,22,684	2,34,10,409
12	क्रय की अवधि	11 मई 2020	19 जून 2019 से 21 माच 2020
13	आयुष द्वारा कुल क्रय	0	0

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

डीएचएस ने सीजीएमएससीएल को 70 आईवी स्टैंड (दो हुक टॉप) के लिए एक मांगपत्र दिया (दिसंबर 2017)। सीजीएमएससीएल ने आईवी स्टैंड के लिए निविदा संख्या 86 जारी की (4 अप्रैल 2018) एवं ₹ 1936.38 प्रति इकाई की दर पर निविदा को मेसर्स केयरवेल मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ अंतिम रूप दिया (दिसंबर 2018) । मांग की गई मात्रा के विरूद्ध, मई 2020 में सीजीएमएससीएल द्वारा आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश दिया गया था। इस बीच, सीजीएमएससीएल को आयुष से आईवी स्टैंड (चार हुक टॉप) के लिए भी मांगपत्र प्राप्त हुआ (2 अगस्त 2018) जिसके लिए सीजीएमएससीएल ने अलग से निविदा संख्या 67 (आर 2) जारी की (08 अगस्त 2018) जिसे मेसर्स बंसल लाइफसाइंस के साथ ₹ 4,128.82 रुपये प्रति यूनिट की दर से अंतिम रूप दिया गया (मार्च 2019)। यद्यपि, आयुष संचालनालय ने इस आरसी के तहत अभी तक आईवी स्टैंड की कोई मात्रा क्रय नहीं किये गये।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेसर्स बंसल लाइफसाइंस के साथ उच्च दर पर आईवी स्टैंड के लिए दूसरी आरसी को अंतिम रूप देने (मार्च 2019) के बाद, डीएचएस ने 2019–21 के दौरान 5,670 यूनिट आईवी स्टैंड (चार हुक टॉप) के महंगे संस्करण की मांग बिना किसी औचित्य दर्ज किए भेजा गया। सीजीएमएससीएल ने मेसर्स बंसल लाइफसाइंस को ₹ 4,128.82 प्रति यूनिट की दर से निविदा संख्या 67 (आर 2) के अंतर्गत क्रय आदेश भी जारी किया।

इसके परिणामस्वरूप 5,670 आईवी स्टैंड के क्रय पर ₹ 1.24 करोड़[11] का अनावश्यक अतिरिक्त व्यय हुआ एवं मेसर्स बंसल लाइफसाइंसेज को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

सीजीएमएससीएल ने बताया (नवंबर 2022) कि आईवी स्टैंड की विशिष्ट मांग के अनुसार डीएचएस को आईवी स्टैंड की आपूर्ति की गई थी, जिसे आयुष के मांगपत्र के अंतर्गत अंतिम रूप दिया गया था। यह भी कहा गया कि आईवी स्टैंड के स्पेसिफिकेशन अलग थे। संचालक, डीएचएस ने कहा (जनवरी 2023) कि महंगे संस्करण के आईवी स्टैंड के मांग के कारणों की जाँच की जाएगी एवं जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि डीएचएस ने आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए डीएचएस ने जानबूझकर डीएचएस के लिए फाइनल की गई आरसी की तुलना में महंगे

[11] (₹ 4128.82 – ₹ 1936.38) x 5670 युनिट = ₹ 12431134

आईवी स्टैंड (आयुष मांग के विरुद्ध अंतिम रूप दी गई आरसी) की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप अंततः शासन को नुकसान हुआ।

4.2.12.2 अनुचित आधार पर माइक्रोस्कोप न्यूरोसर्जरी की निविदा को रद्द करने एवं बाद की निविदा को उच्च दर पर अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप ₹ 1.08 करोड़ की हानि।

सीजीएमएससीएल ने डीकेएसपीजीआई के लिए माइक्रोस्कोप न्यूरोसर्जरी के क्रय के लिए निर्माताओं/अधिकृत वितरकों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की (अगस्त 2016)। उत्तर में, मेसर्स बागरी एंटरप्राइजेज (मेसर्स बागरी) एवं मेसर्स वरद कॉर्पोरेशन (मेसर्स वरद) से दो बोलियां प्राप्त हुईं एवं दोनों बोलीदाताओं ने तकनीकी मूल्यांकन पर अर्हता प्राप्त की (दिसंबर 2016)। तदनुसार, दोनों बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां 15 मार्च 2017 को खोली गईं। मेसर्स बागरी ने ₹ 2.41 करोड़ एवं मेसर्स वरद ने ₹ 3.39 करोड़ की दर उद्धृत की । मूल्य बोलियां खोलने के बाद, मेसर्स वरद ने प्रतिवाद किया एवं लेख किया कि मेसर्स बागरी ने कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए उद्धरण नहीं दिया है, अंततः, सीजीएमएससीएल ने माइक्रोस्कोप न्यूरोसर्जरी (आइटम कोडः डीकेएस31) के लिए निविदा रद्द कर दी (29 अगस्त 2017)।

सीजीएमएससीएल ने उसी सामग्री के लिए पुनः ऑनलाइन निविदा [निविदा संख्या 49 (आर)], आमंत्रित की (28 जून 2017) एवं मेसर्स बागरी एंटरप्राइजेज (मेसर्स बागरी) की एक बोली प्राप्त हुई जिसे तकनीकी मूल्यांकन के बाद (12 फरवरी 2018) योग्य घोषित किया गया। मूल्य बोली 16 फरवरी 2018 को खोली गई एवं माइक्रोस्कोप न्यूरोसर्जरी के लिए मेसर्स बागरी द्वारा उद्धृत ₹ 3.49 करोड़ की दर को सीजीएमएससीएल द्वारा स्वीकार कर लिया गया एवं पीओ जारी किया गया (21 मार्च 2018)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रथम निविदा (निविदा संख्या 35/ई/पी) में मेसर्स बागरी द्वारा प्रस्तुत माइक्रोस्कोप न्यूरोसर्जरी की दर कम थी एवं निविदा की तकनीकी मापदण्डों के अनुसार, तकनीकी समिति ने मेसर्स बागरी को योग्य माना था। इसके अतिरिक्त, माइक्रोस्कोप न्यूरोसर्जरी के प्रदर्शन के दौरान, उपयोगकर्ता विभाग ने भी मेसर्स बागरी द्वारा प्रस्तुत उत्पाद की अनुशंसा की ।

चूंकि मेसर्स बागरी की प्रथम बोली ₹ 2.41 करोड़ रुपये की उद्धृत दर तकनीकी रूप से योग्य थी एवं उपयोगकर्ता विभाग ने भी उपकरण की अनुशंसा की थी, इसलिए ₹ 3.49 करोड़ की उच्च दर पर उसी उपकरण का क्रय न्यायोचित नहीं थी एवं वित्तीय औचित्य के मानक के विरुद्ध था। इसके परिणामस्वरूप इस उपकरण के क्रय पर ₹ 1.08 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सीजीएमएससीएल ने बताया (अप्रैल 2019) कि मेसर्स वरद ने उपकरण के स्पेसिफिकेशन पर शिकायत की थी। सीजीएमएससीएल ने शिकायत के समाधान के लिए दोनों बोलीदाताओं यानी मेसर्स बागरी एवं मेसर्स वरद के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई, परंतु उस बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया एवं सीजीएमएससीएल ने निविदा रद्द कर दी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रथम निविदा में बोलीदाता (मेसर्स वरद) तकनीकी रूप से योग्य था एवं उसका उत्पाद उपयोगकर्ता विभाग द्वारा प्रदर्शन में भी योग्य माना गया था, फिर भी, सीजीएमएससीएल ने बिना किसी उचित आधार के निविदा रद्द कर दी थी। परिणामस्वरूप, उसे बाद की निविदा में उच्च दर पर उपकरण क्रय करना पड़ा।

4.2.12.3 उच्च दर पर एडवांस हार्ट लंग मशीन की क्रय पर ₹ 56.70 लाख का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

निविदा के प्राइज फॉल संबंधी उपवाक्य (उपवाक्य 8) के अनुसार, ''बोलीदाता यह वचन देता है कि उसने छत्तीसगढ़ शासन के किसी अन्य विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वर्तमान बोली में प्रस्तावित मूल्य से कम मूल्य पर समान उत्पाद/प्रणाली या उप–प्रणाली की आपूर्ति नहीं की है/नहीं कर रहा है एवं यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि बोलीदाता द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के किसी अन्य विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को समान उत्पाद/प्रणाली या उप–प्रणाली की आपूर्ति कम मूल्य पर की गई है, तो वही मूल्य, बीते समय के लिए उचित छूट के साथ, वर्तमान मामले में लागू होगा एवं यदि अनुबंध पहले ही संपन्न हो चुका है, तो लागत में अंतर की राशि बोलीदाता द्वारा क्रेता को वापस किया जाएगा।''

सीजीएमएससीएल ने मेसर्स सर्व हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के साथ ₹ 1.25 करोड़ एवं 12 प्रतिशत प्रति यूनिट जीएसटी की दर से हार्ट लंग मशीन विद हीटर कूलिंग यूनिट (एस5 विद 3टी) के क्रय के लिए आरसी को अंतिम रूप दिया (22 जुलाई 2019)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेसर्स सर्व हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने उसी निर्माता के समान उपकरण के लिए केरल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएमएससी) के साथ ₹ 75 लाख की कम दर (₹ 53 लाख हार्ट लंग मशीन + 22 लाख रुपये हीटर कूलिंग यूनिट) एवं 12 प्रतिशत प्रति यूनिट जीएसटी पर आरसी में निष्पादित किया था जो अक्टूबर 2020 तक वैध था। आगे यह भी पाया गया कि अनुभव के समर्थन में, मेसर्स सर्व हेल्थ केयर ने विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को ₹ 88.00 लाख एवं ₹ 91.72 लाख प्रति यूनिट के बीच की दरों पर आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत किया। यद्यपि, सीजीएमएससीएल ने हार्ट लंग मशीन के लिए ₹ 1. 25 करोड़ की निविदा को अंतिम रूप दिया, जो केएमएससी की आपूर्ति की दरों से 40 प्रतिशत अधिक थी। इसके अलावा, निविदा में प्राइज फॉल के प्रावधान की उपलब्धता के बावजूद, सीजीएमएससीएल ने आपूर्तिकर्ता को दर कम करने एवं केएमएससी की दर से मेल खाने के लिए नहीं कहा। इसके परिणामस्वरूप उच्च दर पर दर अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया एवं परिणामस्वरूप ₹ 55.50 लाख[12] का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

शासन ने बताया (दिसंबर 2022) कि केएमएससीएल में आपूर्ति की गई मशीनें सीजीएमएससीएल की आपूर्ति की तुलना में निम्न स्तर की मशीनें थीं। इस कारण सीजीएमएससीएल की दरें केएमएससीएल की आपूर्ति से अधिक थीं।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि केरल एवं सीजीएमएससीएल में आपूर्ति किये गये उपकरण का मॉडल नंबर (एस5 विद 3टी) एक ही था।

4.2.12.4 सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिया जाना एवं बाद में नामांकन के आधार पर उच्च दर पर क्रय किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 36.78 लाख का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

सीजीएसपीआर के नियम 4.3.3 में प्रावधान है कि एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की सभी शासकीय क्रय खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएमसीएच, रायपुर से प्राप्त मांगपत्र (जुलाई 2017) के आधार पर सीजीएमएससीएल ने विभिन्न प्रकार के 15 उपकरणों के क्रय के लिए

[12] (₹ 1,24,55,000 – ₹ 75,00,000) + 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी

निविदा आमंत्रित की (अगस्त 2018), जिसमें सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन (आइटम कोड जी.एम.सी.आर.002) भी शामिल है।

निविदा के उत्तर में, दो बोलीदाताओं ने तीन अलग–अलग उपकरणों के लिए निविदा में भाग लिया। बोली के मूल्यांकन एवं उपकरणों के प्रदर्शन के बाद, तकनीकी समिति ने तीनों सामग्रियों के लिए दोनों बोलीदाताओं को योग्य घोषित कर दिया। तदनुसार, मूल्य बोलियाँ खोली गईं एवं सीजीएमएससीएल ने सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन को छोड़कर अन्य दो सामग्रियों के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया , जिसके लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया। विवरण *तालिका – 4.10* में दिए गए हैं:

तालिका – 4.10: चिकित्सा उपकरणों के लिए दर को अंतिम रूप देने का विवरण

आइटम कोड	समग्री का विवरण	उद्धृत दर/स्वीकृत दर (₹)	बोली लगाने वाले का नाम
जीएमसीआर001	मल्टीपैरा मॉनिटर विद वॉल माउंटेड एडजेस्टेबल स्टैंड विद सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन	4,45,760.00 / 4,41,302.40	मेसर्स बागरी एंटरप्राइजेज रायपुर
जीएमसीआर032	निओनेटल पीडियाट्रिक वेंटिलेटर विद अटैचड बबल कॉपा डिवाईस	18,46,650.40 / 18,28,183.84	शिलर हेल्थकेयर (आई.) प्राइवेट लिमिटेड
जीएमसीआर002/ स्टेशन 001	उक्त मल्टीपैरा मॉनिटर में कांपीटेबल सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन	2,40,550.00 (एल 1) निविदा फाइनल नहीं की गई	शिलर हेल्थकेयर (आई.) प्राइवेट लिमिटेड
		6,94,400.00 (एल 2) निविदा फाइनल नहीं की गई	मेसर्स बागरी एंटरप्राइजेज रायपुर

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक वर्ष व्यतित होने के बाद सीजीएमएससीएल ने निविदा आमंत्रित किए बिना ही नामांकन के आधार पर मेसर्स बागरी से ₹ 14.67 लाख प्रति यूनिट की दर से सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन की तीन यूनिट क्रय की, जो पिछली निविदा में प्राप्त एल 1 दर से लगभग 509 प्रतिशत अधिक थी। बिना निविदा आमंत्रित किए नामांकन के आधार पर उच्च दर पर उपकरणों का क्रय सीजीएसपीआर के नियम 4.3.3 के विरुद्ध थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 44.01 लाख मूल्य के सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन का अनियमित क्रय हुआ एवं उच्च दर पर क्रय के कारण ₹ 36.78 लाख[13] का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

4.2.13 उपकरणों का अनावश्यक क्रय

निम्नलिखित चार मामलों में, संचालनालयों एवं सीजीएमएससीएल द्वारा आवश्यकता का आकलन किए बिना ही सीजीएमएससीएल द्वारा उपकरण का क्रय कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक क्रय हुआ एवं परिणामस्वरूप शासकीय खजाने को नुकसान हुआ/निधि अवरुद्ध हुई।

4.2.13.1 बायोसेफ्टी कैबिनेट मूल्य ₹ 72.41 लाख का अनावश्यक क्रय

डीएचएस ने वर्ष 2016–17 के लिए 272 विभिन्न उपकरणों के लिए वार्षिक मांगपत्र को सीजीएमएससीएल को अग्रेषित किया (मार्च 2016), जिसमें 31 बायोसेफ्टी कैबिनेट शामिल थे।

[13] (₹ 14.67 लाख – ₹ 2.41 लाख) x 3 = ₹ 36.78 लाख

सीजीएमएससीएल ने आरसी को अंतिमीकृत कर (जून 2016) विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को ₹ 72.41 लाख मूल्य के 31 बायोसेफ्टी कैबिनेट की आपूर्ति की (जून 2016 से दिसंबर 2016 तक)। सभी 31 बायोसेफ्टी कैबिनेट के क्रय के बाद, डीएचएस ने सीजीएमएससीएल को डीएचएस/सीएमएचओ की तकनीकी समिति द्वारा आवश्यकता के अनुचित मूल्यांकन के आधार पर अपने पिछले मांगपत्र को रद्द करने के लिए सूचित किया (अप्रैल 2017) एवं इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। चूंकि उपकरण 2016 में ही आपूर्ति किए जा चुके थे, इसलिए पीओ को रद्द नहीं किया जा सका। यह सीजीएमएससीएल को मांगपत्र देने से पहले उपकरणों की आवश्यकता के आकलन में डीएचएस के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है।

डीएचएस द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन के बाद उचित मांग प्रणाली के अभाव के कारण ₹ 72.41 लाख मूल्य के बायोसेफ्टी कैबिनेटों का अनावश्यक क्रय हुआ, क्योंकि उपकरणों का उपयोग स्वास्थ्य संस्थानों में नहीं किया जा सका।

छत्तीसगढ़ शासन ने बताया (जनवरी 2023) कि उपकरण का उपयोग कोविड–19 महामारी के दौरान किया गया था।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि जून 2016 से दिसंबर 2016 के दौरान बिना किसी आवश्यकता के उपकरण क्रय किए गए थे एवं यह 2020–21 तक निष्क्रिय रहे, एवं इन्हें चार साल बाद कोविड महामारी के दौरान उपयोग में लाया गया।

4.2.13.2 डीएचएस द्वारा अवास्तविक मांग के कारण कैलोरीमीटर के अनावश्यक क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

सीजीएमएससीएल ने मेसर्स एस्टीम एंटरप्राइजेज (आपूर्तिकर्ता) के साथ एकल बोली पर ₹ 5,861.63 प्रति यूनिट की मोलभाव उपरांत निर्धारित मूल्य पर कैलोरीमीटर की निविदा को अंतिम रूप दिया एवं 4,350 यूनिट कैलोरीमीटर क्रय किया (मार्च 2017), जैसा कि *तालिका – 4.11* में विस्तृत है:

तालिका –4.11: कैलोरीमीटर के क्रय का विवरण

क्रम सं.	क्रय आदेश संख्या एवं दिनांक	मात्रा	आपूर्ति की तिथि	कर सहित प्रति इकाई दर (₹)	कुल राशि (₹)
1.	1045/ 25.03.17	2,250	मार्च 2017	5,861.625	1,31,88,656.25
2.	1130/30.03.17	2,100	मई 2017		1,23,09,412.50
कुल		**4,350**		**——**	**2,5498068.75**

(स्रोत – सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

मार्च 2017 में क्रय किए गए कुल 4,350 कैलोरीमीटर में से, सीजीएमएससीएल ने जून 2022 तक चिकित्सालयों को 2,938 यूनिट जारी कर दिए थे एवं शेष 1,412 यूनिट जिनकी कीमत ₹ 82.77 लाख थी, सीजीएमएससीएल के गोदामों में पड़े थे। इसके अलावा, 2,938 कैलोरीमीटर में से 1,040 कैलोरीमीटर फरवरी 2021 तक ₹ 60.96 लाख मूल्य के कैलोरीमीटर चिकित्सालयों के स्टोर में पड़े थे ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईपीएचएस मानकों के अनुसार मार्च 2017 तक राज्य में केवल 835 स्वास्थ्य संस्थान थे जिनमें कैलोरीमीटर का उपयोग किया जा सकता था। इस प्रकार, कुल 835 कैलोरीमीटर[14] की आवश्यकता थी। इसके विरुद्ध, डीएचएस ने

[14] आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार, पीएचसी एवं सिविल चिकित्सालयों में एक कैलोरीमीटर की आवश्यकता होती है। राज्य में 816 पीएचसी एवं 19 सिविल चिकित्सालय है।

अपने स्वास्थ्य संस्थानों से मांग प्राप्त किए बिना, कैलोरीमीटर की 7,394 इकाइयों की आवश्यकता का आकलन किया था जो असामान्य रूप से अधिक थी। यह दर्शाता है कि डीएचएस स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना मांगपत्र तैयार किए गए थे एवं सीजीएमएससीएल भी मांगपत्र की ठीक से जाँच करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, जून 2022 की स्थिति में ₹ 1.44 करोड[15] मूल्य के 2,452 कैलोरीमीटर[16] सीजीएमएससीएल के गोदाम एवं स्वास्थ्य संस्थानों के स्टोर में निष्क्रिय पड़े थे। स्वास्थ्य संस्थानों को आईपीएचएस मानकों से अधिक कैलोरीमीटर की आपूर्ति के कारण वितरित मात्रा के वास्तविक उपयोग पर संदेह पैदा करती है।

संचालक, डीएचएस ने संबंधित उप–संचालक को अवास्तविक अधिक मांग करने के कारणों को सत्यापित करने का निर्देश दिया (जनवरी 2023)।

4.2.13.3 आवश्यकता से अधिक माइक्रो पिपेट के क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 20.92 करोड़ का अनावश्यक क्रय हुआ।

डीएचएस ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 440 माइक्रो पिपेट्स (सभी क्षमता) के आईपीएचएस मानक के विरूद्ध माइक्रो लीटर वैरिएंट की 36,131 इकाइयों (10–100 की 5,000 इकाई सहित) के माइक्रो पिपेट्स की मांग सीजीएमएससीएल को क्रय करने के लिए भेजी।

मांगपत्र के आधार पर, सीजीएमएससीएल ने ₹ 5,841 प्रति यूनिट की दर से निविदा (निविदाः 83 ईपी) को अंतिम रूप दिया (15 जून 2018)। इस बीच, डीएचएस के स्वास्थ्य संस्थानों ने 321 माइक्रो पिपेट का ऑनलाइन मांगपत्र जारी किया एवं इसे डीएचएस द्वारा सीजीएमएससीएल को अग्रेषित भी किया गया (28 जून 2018)। सीजीएमएससीएल ने 31 जुलाई 2018 से 12 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान ₹ 21.10 करोड़ मूल्य के 36,126 माइक्रो पिपेट्स क्रय किए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ड़ीएचएस द्वारा 36,131 यूनिट की मांग असामान्य रूप से अधिक थी एवं 11 सीएमएचओ तथा 21 डीएच द्वारा मांगी गई/मांग की गई 321 यूनिट की वास्तविक मात्रा से 112 गुना अधिक थी। क्रय किए गए माइक्रो पिपेट्स को प्रत्येक जिले में 1,338 की समान मात्रा में विभिन्न सीएमएचओ को बिना किसी आवश्यकता के जारी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.92 करोड़ मूल्य के 35,810 माइक्रो पिपेट्स का क्रय हुआ, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई मांग नहीं की गई थी।

डीएचएस ने बताया (जनवरी 2023) कि मामला सीजीएमएससीएल स्तर पर जाँच के अधीन है।

4.2.13.4 महंगे स्टेथोस्कोप का अनावश्यक क्रय

आयुष संचालनालय से प्राप्त मांगपत्र (4 जून 2018) के आधार पर, सीजीएमएससीएल ने ₹ 7,840 रुपये की दर से मेसर्स सीबी कॉरपोरेशन के साथ स्टेथोस्कोप के लिए निविदा को अंतिमीकृत किया (11 सितंबर 2019) एवं ₹ 4.37 करोड़ की लागत से 5,572 मात्रा क्रय की (सितंबर 2021)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईपीएचएस मानकों के अनुसार राज्य में 243 जिला चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय, सीएचसी एवं एमसीएच के लिए 2,615 स्टेथोस्कोप की आवश्यकता थी। इसके विरूद्ध, डीएचएस ने 5,572 स्टेथोस्कोप की मांग की थी,

---

15 सीजीएमएससीएल के गोदामों में ₹ 82.77 लाख मूल्य की 1,412 इकाइयां एवं स्वास्थ्य संस्थानों के भंडारों में ₹ 60.96 लाख मूल्य की 1,040 इकाइयां हैं।

16 सीजीएमएससीएल पर 1412 एवं चिकित्सालयों के स्एवं पर 1040

जिन्हें अंततः सीजीएमएससीएल द्वारा क्रय किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.32 करोड़ मूल्य के 2,957 स्टेथोस्कोप का अनावश्यक क्रय हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपयोगकर्ता विभाग ने ₹ 500 प्रति इकाई की अनुमानित लागत के सामान्य स्टेथोस्कोप की मांग की थी। यद्यपि, इसकी अनदेखी करते हुए एवं क्रय में मितव्ययिता के पहलू को नजरअंदाज करते हुए, सीजीएमएससीएल ने ₹ 500 की अनुमानित लागत के विरूद्ध ₹ 7,840 प्रति की दर से महंगे आयातित स्टेथोस्कोप क्रय किए थे।

4.2.14 पीईटी–सीटी मशीन के क्रय पर निष्फल व्यय

सीजीएमएससीएल ने जीएमसीएच, रायपुर के लिए गामा कैमरा एवं पीईटी सीटी की आपूर्ति के लिए निर्माताओं/अधिकृत वितरकों से निविदा आमंत्रित की (जून 2018)। सेवा प्रदाता के लिए नियम एवं शर्तें थीं कि वे आठ वर्षों तक निर्माण, आपूर्ति, स्थापना, संचालन/परिसंचालन एवं रखरखाव करेंगे, जिसमें गारंटी अवधि के रूप में तीन वर्षों के लिए पूरे सिस्टम का निःशुल्क रखरखाव एवं पाँच वर्षों के लिए गारंटी पश्चात् रखरखाव की अतिरिक्त लागत शामिल है।

निविदा को मेसर्स लैबइन्डिया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड मुंबई (मेसर्स लैबइन्डिया) के साथ एल–1 दर पर कुल ₹ 18.46 करोड़ के मूल्य पर अंतिम रूप दिया गया (अगस्त 2018)। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद लैबइन्डिया ने उपकरण की आपूर्ति (31 जनवरी 2019) की एवं उसे स्थापित (21 फरवरी 2019) किया। यद्यपि, उपकरण कार्यशील न होने के कारण जीएमसीएच, रायपुर में निष्क्रिय पड़े हुए थे। जीएमसीएच, रायपुर में क्रय किए एवं स्थापित किए गए उपकरण नीचे ***फोटोग्राफ नंबर 1*** में दर्शाया गयाः

1. जीएमसीएच रायपुर में पीईटी सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी है (फरवरी 2022)

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां पाईं:

(क) परिचालन के तौर–तरीके को अंतिम रूप दिए बिना उपकरणों का क्रय

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थापना के बाद, आपूर्तिकर्ता ने उपकरण को कार्यशील करने एवं परिचालन के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ समझौते (अगस्त 2019) के बावजूद जनवरी 2023 तक उपकरण कार्यशील नहीं किया था। तथापि, आपूर्तिकर्ता एवं शासन के बीच परिचालन के तौर–तरीकों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.46 करोड़ की लागत वाले उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे एवं आम जनता वांछित सेवाएँ प्राप्त करने में वंचित रहें।

(ख) उपकरण के संचालन का अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना मेसर्स लैबइंडिया को ₹ 2.09 करोड़ का अनियमित भुगतान करना

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, 80 प्रतिशत भुगतान उपकरण के कार्यशील होने के बाद किया जाना है तथा शेष 20 प्रतिशत भुगतान प्राप्तकर्ता से कार्यशील स्थिति का प्रमाण पत्र तथा इकाई चलाने के लिए एईआरबी से लाइसेंस प्राप्त होने के बाद किया जाना है।

यह पाया गया कि उपकरण की आपूर्ति (जनवरी 2019) एवं स्थापना (फरवरी 2019) के बाद, मेसर्स लैबिनडिया ने ₹ 10.46 करोड़ का बिल दिया।

अनुबंध राशि का 80 प्रतिशत (₹ 8.36 करोड) का भुगतान (अप्रैल 2019) करने के बाद उपकरण कार्यशील किए बिना एवं एईआरबी से संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त किए बिना सीजीएमएससीएल ने एक महीने बाद शेष 20 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2.09 करोड़ का भी भुगतान मेसर्स लैबइंडिया को कर दिया (मई 2019), जबकि लाइसेंस दिसंबर 2019 में प्राप्त हुआ था।

4.2.15 चिकित्सा उपकरणों का निष्क्रिय रहना

4.2.15.1 जीएमसीएच में ₹ 8.13 करोड़ मूल्य के उपकरणों का निष्क्रिय पड़ा होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 8.13 करोड़ की 21 चिकित्सा उपकरण विभिन्न कारणों जैसे तकनीकी खराबी, महत्वपूर्ण भागों की अनुपलब्धता, रीजेंट/किट की आपूर्ति न होना, आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण न होना, अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण न देना आदि से स्वास्थ्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े थे, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- तीन[17] जीएमसी/जीएमसीएच में स्थापित ₹ 4.35 करोड़ मूल्य के आठ प्रकार के उपकरण तकनीकी खराबी/महत्वपूर्ण भागों की अनुपलब्धता के कारण 158 से 1,346 दिनों (मई 2018 से अगस्त 2021) के बीच की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े रहे। स्वास्थ्य संस्थानों ने तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं से परामर्श करने के कोई प्रयास नहीं किए एवं उपकरण अभी–भी निष्क्रिय पड़े थे, जबकि आठ में से पाँच उपकरण वारंटी अवधि के अंतर्गत थे।
- जीएमसी जगदलपुर, रायपुर, राजनांदगांव, जीएमसीएच जगदलपुर एवं राजनांदगांव में स्थापित ₹ 2.13 करोड़ मूल्य के पांच प्रकार के उपकरण आवश्यक रीजेंट/किट/कंज्युमेबल सामग्रियों के अभाव में 440 से 1,468 दिनों (दिसंबर 2017 से जनवरी 2021 तक) की अवधि के लिए अनुपयोगी पड़े थे ।
- जीएमसी, रायपुर में स्थापित (जुलाई 2018) ₹ 57.69 लाख मूल्य का रिजिड थोरैकोस्कोप अपनी स्थापना के बाद से उपयोग में नहीं लाया जा रहा था। इसी प्रकार जीएमसी, जगदलपुर में स्थापित (नवंबर 2018) ₹ 15.03 लाख मूल्य का सीओ2 इनक्यूबेटर, जो नवंबर 2021 तक वारंटी के अंतर्गत था, जुलाई 2019 से नवंबर 2019 तक निष्क्रिय पड़ा था। प्राप्त अभिलेखों से उपकरण के उपयोग न करने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।
- जगदलपुर में स्थापित ₹ 15.95 लाख की लागत वाली बच्चों एवं नवजात शिशुओं में श्रवण दोष की प्रारंभिक पहचान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ब्रेनस्टेम–इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री (बीईआरए) मशीन, ध्वनिरोधी कमरे के

[17] जीएमसी जगदलपुर, जीएमसी रायपुर, जीएसीएच राजनांदगांव

निर्माण न होने के कारण अपनी स्थापना (मार्च 2019) के बाद से उपयोग नहीं की जा सकी । जीएमसीएच जगदलपुर ने भी ध्वनिरोधी कमरे के निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

- जगदलपुर में स्थापित (नवंबर 2018) ₹ 13.97 लाख मूल्य के मल्टीपल लेजर सूट का उपयोग प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण स्थापना के बाद से ही नहीं किया जा रहा था । यद्यपि, स्थापना के समय जीएमसीएच जगदलपुर ने प्रमाणित किया था कि उपकरण के संचालन के लिए कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
- चार चिकित्सा उपकरण यानी ट्रेडमिल, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एवं वीडियो ईएमजी तथा नर्व कंडक्शन वेलोसिटी मशीन की कीमत ₹ 62.27 लाख है, जो जीएमसी, अंबिकापुर को सीजीएमएससीएल के माध्यम से आपूर्ति की गई थी। सभी चारों चिकित्सा उपकरण गैर–क्लीनिकल विभागों में स्थापित किए गए थे, जबकि एनएमसी के मानदंडों के अनुसार उन्हें केवल क्लीनिकल विभागों में ही स्थापित किया जाना था। इस प्रकार, सभी चारों चिकित्सा उपकरण अपनी स्थापना के बाद से एक से 3.5 वर्षों के बीच की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े रहे।

शासन ने बताया (अप्रैल 2023) कि संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को इन उपकरणों को जल्द से जल्द उपयोग में लाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

4.2.15.2 जिला चिकित्सालयों में ₹ 8.66 करोड़ मूल्य के चिकित्सा उपकरणों का निष्क्रिय पड़ा होना

छत्तीसगढ़ के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों के रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) मेडिसीटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सेवा प्रदाता) को दिया (अप्रैल 2018) गया था। तदनुसार, सेवा प्रदाता ने स्वास्थ्य संस्थानों के सभी उपकरणों को टैग करके उपकरण की प्रोफाइल एवं स्टेट्स सूची तैयार की थी।

लेखापरीक्षा ने सेवा प्रदाता के डाटाबेस से एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के उपकरणों को सूचीबद्ध किया था तथा कोंडागांव, कोरिया एवं बिलासपुर में चयनित जिला चिकित्सालयों का भौतिक सत्यापन किया था ।

भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित अवलोकन पाए गए:

- तीन डीएच में, ₹ 5.73 करोड़ मूल्य के 90 उपकरण निष्क्रिय पड़े थे। इन निष्क्रिय उपकरणों की परिचालन स्थिति उपयोग न होने के कारण खराब हो रही थी। इन उपकरणों को प्राप्त करने का उद्देश्य, प्राप्ति की तिथि एवं स्थापना डीएच के रिकॉर्ड में नहीं थे।
- इसके अलावा, प्रोफाइल के अनुसार, ₹ 1.36 करोड़ मूल्य के 28 उच्च मूल्य के उपकरण सेवा प्रदाता द्वारा इन उपकरणों को नष्ट करने का प्रस्ताव रखा गया था; तथापि, इन उपकरणों के निपटान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- तीन डीएच में ₹ 1.57 करोड़ के 53 उपकरण जो कि एएमसी के लिए जियो टैग्ड की सूची में शामिल थे संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान नहीं पाए गए एवं बायो मेडिकल इंजीनियर इसका कारण बताने में असमर्थ रहे।

4.2.15.3 प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों का निष्क्रिय रहना

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 4.55 करोड़ मूल्य के 357 चिकित्सा उपकरण चयनित जिलों/सीएचसी/पीएचसी विभिन्न कारणों जैसे कि रीजेंट की गैर–आपूर्ति, कर्मचारियों

की कमी एवं अनावश्यक आपूर्ति आदि से निष्क्रिय पड़े थे, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- चयनित 16 सीएचसी/पीएचसी में प्रदाय ₹ 2.07 करोड़ के 34 चिकित्सा उपकरण, रीजेंट/मानवशक्ति/बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय पड़े रहे। (*परिशिष्ट – 4.5*)
- ₹ 2.24 करोड़ मूल्य के 317 उपकरण (आईसीयू बेड, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, कॉटरी मशीन आदि) चयनित जिलों के 13 सीएचसी/पीएचसी तथा छह सीएमएचओ को बिना किसी मांग के आपूर्ति किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ये उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे। (*परिशिष्ट – 4.6*)
- ₹ 24.05 लाख मूल्य के छह उपकरण पाँच सीएचसी/पीएचसी में आपूर्ति किये गये, लेकिन मानवशक्ति की कमी के कारण वे निष्क्रिय पड़े रहे। (*परिशिष्ट – 4.7*)

2. ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्टर, सीएचसी कोंटाः 6 जनवरी 2022

3. ऑटो क्लेव एचपी वर्टिकल, सीएचसी कोटा, बिलासपुरः 25 मार्च 2022

4. बायोकेमेस्ट्री एनालॉइजर, सीएचसी जनकपुर, कोरिया 28 अप्रैल 2022

5. यूरिन एनालॉइजरए सीएचसी जनकपुर कोरिया 28 अप्रैल 2022

4.2.16 सामग्री की आपूर्ति में विलंब के कारण आपूर्तिकर्ता से ₹ 4.62 करोड़ की वसूली नहीं किया जाना

सीजीएमएससीएल ने निविदा संख्या 50/ईपी, 49(आर), 42(आर), 45/ईपी, 42/ईपी एवं 35/आर3 के अंतर्गत दाऊ कल्याण सिंह पोस्ट ग्रेज्युएट एंड रिसर्च सेंटर इंस्टीट्युट (डीकेएसपीजीआई) के लिए विभिन्न उपकरण क्रय किए हैं। निविदा की शर्तों के अनुसार, आदेशित पूरी मात्रा क्रय आदेश की दिनांक से 60 दिनों के भीतर आपूर्ति की जानी थी। देरी की स्थिति में, प्रतिदिन 0.2 प्रतिशत की दर से शास्ति लगाया जाना था, जो कि अप्राप्त मात्रा के अनुबंध मूल्य का अधिकतम 12 प्रतिशत होगा। यदि देरी 120 दिनों से अधिक है, तो क्रय आदेश रद्द माना जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2021) कि चार आपूर्तिकर्ताओं[18] ने उक्त निविदाओं के संबंध में समय पर उपकरण की आपूर्ति नहीं की। इनकी आपूर्ति 142 से 477 दिनों के बीच के विलंब से की गई। यद्यपि, सीजीएमएससीएल ने इन आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 4.62 करोड़ की शास्ति वसूले बिना ₹ 38.51 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया (विवरण *परिशिष्ट – 4.8* में दर्शाया गया है)। इसके अलावा, छह मामलों में, तीन आपूर्तिकर्ताओं ने 120 दिनों के बाद सामग्री की आपूर्ति की जिसे सीजीएमएससीएल ने निविदा शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्वीकार कर लिया।

₹ 4.62 करोड़ की शास्ति वसूले बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करना न केवल अनियमित था, बल्कि यह आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने का भी मामला था।

दवाओं, औषधियों एवं कंज्युमेबल सामग्रियों का क्रय

दवाओं, औषधियों एवं कंज्युमेबल सामग्रियों के लिए आरसी को अंतिम रूप देने की समीक्षा पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

4.2.17 उच्च दरों पर दवाओं का क्रय

4.2.17.1 प्रचलित बाजार मूल्य की निगरानी के अभाव के कारण उच्च दर पर दवाओं एवं औषधियों के क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 5.05 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ

निविदा दस्तावेजों के अनुसार, बोलीदाताओं से एक वचनपत्र प्राप्त किया जाना था कि पिछले छह महीनों के दौरान किसी भी संगठन को उद्धृत दर से कम दर पर उसी सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई थी एवं इस निविदा के लिए अंतिम रूप से जारी आरसी की वैधता के दौरान किसी भी संगठन को उद्धृत दर से कम दर पर सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी। वचनपत्र के उल्लंघन के मामले में, निविदा आमंत्रण प्राधिकारी अमानत राशि एवं/या सुरक्षा निधि जब्त कर सकता है एवं/या फर्म को पांच साल की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर सकता है।

निविदा दस्तावेजों में यह भी शर्त थी कि यदि बोलीदाता छत्तीसगढ़ शासन के किसी अन्य विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रस्तावित मूल्य से कम कीमत पर उसी उत्पाद की आपूर्ति करता है, तो वही कम मूल्य वर्तमान निविदा में भी लागू होगा एवं लागत में अंतर की राशि बोलीदाता द्वारा क्रेता को वापस किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने

[18] मेसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन, मेसर्स मेडिग्लोब मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, अर्जो हंटले हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स एमडीडी मेडिकल सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

पाया कि 23 आपूर्तिकर्ताओं, जिसने अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2020 की अवधि में सीजीएमएससीएल को दवाईयों की आपूर्ति की थीं, ने इसी अवधि के दौरान अन्य पीएसयू (स्टेट मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन) को भी कम दरों पर 39 दवाओं की आपूर्ति की थी (विवरण के लिए ***परिशिष्ट – 4.9*** देखें)। सीजीएमएससीएल ने निर्धारित प्रारूप में वचनपत्र देने के बावजूद अक्टूबर 2020 तक इन आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 31.12 करोड़ की दवाएं अधिक दरों पर क्रय की। इस प्रकार, सीजीएमएससीएल द्वारा प्रचलित बाजार दर की निगरानी के अभाव के कारण ₹ 5.05 करोड़ रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। सीजीएमएससीएल ने अतिरिक्त व्यय की वसूली या संबंधित फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी कोई कार्यवाही नहीं की।

संचालक, डीएचएस ने बताया (दिसंबर 2022) कि सीजीएमएससीएल में दवाओं, कंज्युमेल सामग्रियों एवं उपकरणों के क्रय की निगरानी के लिए डीएचएस से एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

तथ्य यह रहा कि सीजीएमएससीएल में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विभिन्न संगठनों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री के दरों की निगरानी के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ₹ 5.05 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

4.2.17.2 आरडी किट के क्रय में आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के परिणामस्वरूप एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सीजीएमएससीएल को डीएचएस से मलेरिया के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट–10 (आरडी किट) के लिए एक मांगपत्र प्राप्त हुआ (जुलाई 2018)। तदनुसार, इसने गवर्नमेंट ई–मार्केटिंग (जेम) पोर्टल के माध्यम से आरडी किट के क्रय की प्रक्रिया शुरू की थी एवं 24 अगस्त 2018 को जेम पोर्टल पर आरडी किट की आवश्यकता/स्पेसिफिकेशन अपलोड किया था, जिसकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2018 थी। उत्तर में, नौ बोलियां प्राप्त हुईं एवं बोलियों के मूल्यांकन के बाद, सीजीएमएससीएल ने मेसर्स वॉक्सटर बायो लिमिटेड (मेसर्स वॉक्सटर) की बोली को अंतिम रूप दिया (29 अगस्त 2018) एवं ₹ 151.76 रुपये प्रति यूनिट[19] की दर से आरडी किट की आठ लाख यूनिट क्रय कीं, जिसकी कुल लागत ₹ 12.14 करोड़ थी ।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमी पाई (मार्च 2019):

उत्पादों की गुणवत्ता एवं आपूर्तिकर्ता की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए, सीजीएमएससीएल पूर्व–योग्यता आवश्यकता (पीक्यूआर) निर्धारित करता है। पीक्यूआर में उल्लेखित था कि बोलीदाता एक निर्माता होना चाहिए जिसके पास राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा जारी वैध स्वयं का विनिर्माण लाइसेंस हो या केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा जारी वैध आयात लाइसेंस रखने वाला प्रत्यक्ष आयातक हो। लेकिन मौजूदा मामले में सीजीएमएससीएल ने निविदा दस्तावेजों में पीक्यूआर के रूप में विशिष्ट आपूर्तिकर्ता के लाइसेंस क्रमांक (एमएच/101421 दिनांक 01/08/2015) का उल्लेख किया। लाइसेंस क्रमांक (एमएच/101421 दिनांक 01/08/2015) खाद्य एवं औषधि प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य द्वारा मेसर्स वॉक्सटर को जारी किया गया था । परिणामस्वरूप, नौ बोलीदाताओं में से आठ को बोली की पीक्यूआर को पूरा न करने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया एवं उक्त लाइसेंस का एकमात्र धारक मेसर्स वॉक्सटर एकमात्र पात्र योग्य आपूर्तिकर्ता बन गया। इस प्रकार, आपूर्तिकर्ता को योग्य बनाने के लिए पीक्यूआर में विशिष्ट संशोधन किए गए।

---

[19] प्रत्येक इकाई में 10 आरडी किट शामिल हैं

सीजीएसपीआर के नियम 4.5 के अनुसार, ₹ 10 लाख से अधिक मूल्य के खुले टेंडर के लिए बोली जमा करने की समय सीमा 30 दिन है। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस मामले में, सीजीएमएससीएल ने 24 अगस्त 2018 को आरडी किट के नियम एवं शर्तों एवं आवश्यकता को 27 अगस्त 2018 को जमा करने की अंतिम तिथि के साथ अपलोड किया, जिससे सीजीएसपीआर के अनुसार 30 दिनों के विरूद्ध केवल तीन दिन का समय मिला, जो सीजीएसपीआर का उल्लंघन था एवं इस प्रकार, इसने प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप केवल एक बोली प्राप्त हुई। इसके अलावा, जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी सीजीएमएससीएल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी (10 सितंबर 2018) एवं बोली प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। यद्यपि, सीजीएमएससीएल ने इस संबंध में जाँच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीजीएमएससीएल ने प्रचलित दरों की तर्कसंगतता का आकलन किए बिना जेम पोर्टल के माध्यम से ₹ 151.76 प्रति यूनिट की दर से बोली को अंतिम रूप दिया (29 अगस्त 2018)। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीपीएचएससीएल) ने खुली निविदा के माध्यम से मेसर्स एस्पेन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड से ₹ 139.22 प्रति यूनिट की दर से आरडी किट की आरसी को अंतिम रूप दिया (जुलाई 2018) था। इस प्रकार, सीजीएमएससीएल ने आरडी किट को ₹ 12.54 प्रति यूनिट अधिक दरों पर क्रय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.00 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ ।

सीजीएमएससीएल ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2020) एवं कहा कि मामले को कार्रवाई शुरू करने के लिए शासन को भेजा गया था। यद्यपि, शासन ने अब तक (मार्च 2023) कोई कार्रवाई नहीं की है।

4.2.17.3 बिना निविदा आमंत्रित किए एवं मौजूदा आरसी की अनदेखी करके उच्च दरों पर ₹ 13.14 करोड़ की दवाओं के क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 1.86 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

आयुष से प्राप्त मांगपत्र (जुलाई 2016) के आधार पर, सीजीएमएससीएल ने एक वर्ष के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी दवाओं जैसा कि *तालिका – 4.12* में विस्तृत है की आरसी को अंतिम रूप देने के बाद, आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 12.17 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी दवाएं क्रय की थीं (जुलाई 2017 से दिसंबर 2018 तक)।

तालिका – 4.12: आयुष के संबंध में अंतिम रूप दिए गए आरसी का विवरण दिखाने वाला विवरण

क्र.	निविदा सं.	विवरण	आर.सी. को अंतिम रूप देने की तिथि
1	01/आयुर्वेदिक–शासकीय, दिनांक 06/03/2017	आयुर्वेदिक औषधियां	जुलाई 2017
2	01/होमियो, दिनांक 25/01/2017	होम्योपैथिक औषधियां	जुलाई 2017
3	01/यूनानी, दिनांक 04/02/2017	यूनानी औषधियां	जुलाई 2017

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

सीजीएमएससीएल को विभिन्न आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी औषधियों के लिए पुनः मांगपत्र प्राप्त हुआ (जनवरी एवं फरवरी 2018) एवं इसके जवाब में, इसने बिना कोई निविदा आमंत्रित किए मेसर्स फार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन (इंडियन मेडिसिन्स) केरल लिमिटेड (औषधि), मेसर्स द केरला स्टेट होम्योपैथिक को–ऑपरेटिव फार्मेसी

लिमिटेड (होमको) एवं मेसर्स इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) से नामांकन के आधार पर ₹ 13.14 करोड़ मूल्य की मांगपत्र वाली औषधियों क्रय की।

निविदा आमंत्रित किए बिना दवाओं की क्रय न केवल सीजीएसपीआर के नियम 4.3.3 का उल्लंघन था, बल्कि यह राज्य शासन के सार्वजनिक क्रय/सीजीएसपीआर (संशोधित) के निर्धारित सिद्धांतों के भी विरुद्ध था एवं इसलिए अनियमित था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मेसर्स औषधि, मेसर्स होमको एवं मेसर्स आईएमपीसीएल की दवाओं की दरें निविदाओं के तहत[20] अंतिम रूप दिए गए मौजूदा वैध आरसी से अधिक थीं। यद्यपि, मौजूदा आरसी की उपलब्ध कम दरों को नजरअंदाज करते हुए, सीजीएमएससीएल ने तीन आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 13.14 करोड़ की लागत वाली औषधियां क्रय की, वह भी बिना निविदाएं आमंत्रित किए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.86 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

4.2.17.4 मांग की गई मात्रा में कमी के कारण थोक क्रय के लाभ से वंचित होना पड़ा, जिसके कारण उच्च दर पर आरसी को अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप ₹ 4.09 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

पैरासिटामोल आईपी टैबलेट 500 मिलीग्राम एवं मलेरिया परीक्षण के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक (आरडी) किट की आपूर्ति के लिए विभाग से प्राप्त मांग (फरवरी 2018 एवं जनवरी 2019) के आधार पर, सीजीएमएससीएल ने क्रमशः मेसर्स मेडिको रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स एसडी बायोसेंसर के साथ आरसी को अंतिम रूप दिया था, जैसा कि *तालिका–4.13* में विस्तृत है:

तालिका–4.13 : दो दवाओं के संबंध में आरसी को दिखाने वाला विवरण

स. क्र.	दवा का नाम एवं दवा कोड	मांगपत्र का माह	मांग की गई मात्रा	निविदा मात्रा	निविदा को अंतिम रूप देने की तिथि	अंतिम दर (₹ प्रति इकाई कर सहित)	आपूर्तिकर्ता का नाम	आपूर्ति की गई मात्रा (लाख में)	आपूर्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	पैरासिटामोल आईपी टैबलेट 500 मिलीग्राम (डी395)	जनवरी 2018 से फरवरी 2018	16.28 लाख यूनिट[21] (1 यूनिट में 10 x 10 टैबलेट)	23,700 इकाई	17/12/2018	36.96	मेडिको रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड	34.79	12.86
2	मलेरिया परीक्षण के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक (आरडी) किट (डी 454 एम)	जनवरी 2019	5.09 लाख यूनिट[22] (1 यूनिट में 10 किट होते हैं)	3,120 इकाई	14/02/2020	123.09	एसडी बायोसेंसर	24.81	30.54

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों निविदाओं में पैरासिटामोल टैबलेट की 16.28 लाख इकाई एवं मलेरिया के लिए आरडी किट की 5.09 लाख इकाई के लिए मांग के बावजूद,

---

20 निविदा संख्या 01/आयुर्वेदिक –क्लासिक, 01/होम्यो एवं 01/यूनानी

21 डीएचएसः 10.59 लाख यूनिट; डीएमईः 0.23 लाख यूनिट; एवं मितानिनः 5.46 लाख यूनिट

22 डीएचएसः 5.00 लाख यूनिट एवं डीएमईः 0.09 लाख यूनिट

सीजीएमएससीएल ने निविदाओं में क्रमशः 23,700 इकाई एवं 3,120 इकाई की आवश्यकता का उल्लेख किया। जैसा कि ***तालिका – 4.13*** से स्पष्ट है, निविदा के समय आवश्यक मात्रा बहुत कम हो गई थी, अर्थात वास्तविक आवश्यकता से लगभग 99 प्रतिशत कम। निविदाओं को अंतिम रूप देने के बाद, सीजीएमएससीएल ने बाद में संबंधित दवाओं की 34.79 लाख एवं 24.81 लाख इकाईयां क्रय कीं। इस प्रकार, दवाओं की पर्याप्त आवश्यकता के बावजूद, आवश्यक मात्रा का केवल एक प्रतिशत ही निविदा किया गया एवं बाद में आवश्यक मात्रा में दवाएं क्रय की गईं। इसलिए, निविदा के दौरान आवश्यक मात्रा में कमी के कारण, थोक क्रय का लाभ नहीं उठाया जा सका।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि समान अवधि के दौरान वही दवाइयां अन्य राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कम दर पर क्रय की गईं, जैसा कि ***तालिका – 4.14*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका–4.14 : अन्य राज्यों में आपूर्तिकर्ता की आर.सी. का विवरण

अन्य राज्य का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	दर (जीएसटी सहित प्रति यूनिट)	वैधता	
			से	त्क
पैरासिटामोल आईपी टेबलेट 500 मिलीग्राम (डी 395)				
मध्य प्रदेश	सिप्को फार्मास्यूटिकल्स	29.80	01/09/2020	31/08/2022
गुजरात	डीप फार्मा	28.89	20/11/2018	30/09/2020
मलेरिया परीक्षण के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक (आरडी) किट (डी 454 एम)				
मध्य प्रदेश	एस्पेन लैबोरेटरीज लिमिटेड	116.66	15/09/2020	14/03/2022

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.09 करोड़ (पैरासिटामोल के लिए ₹ 2.49 करोड़[23] एवं आरडी मलेरिया किट के लिए ₹ 1.60 करोड़[24]) का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

सीजीएमएससीएल ने बताया (अगस्त 2022) कि फरवरी 2018 में डीएमई से 23,700 इकाईयों के लिए मांगपत्र प्राप्त होने के बाद 9 जुलाई 2018 को निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा आमंत्रण के बाद, 12 जुलाई 2018 को डीएचएस से 5.13 लाख इकाईयों के लिए मांगपत्र प्राप्त हुआ। इसलिए, 23,700 इकाइयों की सांकेतिक मात्रा के साथ निविदा आमंत्रित की गई थी। इसके अलावा, पारस्परिक वार्ता के दौरान, दर ₹ 33.75 से घटाकर ₹ 33 प्रति इकाई कर दी गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएमएससीएल ने निविदाकृत सामग्रियों को हटाने/समीक्षा करने एवं बोलियां प्रस्तुत करने की नियत तिथि बढ़ाने के लिए 12 जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018 तक सात संशोधन जारी किए, जिसमें मात्रा में कोई संशोधन नहीं किया गया।

---

[23] (₹ 36.96– ₹ 29.80) x 34,78,564 इकाई = ₹ 2,49,06,518 {पड़ोसी राज्य (मध्य प्रदेश) की दर पर विचार किया गया है}

[24] (₹ 123.09–₹ 116.66) x 24,80,728 = ₹ 1,59,51,081

4.2.17.5 मौजूदा दर अनुबंध को निरस्त करने एवं अगली निविदा में उसी दवा को उसी आपूर्तिकर्ता के साथ उच्च दर पर क्रय करने के कारण ₹ 44.20 लाख का परिहार्य व्यय

सीजीएमएससीएल को वर्ष 2017–18 के लिए विभिन्न प्रकार की दवाओं के लिए मांगपत्र प्राप्त हुए (नवंबर 2016), जिसमें एंटी टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन यूएसपी (डी46) की 22,550 यूनिट शामिल थीं। निविदाएं आमंत्रित करने के बाद, सीजीएमएससीएल ने मेसर्स भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड (मेसर्स भारत सीरम) के साथ एंटी टेटनस इम्युनोग्लोबुलिन के लिए ₹ 1,244.32 रुपये प्रति यूनिट की दर से आरसी को अंतिमीकृत किया (19 जुलाई 2018)। यद्यपि, सीजीएमएससीएल ने भारत सीरम को कोई पीओ जारी नहीं किया, अपितु सीजीएमएससीएल ने निविदा के अंतिम रूप देने के सात महीने बाद मेसर्स भारत सीरम की बोली को यह कहते हुए खारिज कर दिया (26 फरवरी 2019) कि ''बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उपर्युक्त उत्पादों की कीमतें उचित नहीं हैं एवं इसलिए उपर्युक्त उत्पादों को निरस्त किया जाता है''।

सीजीएमएससीएल ने बाद में एंटी टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन के क्रय के लिए नई निविदा (सं. 41एम) आमंत्रित की (28 फरवरी 2019)। मूल्यांकन के बाद, उसी फर्म मेसर्स भारत सीरम के साथ ₹ 1,496.25 प्रति यूनिट की उच्च दर पर निविदा को अंतिम रूप दिया गया (27 सितंबर 2019) एवं उसके बाद 30 सितंबर 2019 से 18 मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹ 2.66 करोड़ की कुल लागत पर 17,826 यूनिट्स क्रय की।

इस प्रकार, पूर्व की निविदा में एंटी टेटनस इम्यूनोग्लोब्युलिन के लिए अंतिम रूप से निर्धारित दरों को निरस्त करना तथा बाद की निविदा में उसी आपूर्तिकर्ता के साथ उच्च दर को अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप शासन को ₹ 44.90 लाख[25] का परिहार्य अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ा।

4.2.17.6 एंटी रेबीज वैक्सीन के क्रय में अनियमितताएं

सीजीएमएससीएल ने डीएचएस से प्राप्त 5.88 लाख इकाईयों के मांगपत्र (अक्टूबर 2016) के आधार पर 7 नवंबर 2016 से 8 मई 2018 की अवधि के लिए ₹ 122.40 प्रति यूनिट की दर[26] से मेसर्स इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (आईआईएल) के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) के लिए आरसी को अंतिम रूप दिया (अक्टूबर 2016)। सीजीएमएससीएल ने नवंबर 2016 से मार्च 2018 के दौरान ₹ 6.02 करोड़ मूल्य की कुल 4.87 लाख एआरवी इकाई क्रय की थी। यद्यपि, आरसी अवधि समाप्त होने के बाद, सीजीएमएससीएल ने आईआईएल को एआरवी की 23,151 इकाइयों की आपूर्ति के लिए पीओ (10 मई 2018) जारी किया, जिसे आईआईएल द्वारा आपूर्ति नहीं की गई थी।

सीजीएमएससीएल ने मांग होने के बावजूद मौजूदा आरसी की समाप्ति के पूर्व नए टेंडर आमंत्रित नहीं किए एवं मौजूदा आरसी की वैधता समाप्त होने के बाद, सीजीएमएससीएल ने एआरवी की तत्काल आवश्यकता के कारण नामांकन के आधार पर एआरवी क्रय करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (डीसीआई) से अनुमति मांगी (18 जून 2019)। डीसीआई ने सीजीएमएससीएल को मेसर्स आईआईएल से एआरवी की 10 लाख यूनिट क्रय करने की अनुमति दी (5 जुलाई 2019)। तदनुसार, सीजीएमएससीएल ने जून 2019 एवं जनवरी 2020 के

---

[25] 17,826 x (₹ 1,496.25 – ₹ 1,244.32)

[26] मेसर्स आईआईएल द्वारा प्राइज फॉल उपवाक्य का अनुपालन न करने के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्ति के आधार पर इसे ₹ 122.40 से संशोधित कर ₹ 113.95 प्रति यूनिट कर दिया गया।

मध्य मेसर्स आईआईएल से ₹ 262.50 प्रति यूनिट की दर से 3.80 लाख यूनिट क्रय की। अभिलेखों की जाँच करने पर लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

(क) मांग की गई मात्रा के अनुसार पीओ न देने के कारण ₹ 1.67 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 5.88 लाख एआरवी की मांगी गई मात्रा के विरूद्ध सीजीएमएससीएल ने 7 नवंबर 2016 से 8 मई 2018 तक अनुबंध अवधि के दौरान मेसर्स आईआईएल से केवल 4.87 लाख यूनिट की क्रय की। मांग की गई कुल मात्रा के लिए पीओ जारी न किए जाने के कारण, एआरवी की शेष मात्रा उच्च दरों पर क्रय की गई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

एआरवी की तत्काल आवश्यकता एवं सीजीएमएससीएल के गोदामों में स्टॉक खत्म होने के कारण, स्वास्थ्य संस्थानों ने स्थानीय क्रय के माध्यम से 2018–19 के दौरान ₹ 342.62 प्रति यूनिट की औसत दर पर ₹ 70.77 लाख मूल्य की 20,654 एआरवी इकाईयां क्रय की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.47 करोड़[27] का अतिरिक्त व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 80,653 इकाईयों की शेष मात्रा (जून 2019 से जनवरी 2020) मेसर्स आईआईएल से नामांकन के आधार पर ₹ 262.50 प्रति यूनिट की उद्धृत दर पर क्रय की गई थी, जो पिछली आरसी की निविदा दर से ₹ 148.55 अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप 80,653 इकाईयों के क्रय पर ₹ 1.20 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मांग होने के बावजूद आरसी की वैधता अवधि के भीतर पीओ जारी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.67 करोड[28] का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सीजीएमएससीएल ने बताया (दिसंबर 2022) कि आरसी की वैधता समाप्त होने के बाद त्रुटिवश क्रय आदेश जारी कर दिया गया था। आरसी की अनुपलब्धता एवं उपयोगकर्त्ता विभाग से मांगपत्र मिलने के कारण, डीसीआई से अनुमति प्राप्त करने के बाद नामांकन के आधार पर इसका क्रय किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएमएससीएल आरसी की वैधता अवधि के भीतर स्वास्थ्य संस्थानों की आवश्यकता के अनुसार पीओ जारी करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, शासन को एआरवी की शेष इकाईयों के क्रय पर ₹ 1.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

(ख) मेसर्स इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा उद्धृत दर की तर्कसंगतता का आकलन किए बिना स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीसीआई ने मेसर्स आईआईएल से नामांकन के आधार पर सीजीएमएससीएल को 10 लाख यूनिट एआरवी क्रय करने की अनुमति दी थी। सीजीएमएससीएल ने मेसर्स आईआईएल से ₹ 262.50 प्रति यूनिट की उद्धृत दर पर कुल 3.80 लाख यूनिट एआरवी क्रय की। लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य राज्यों में प्रचलित बाजार दर के साथ तुलना करके दरों की तर्कसंगतता का आकलन किए बिना दरों को स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि आईआईएल उसी अवधि के दौरान तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹ 207.90 प्रति यूनिट की कम

---

[27] 20,654 इकाई x (₹ 342.62 – ₹ 113.95) = ₹ 47,22,950

[28] ₹ 0.47 करोड़ + ₹ 1.20 करोड़

दर पर वही दवा आपूर्ति कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप एआरवी का क्रय उच्च दर पर हुआ एवं परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़[29] का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(ग) मांग किए गए वैरिएंट से विचलन के परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

सीजीएमएससीएल ने एआरवी (प्यूरिफाईड चिक इम्ब्रयो सेल – डी42ए) के लिए मेसर्स चिरोन बेह्रिंग वैक्सीन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एकल निविदा के आधार पर दवा कोड डी42ए के लिए ₹ 296.10 प्रति इकाई की दर से दर अनुबंध को अंतिम रूप दिया (फरवरी 2020) था एवं ₹ 13.42 करोड़ के कुल मूल्य की 4.53 लाख इकाईयां क्रय की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएचएस एवं डीएमई ने वर्ष 2019–20 के लिए एआरवी (सेलुलर कल्चर – डी42) की क्रमशः 6,00,000 एवं 83,000 इकाईयों की मांग की थी। यद्यपि, सीजीएमएससीएल ने डीएचएस एवं डीएमई के मांगें गए वैरिएंट को संशोधित करके दूसरे वैरिएंट यानी प्यूरिफाईड सेलुलर कल्चर (डी42) से महंगी थी। दोनों वैरिएंट का उपयोग कुत्ते के काटने के उपचार में किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप महंगे वैरिएंट के एआरवी (प्यूरिफाईड चिक इम्ब्रयो सेल) की निविदा को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें ₹ 1.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

यह भी उल्लेखनीय है कि मेसर्स आईआईएल ने निविदा को अंतिम रूप देने से पहले ₹ 253.05 प्रति यूनिट की दर से एआरवी की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया था (फरवरी 2020) । चूंकि डीसीआई ने नामांकन के आधार पर मेसर्स आईआईएल से 10 लाख यूनिट एआरवी क्रय करने की अनुमति दी थी एवं 10 लाख यूनिट में से, सीजीएमएससीएल ने 3,80,000 यूनिट क्रय की थी। तदनुसार, सीजीएमएससीएल शेष मात्रा (6.20 लाख यूनिट) मेसर्स आईआईएल से ₹ 253.05 प्रति यूनिट की अपनी उद्धृत दर पर क्रय कर सकता था। इसके परिणामस्वरूप मेसर्स आईआईएल द्वारा प्रस्तावित दर की तुलना में ₹ 1.95 करोड़[30] का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सीजीएमएससीएल ने बताया (दिसंबर 2022) कि पिछले सात निविदाओं में सेलुलर कल्चर वैरिएंट के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं होने के कारण, सीजीएमएससीएल ने प्यूरिफाईड सेलुलर कल्चर के अन्य वैरिएंट के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं क्योंकि दोनों वैरिएंट एक ही उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएमएससीएल ने सेलुलर कल्चर से प्यूरिफाईड सेलुलर कल्चर वैरिएंट को बदलने से पहले वित्तीय परिणामों का आकलन नहीं किया था। इसके अलावा, यह शुरू से ही सेलुलर कल्चर वैरिएंट क्रय कर रहा था। इसके अलावा, वही वैरिएंट अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु, राजस्थान एवं गुजरात के मेडिकल कॉरपोरेशन द्वारा भी क्रय किया गया था। सीजीएमएससीएल ने इस तथ्य को भी अनदेखा कर दिया कि मेसर्स आईआईएल कम दर पर एआरवी (सेलुलर कल्चर) की आपूर्ति करने के लिए तैयार था।

4.2.18 ब्लैकलिस्ट फर्मों से ₹ 23.98 करोड़ मूल्य की दवाओं का अनियमित क्रय

निविदा की नियमों एवं शर्तों में यह प्रावधान था कि यदि उत्पाद/आपूर्तिकर्ता को बोली प्रस्तुत करने/खोलने/अनुबंध प्रदान करने के बाद किसी अन्य राज्य या केन्द्रीय एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो उत्पाद/बोलीदाता/फर्मे ब्लैकलिस्ट या

---

[29] (3,80,000 – 1,01,307) X (₹ 262.50 – ₹ 207.90)

[30] 4,53,170 इकाई X (₹ 296.10–₹ 253.05)

अनुबंध/पीओ/एलओआई को रद्द/निरस्तिकरण/समाप्तिकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2022) कि सीजीएमएससीएल ने नौ आपूर्तिकर्ताओं[31] के साथ निविदाओं को अंतिम रूप दिया था, जिन्हें निविदाओं को अंतिम रूप देने के समय या उन्हें पीओ जारी करने के समय अन्य शासकीय एजेंसियों द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। सीजीएमएससीएल ने नौ ब्लैकलिस्ट किए गए आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 23.98 करोड़ की दवाईयाँ क्रय कीं, जैसा कि *परिशिष्ट – 4.10* में विस्तृत है, जो न केवल अनियमित था, बल्कि इसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ भी पहुँचाया गया। इन नौ आपूर्तिकर्ताओं में से छह को गुणवत्ता के मुद्दों के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया था। उन आपूर्तिकर्ताओं से दवाओं का क्रय, जिनके उत्पादों में गुणवत्ता के मुद्दे हैं, वांछित उपयोगकर्ताओं के लिए गंभीर एवं घातक स्वास्थ्य मुद्दे उत्पन्न कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि बोली लगाने के समय दो बोलीदाताओं[32] को अन्य शासकीय एजेंसियों द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। यद्यपि, उन्होंने निविदा दस्तावेजों के साथ इस आशय का झूठा वचनपत्र दिया था कि उन्हें किसी अन्य शासकीय एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण वे ब्लैकलिस्ट किए जाने के लिए उत्तरदायी हो गए। झूठा वचनपत्र प्रस्तुत करने के बावजूद, सीजीएमएससीएल ने निविदा की शर्तों एवं नियमों के अनुसार इन बोलीदाताओं के विरूद्ध अमानत राशि/ सुरक्षा निधि/परफॉरमेंस गॉरंटी जब्त करना, ब्लैकलिस्ट करना आदि जैसी कोई कार्यवाही नहीं की।

4.3 गुणवत्ता आश्वासन

सीजीएमएससीएल ने क्रय की गई दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग की स्थापना की थी। पैनल में शामिल प्रयोगशालाओं से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तक दवाओं को सीजीएमएससीएल के गोदामों में अलग से रखा जाता है। गुणवत्ता परीक्षण पास करने वाली दवाओं को स्वास्थ्य संस्थानों को वितरित किया जाता है एवं जो दवाएं गुणवत्ता नियंत्रण जाँच (मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं–एनएसक्यू) में विफल रहती हैं उन्हें आपूर्तिकर्ताओं को वापस कर दिया जाता है।

यदि आपूर्ति की गई दवाओं को एनएसक्यू घोषित किया जाता है, तो संबंधित आपूर्तिकर्ता को एनएसक्यू घोषित करने के 30 दिनों के भीतर आपूर्ति की गई दवाओं को बदलना होगा एवं एनएसक्यू स्टॉक के 20 प्रतिशत की दर से शास्ति जमा करना होगा। किसी भी मामले में, यदि एनएसक्यू स्टॉक 30 दिनों के भीतर नहीं उठाया जाता है, तो शास्ति के अलावा आपूर्तिकर्ता से प्रतिदिन 0.1 प्रतिशत की दर से एवं अधिकतम छह प्रतिशत की दर से डेमरेज शुल्क भी वसूला जाता है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

---

31 मेसर्स सार बायोटेक, मेसर्स क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेलोन लैबोरेटरीज लिमिटेड, सिरोन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनिक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, सिंडिकेट फार्मा, मेसर्स नेस्टर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गोल्डविन मेडिकेयर लिमिटेड, सिप्को फार्मास्यूटिकल्स

32 सिरोन ड्रगस एण्ड़ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं यूनीक्योर इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड

4.3.1 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एनएसक्यू दवाओं को प्रतिस्थापित न करना तथा ऐसे चूककर्ता आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 1.69 करोड़ रुपये की शास्ति तथा ₹ 24.60 लाख के डेमरेज शुल्क की वसूली नहीं करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016–22 की अवधि के दौरान, सीजीएमएससीएल ने विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई ₹ 8.48 करोड़ मूल्य की विभिन्न प्रकार की दवाओं के 383 बैचों को एनएसक्यू घोषित किया। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ताओं ने ₹ 4.10 करोड़ मूल्य की एनएसक्यू दवाओं को 30 दिनों के निर्धारित समय के भीतर प्रतिस्थापन के लिए नहीं उठाया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सीजीएमएससीएल ने एनएसक्यू दवाओं के प्रतिस्थापन के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया एवं न ही ₹ 1.69 करोड़ की शास्ति वसूला एवं न ही दोषी आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 24.60 लाख का डेमरेज शुल्क वसूला। इसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 1.93 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ, जिन्होंने घटिया गुणवत्ता वाली दवाएं आपूर्ति की एवं उन्हें बदलने में विफल रहे।

शासन ने बताया (दिसंबर 2022) कि जिन आपूर्तिकर्ताओं ने एनएसक्यू दवाएं नहीं बदली हैं, उनसे वसूली की प्रक्रिया प्रगति पर है।

4.3.2 स्वास्थ्य संस्थानों को गैर–मानक गुणवत्ता (एनएसक्यू) दवाओं का वितरण

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016–22 की अवधि के दौरान, विभिन्न दवाओं के 129 बैच, जो सीजीएमएससीएल द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों को जारी किए गए थे, का सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं में दोबारा परीक्षण किया गया एवं ये सभी 129 बैच एनएसक्यू पाए गए। एनएसक्यू घोषित करने के बावजूद, सीजीएमएससीएल ने इन एनएसक्यू दवाओं को वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। रोगियों को ऐसी एनएसक्यू दवाओं के वितरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

शासन ने बताया (दिसंबर 2022) कि अधिकृत प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता जाँच के बाद ही स्वास्थ्य संस्थानों को दवाएं जारी की जाती हैं। आगे कहा गया कि अगर दवाओं का दोबारा परीक्षण किया जाता है एवं वे एनएसक्यू पाई जाती हैं, तो उन्हें डीपीडीएमआईएस सॉफ्टवेयर में रोक दिया जाता है। इसलिए, एनएसक्यू दवाएं जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

यह उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि ऐसी दवाओं की 129 बैच निर्गमित की गईं एवं इन्हें एनएसक्यू पाए जाने के बाद भी स्वास्थ्य संस्थानों से वापस नहीं लिया गया एवं इन्हें डीपीडीएमआईएस प्रणाली में वितरित दिखाया गया है।

केस स्टडी

सीजीएमएससीएल ने ओमेप्राजोल 20 एमजी+डोमपेरिडॉन 10 एमजी (ड्रग कोड एसपी1717) के लिए मेसर्स मान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात के साथ ₹ 11.09 रुपये प्रति यूनिट की दर से निविदा (निविदा संख्या 02/एसपी/2017–18) को अंतिम रूप दिया (जून 2018) एवं ₹ 57.72 लाख मूल्य की 5.20 लाख यूनिट क्रय की (मई 2019) । निविदा दस्तावेज के उपवाक्य 9.2 के अनुसार, यदि नमूने को ''मानक गुणवत्ता का नहीं'' या नकली या मिलावटी या गलत ब्रांड वाला घोषित किया जाता है, तो ऐसे बैच/बैचों को अस्वीकृत माल माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स मान फार्मास्यूटिकल्स द्वारा आपूर्ति की गई दवा को परीक्षण के लिए सूचीबद्ध प्रयोगशाला में भेजा गया था। परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस दवा एसपी–1717 को आईपी 2018 के मानक के अनुरूप नहीं पाया एवं परीक्षण

प्रयोगशाला द्वारा (सितंबर 2019) इसे ''मिसब्रांडेड'' घोषित कर दिया गया था। इसलिए, इस दवा को आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक था। इसके विपरीत, एवं निविदा नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए, सीजीएमएससीएल ने नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ से अभिमत प्राप्त करने (अप्रैल 2020) के बाद इस दवा एसपी–1717 के ऐसे सभी बैचों को स्वीकार कर लिया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 57.72 लाख मूल्य की मिसब्रांडेड दवाओं का अनियमित क्रय हुआ एवं मेसर्स मान फार्मास्यूटिकल्स को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया।

4.4 इन्वेंटरी एवं वेयरहाउस प्रबंधन

4.4.1 इन्वेंटरी प्रबंधन

4.4.1.1 अधिक उठाव वाली (फास्ट मूविंग) दवाओं के स्टॉक का प्रबंधन

सीजीएमएससीएल अपने दवा गोदामों के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को दवाएं जारी करता है। गोदामों में भंडारित दवाएं डॉक्टर के पर्चे के आधार पर स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा आम जनता/रोगियों को वितरित की जाती हैं। इसलिए, सीजीएमएससीएल के लिए दवाओं के वैज्ञानिक रूप से इन्वेंटरी प्रबंधन को अपनाना आवश्यक हो जाता है, जिसमें फास्ट मूविंग दवाएं, स्लो मूविंग दवाएं, गैर–दवाओं की पहचान, न्यूनतम स्तर का निर्धारण, पुनः आदेश स्तर, दवाओं का अधिकतम स्तर, आपूर्ति के लिए लगने वाला लीड समय का आकलन एवं किसी विशेष दवा के गोदामों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में पिछले उपभोग पैटर्न एवं मौजूदा स्टॉक के आधार पर भविष्य की आवश्यकता का आकलन करके पीओ जारी करना शामिल था।

छत्तीसगढ़ शासन ने सीजीएमएससीएल को तीन महीने की आवश्यकता के लिए अपने गोदामों में ईडीएल दवाओं का बफर स्टॉक बनाए रखने का निर्देश दिया (जून 2013)। साथ ही अगले दो महीनों की आवश्यकता के लिए दवाओं के क्रय के लिए अग्रिम पीओ जारी करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, डीएचएस ने 142 प्रकार की अति–आवश्यक दवाओं यानी फास्ट मूविंग दवाओं की पहचान की, जिन्हें डॉक्टर नियमित रूप से मरीजों को प्रेस्क्राइब करते थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीजीएमएससीएल ने नमूना जाँच किए गए पाँचों गोदामों[33] में से किसी में भी फास्ट–मूविंग आवश्यक दवाओं का स्टॉक नहीं रखा था एवं 30 श्रेणियों के अंतर्गत 128 आवश्यक दवाएं 1 दिन से 1,826 दिनों के बीच की अवधि के लिए स्टॉक में नहीं थीं ।

फास्ट–मूविंग दवाओं के स्टॉक खत्म होने के कारण, स्वास्थ्य संस्थानों को इन दवाओं को स्थानीय स्तर पर ऊंची दरों पर क्रय करना पड़ता था अथवा मरीजों को अपने खर्चे पर क्रय करना पड़ता था। इस प्रकार, सीजीएमएससीएल के गठन का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया क्योंकि यह स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने में विफल रहा।

4.4.2 दवाओं का कालातीत होना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीजीएमएससीएल के गोदामों में प्रतिवर्ष अत्यधिक मात्रा में दवाएं कालातीत हो जाती हैं।

वर्ष 2016–17 से 2021–22 की अवधि के दौरान कालातीत दवाओं का मूल्य *तालिका – 4.15* में दिया गया है:

[33] अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर एवं रायपुर

तालिका – 4.15: वर्ष 2016–17 से 2021–22 के दौरान कालातीत दवाओं का वर्षवार मूल्य

वर्ष	कालातीत दवाओं का मूल्य (₹ करोड़ में)
2016–17	0.40
2017–18	0.43
2018–19	14.47
2019–20	12.48
2020–21	3.24
2021–22	2.61
कुल	**33.63**

(स्त्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराया गए ऑकड़ें)

चयनित सात स्वास्थ्य संस्थानों[34] एवं कार्यान्वयन इकाईयों की 2018–21 की अवधि के दौरान की नमूना जाँच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 95 श्रेणियों के अंतर्गत, 1,19,372 दवाएं एवं कंज्युमेबल सामग्रीएँ कालातीत हो चुकी थीं। दवाओं के कालातीत होने के कुछ उदाहरणों पर आगे चर्चा की गई है:

4.4.2.1 वर्तमान स्टॉक एवं उपभोग प्रवृत्ति का आंकलन किए बिना क्रय आदेश देने के परिणामस्वरूप दवाओं का कालातीत होना – ₹ 9.53 करोड़

लेखापरीक्षा ने पाया कि क्रय आदेश देने से पहले, सीजीएमएससीएल ने पिछले वर्ष के उपभोग प्रवृत्ति, उपलब्ध स्टॉक एवं भविष्य की आवश्यकता का आकलन नहीं किया, जो दवाओं के कालातीत होने के मुख्य कारणों में से एक था। दवा के कालातीत होने उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) विटामिन बी12 इंजेक्शन

सीजीएमएससीएल को विटामिन बी12 इंजेक्शन (डी 526) के क्रय के लिए डीएचएस से 45.56 लाख इकाईयों का मांगपत्र प्राप्त हुआ (जनवरी 2016) जिसे संशोधित कर 46.63 लाख इकाई कर दिया गया (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2021) कि सीजीएमएससीएल ने दो आपूर्तिकर्ताओं[35] से ₹ 5.16 करोड़ मूल्य के विटामिन बी12 इंजेक्शन की 46.63 लाख यूनिट की मांग की गई मात्रा के विरूद्ध 54.91 लाख यूनिट अप्रैल 2017 तक क्रय की जबकि डीएचएस/डीएमई से कोई अतिरिक्त मांग नहीं की गई थी। सीजीएमएससीएल ने गोदाम एवं स्वास्थ्य संस्थानों में स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद नवंबर 2016 एवं अप्रैल 2017 के बीच दवा की पूरी मात्रा के लिए पीओ जारी किए। परिणामस्वरूप, नवंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच ₹ 1.56 करोड़ मूल्य के विटामिन बी12 इंजेक्शन की कुल 16.64 लाख यूनिट कालातीत हो गईं।

विटामिन बी12 इंजेक्शन की 16.64 लाख इकाईयों का कालातीत होना, विक्रेताओं को पीओ जारी करने के सिस्टम में अनियमितता को दर्शाता है, जैसा कि ***तालिका – 4.16*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

---

[34] समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रः डोण्डी, डौण्ड़ीलोहारा, आरंग, तिल्दा, छिंदगढ़, कोण्टा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोण्डागांव

[35] क्वालिटी–37.56 लाख एवं अल्फा– 17.36 लाख, ₹ 9.39 प्रति यूनिट की दर से

तालिका – 4.16: विटामिन बी12 के लिए जारी किए गए पीओ का विवरण

क्र. सं.	पीओ नंबर	दिनांक	विक्रेता	पीओ मात्रा	प्राप्त मात्रा	प्राप्ति की दिनांक	प्राप्त दवा का मूल्य (₹)
1	ड्रग सेल/16–17/18600648	26/11/2016	क्वालिटी	6,74,800	6,74,800	29–12–2016 से 10–01–2017	63,36,372
2	ड्रग सेल/16–17/18600826	08/12/2016	क्वालिटी	10,35,000	10,34,775	25–01–2017 से 06–03–2017	97,16,537
3	ड्रग सेल/16–17/18600851	16/12/2016	क्वालिटी	10,49,400	10,49,238	09–03–2017 से 06–04–2017	98,52,345
4	ड्रग सेल/16–17/187700901	05/01/2017	अल्पा .	10,35,000	9,17,912	17–02–2017 से 11–04–2017	86,19,194
5	ड्रग सेल/16–17/18700913	07/01/2017	अल्पा	8,18,100	8,17,606	27–03–2017 से 27–05–2017	76,77,320
6	ड्रग सेल/17–18/18600097	29/04/2017	क्वालिटी	10,00,000	9,96,975	05–06–2017 से 05–09–2017	93,61,595
कुल				**56,12,300**	**54,91,306**		**5,15,63,363**

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

इसके विरूद्ध, दिसंबर 2016 से मई 2017 के दौरान प्रत्येक माह के अंत में दवा की स्टॉक स्थिति का विवरण *तालिका–4.17* में दर्शाया गया है:

तालिका–4.17: दिसंबर 2016 से मार्च 2019 के दौरान विटामिन बी12 दवा का अंतिम स्टॉक

माह	माह का प्रारंभिक स्टॉक	माह के दौरान प्राप्ति	माह के दौरान कुल निर्गम	माह का अंतिम स्टॉक
दिसम्बर 2016	0	2,17,430	0	2,17,430
जनवरी 2017	2,17,430	8,00,825	500	10,17,755
फरवरी 2017	10,17,755	7,54,072	84,200	16,87,627
मार्च 2017	16,87,627	18,13,417	1,65,015	33,36,029
अप्रैल 2017	33,36,029	5,41,841	1,18,065	37,59,805
मई 2017	37,59,805	3,16,856	79,290	39,97,371
मार्च 2018	39,96,579	2,77,760	1,38,880	41,35,459
मार्च 2019	15,34,430	91,940	45,970	15,80,400

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

तालिका – 4.16 एवं *4.17* से यह देखा जा सकता है कि सीजीएमएससीएल ने विटामिन बी12 इंजेक्शन के क्रय से पहले पिछले वर्ष के उपभोग (94,280 यूनिट) पैटर्न के साथ–साथ वर्तमान स्टॉक का आकलन नहीं किया, जिसके कारण स्टॉक का स्तर बढ़ता रहा एवं मार्च 2018 के दौरान यह अधिकतम सीमा पर पहुंच गया था।

इस प्रकरण में, 31 मार्च 2017 तक स्टॉक में 33.36 लाख यूनिट दवाओं की उपलब्धता के बावजूद, सीजीएमएससीएल ने इस इंजेक्शन की 10 लाख यूनिट की आपूर्ति के लिए विक्रेता को अतिरिक्त आदेश दिए। इसलिए, ₹ 93.39 लाख मूल्य के विटामिन बी12 इंजेक्शन की अतिरिक्त 10 लाख यूनिट का क्रय अनावश्यक था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ₹ 1.56 करोड़ मूल्य के विटामिन बी12 इंजेक्शन कालातीत हुए ।

सीजीएमएससीएल ने बताया (जनवरी 2020) कि वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिए 57.68 लाख यूनिट के मांगपत्र के विरूद्ध विटामिन बी12 इंजेक्शन (डी526) की 54.91 लाख यूनिट क्रय की गईं। सीजीएमएससीएल ने आगे बताया कि उपयोगकर्ता विभागों से प्राप्त मांग के अनुसार दवाएं क्रय की गईं। जब स्वास्थ्य संस्थान मांगपत्र नहीं भेजते हैं, तो दवाएं जारी नहीं की जाती है एवं इस तरह समय बीतने के बाद दवाएं कालातीत हुईं, जिसके लिए सीजीएमएससीएल जिम्मेदार नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीजीएमएससीएल ने अवास्तविक मांग के आधार पर आवश्यकता से अधिक दवाएं क्रय की थीं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ₹ 1.56 करोड़ मूल्य की दवाएं कालातीत हो गईं। इसके अलावा, वर्ष 2017–18 के लिए नए मांगपत्र की प्राप्ति के बाद, पूर्व वर्ष अर्थात 2016–17 का मांगपत्र निरर्थक हो गया था।

(ख) सेट्रीज़ीन सिरप एवं एमोक्सिसिलिन पाउडर

लेखापरीक्षा ने पाया कि सेट्रीजीन सिरप (डी583) एवं एमोक्सिसिलिन पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन आईपी (डी 30) का क्रय संचालनालयों द्वारा मांगी गई मात्रा के आधार पर की गई थी, जिसमें उपभोग पैटर्न एवं वर्तमान स्टॉक की उपलब्धता एवं उपभोग प्रवृत्ति के आधार पर वास्तविक आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ₹ 2.35 करोड़ मूल्य की ये दवाएं कालातीत हुई, जैसा कि *तालिका – 4.18* में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका – 4.18: सेट्रीजीन सिरप एवं एमोक्सिसिलिन पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन के संबंध में मांग मात्रा, पिछली खपत, वास्तविक क्रय, स्टॉक स्थिति एवं कालातीत मात्रा का विवरण

दवा का नाम: सेट्रीजीन सिरप आईपी–5एमजी/5एमएल								
ड्रग कोड: डी583								
कुल मांग	पिछले वर्ष की खपत	क्रय दिनांक	क्रय की गई मात्रा	दर (₹ प्रति यूनिट)	आपूर्तिकर्ता का नाम	पीओ दिनांक पर स्टॉक की स्थिति	कालातीत मात्रा	कालातीत दवाओं का मूल्य (₹)
2,09,08,350	23,55,304	03–01–2017	41,64,039	12.55	कर्नाटक एंटीबायोसि फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	0	13,71,477 (31/12/2018 से 31/01/2019 के दौरान समाप्त)	1,72,12,036
		30–03–2017	10,40,064	12.55		38,34,639		
2,09,08,350	**23,55,304**		**52,04,103**					**1,72,12,036**
दवा का नाम: एमोक्सिसिलिन पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन आई पी								
ड्रग कोड: डी 30								
26,37,170	1,53,280	17–06–2016	61,860	9	येलुरी फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड	34,170	6,99,504 (समाप्त अवधि: 30/06/2018 से 31/10/2018 तक	62,95,536
		17–06–2016	41,240	9	भारत पैरेंटरल्स लिमिटेड			
		12–09–2016	2,45,800	9		71,135		
		30–11–2016	10,38,104	9		2,61,639		
		08–12–2016	1,08,000	9		2,29,444		
		09–12–2016	1,69,500	9		2,26,284		
26,37,170	**1,53,280**		**26,36,504**				**6,99,504**	**62,95,536**

(स्रोत: सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

सीजीएमएससीएल ने बताया कि उपयोगकर्ता विभागों से प्राप्त मांगपत्र के अनुसार, सीजीएमएससीएल ने दवाएं क्रय की। दवाएं क्रय करने के बाद, दवाओं को स्वास्थ्य संस्थानों को उनके मासिक मांगपत्र के आधार पर जारी किया गया। जब स्वास्थ्य संस्थानों ने मांगपत्र नहीं भेजा, तो दवाएं जारी नहीं की गईं एवं इस प्रकार समय बीतने के बाद दवाएं कालातीत हो गईं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सीजीएमएससीएल क्रय आदेश देने से पहले वर्तमान स्टॉक एवं उपभोग की प्रवृत्ति का आकलन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः दवाएं कालातीत हो गईं।

(ग) कैफीन साइट्रेट इंजेक्शन

सीजीएमएससीएल को डीएमई से विभिन्न दवाओं के लिए मांगपत्र (फरवरी 2019/मई 2020) प्राप्त हुआ, जिसमें वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए कैफीन साइट्रेट 20 एमजी/एमएल इंजेक्शन (ड्रग कोड डी574) की क्रमशः 1,540 यूनिट एवं 87,512 यूनिट शामिल थीं। तदनुसार, सीजीएमएससीएल ने मेसर्स मान फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (मेसर्स मान फार्मा) के साथ ₹ 504 प्रति यूनिट की दर से आरसी को अंतिम रूप दिया (13 फरवरी 2020) एवं ₹ 4.41 करोड़ मूल्य की 87,500 यूनिट क्रय की (मई एवं जून 2020)।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2021) कि पिछले वर्षों 2017–18 एवं 2018–19 में कैफीन साइट्रेट इंजेक्शन का उपभोग क्रमशः मात्र 1,200 एवं 1,000 यूनिट था, तथापि, आगामी वर्षों के लिए क्रय आदेश जारी करते समय इस उपभोग प्रवृत्ति पर विचार नहीं किया गया एवं सीजीएमएससीएल ने मांग की गई कुल मात्रा के लिए क्रय आदेश जारी कर दिया। क्रय किये गए एवं चिकित्सालयों को जारी किए गए मात्रा का विवरण *तालिका – 4.19* में दिया गया है:

तालिका – 4.19: क्रय किये गए एवं स्वास्थ्य संस्थानों को जारी किये गए दवाओं का विवरण

वर्ष	प्रारंभिक शेष (वित्त वर्ष की 1 अप्रैल में)	प्राप्ति			निर्गम		शेष मात्रा	वर्ष में क्रय की गई मात्रा की अधिकता	अधिक क्रय की गई मात्रा का मूल्य (₹)
		पीओ के विरुद्ध कुल प्राप्ति	प्राप्ति की तिथि	क्यूसी से प्राप्ति/अंतर्गोदाम प्राप्ति	स्वास्थ्य संस्थान को दी गई मात्रा	क्यूसी को दी गई/अंतर्गोदाम मात्रा			
2019–20	170	1000	04/01/20 से 08/01/20 तक	220	830	310	250	..	..
2020–21	250	87,500	12/5/20 से 24/6/20 तक	4,750	26,233	4,950	61,317	61,267	3,08,78,568
2021–22	61,317	0	..	402	56,931	392	4,396 (कालातीत)	..	..

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, सीजीएमएससीएल के गोदामों में ₹ 22.16 लाख रुपये मूल्य के कैफीन साइट्रेट इंजेक्शन की 4,396 इकाईयाँ कालातीत हो गई थीं। यह उल्लेख करना उचित है कि कैफीन साइट्रेट इंजेक्शन का उपयोग समय से पहले जन्मे बच्चे के उपचार में किया जाता है एवं 2019–20 के दौरान रायगढ़ जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में समय से पहले प्रसव के 2,380 मामले थे। यद्यपि, जीएमसी चिकित्सालय, रायगढ़ ने 80,000 यूनिट का मांगपत्र दिया यानी पिछले वर्ष के

दौरान दर्ज किए गए कुल मामलों से लगभग 34 गुना अधिक। इसके अलावा, 87,500 इकाईयों की कुल क्रय की गई मात्रा में से, जीएमसी चिकित्सालय, रायगढ़ ने 75,570 यूनिट प्राप्त कर लिया था एवं उन्हें वार्डों को अत्अधिक मात्रा[36] में जारी कर दिया था। यद्यपि, वार्ड स्तर पर अभिलेखों की जाँच से पता चला कि मात्र 4,766 यूनिट का ही उपयोग किया गया एवं रायगढ़ जिले के स्वास्थ्य संस्थानों के वार्डों में ₹ 3.57 करोड़ मूल्य की शेष 70,804 यूनिट दवा कालातीत हो गईं । इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 3. 79 करोड़[37] मूल्य की दवाएं कालातीत हो गईं।

(घ) फैक्टर IX इंजेक्शन

डीएमई ने वर्ष 2020–21 के लिए फैक्टर IX कॉम्प्लेक्स (कोएगुलेशन फैक्टर II, VII, IX,X) इंजेक्शन ड्राइड (फैक्टर IX इंजेक्शन, ड्रग कोड डी215[38]) की 3,800 इकाईयों के लिए मांगपत्र भेजा, जिसमें जीएमसी चिकित्सालय, रायगढ़ के लिए 3,600 इकाईयां शामिल थीं। सीजीएमएससीएल ने मेसर्स बक्साल्टा बायो साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव (मेसर्स बक्साल्टा) के साथ आरसी को अंतिम रूप दिया (6 दिसंबर 2019) एवं ₹ 9,009 प्रति यूनिट की दर से ₹ 1.97 करोड़ रुपये मूल्य की 2,190 इकाईयां क्रय की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पिछले वर्षों में 2016–19 के मध्य डीएमई द्वारा मांगे गए फैक्टर IX इंजेक्शन की मात्रा प्रति वर्ष 110 से 300 यूनिट के बीच थी। जीएमसी चिकित्सालय, रायगढ़ ने दवाओं के कालातीत होने से ठीक पहले (31 दिनों से 251 दिनों के भीतर कालातीत होने वाली) सितंबर 2020 से अक्टूबर 2021 के मध्य ₹ 1.48 करोड़ रुपये के लागत वाली 1,644 यूनिट उठाई थीं एवं उन्हें अत्यधिक मात्रा में वार्डों को जारी किया गया था। जीएमसी चिकित्सालय, रायगढ़ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 1,644 इकाइयों में से केवल 90 इकाईयों का उपभोग किया गया था एवं शेष 1,554 इकाईयाँ जिनकी कीमत ₹ 1.40 करोड़ रुपये थी, वार्ड में कालातीत हो गई थीं।

इसके अलावा, 546 इंजेक्शन की शेष मात्रा में से, 496 को डीएचएस/डीएमई के स्वास्थ्य संस्थानों से बिना किसी भी मांग के पुश मैकेनिज्म के अंतर्गत भेज दिए गए थे एवं 50 इंजेक्शन सीजीएमएससीएल के गोदाम में कालातीत हो गए। इस प्रकार, ₹ 1.45 करोड़ मूल्य के फैक्टर IX इंजेक्शन की कुल 1,604 इकाईयाँ (क्रय की गई मात्रा का 73 प्रतिशत) कालातीत हो गईं (मई 2021 एवं नवंबर 2021), जिसके परिणामस्वरूप शासकीय खजाने को नुकसान हुआ।

(ङ) नेनोटैक्सेल 300 मिलीग्राम इंजेक्शन

सीजीएमएससीएल ने वर्ष 2020–21 के लिए डीएमई से प्राप्त नेनोटैक्सेल 300 एमजी इंजेक्शन (ड्रग कोड डी 699) के लिए 2,000 यूनिट की मांग के आधार पर मेसर्स फ्रेसेनियस काबी ऑन्कोलॉजी लिमिटेड के साथ ₹ 11,760 प्रति यूनिट की दर से आरसी को अंतिम रूप दिया (26 मई 2020) एवं निविदा संख्या 56 एम (आर) के तहत ₹ 2.35 करोड़ मूल्य की 2,000 यूनिट खरीदी (दिसंबर 2020)। इसमें से ₹ 38.22 लाख मूल्य के 325 यूनिट सितंबर 2022 में कालातीत हो गई थी। क्रय की गई मात्रा, स्वास्थ्य संस्थानों को भेजी गई एवं शेष मात्रा का विवरण *तालिका – 4.20* में दिया गया है:

---

[36] 2,000 यूनिट दिसम्बर 2021 मे; 5,000 यूनिट जनवरी 2022 मे; एवं 24,134 यूनिट फ़रवरी 2022 मे

[37] 4,396 यूनिट सीजीएमएससीएल के गोदाम मे एवं 70,804 यूनिट जीएमसीएच,रायगढ़ मे कालातीत हो गई (कुल मात्रा 75,200 x ₹ 504 प्रति यूनिट = ₹ 3.79 करोड़)

[38] इसका उपयोग हेमोफिलिया ए के उपचार के लिए किया जाता है

तालिका – 4.20: क्रय की गई मात्रा, स्वास्थ्य संस्थानों को भेजी गई एवं शेष मात्रा का विवरण

वर्ष	प्रारंभिक शेष	क्रय आदेश के विरुद्ध कुल प्राप्ति	प्राप्ति की तिथि	दवा का मूल्य (₹)	क्यूसी प्राप्ति/ अंतर्गोदाम प्राप्ति	स्वास्थ्य संस्थानों को भेजी गई मात्रा	क्यूसी/ अंत र्गोदाम निर्गम	शेष मात्रा	वर्ष के लिए क्रय की गई मात्रा की अधिकता	क्रय की गई अधिक मात्रा का मूल्य (₹)
2020–21	0	2000	1/12/20–11/12/20	2,35,20,000	0	580	45	1,375	1,420	1,66,99,200
2021–22	1,375	0	–	–	12	902	0	485	–	–
2022–23	485	0	–	–	0	0	10	475	–	–

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित)

चरणबद्ध तरीके से क्रय के स्थान पर पूरी मात्रा के लिए क्रय आदेश एक साथ जारी करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण शेल्फ लाइफ के भीतर दवाओं का उपयोग नहीं हो पाया। इसके अलावा, सीजीएमएससीएल द्वारा विभिन्न आवश्यक दवाओं के लिए कोई न्यूनतम स्तर/बफर स्टॉक तय नहीं किया गया है, जिसके कारण एक तरफ कुछ आवश्यक दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया एवं दूसरी तरफ अन्य दवाएं कालातीत हो गईं। यह क्रय आदेश देने की प्रभावी प्रणाली की कमी एवं अपर्याप्त इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है जैसा कि आगे की कण्डिकाओं में बताया गया है।

उपर्युक्त प्रकरणों से यह स्पष्ट है की विभाग ने वार्षिक मांग के अंतिमीकरण के समय पिछले उपभोग एवं उपलब्ध स्टॉक के आधार पर आवश्यकता के आकलन के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः दवाएं कालातीत हो गईं।

4.4.2.2 80 प्रतिशत से कम शेल्फ लाइफ वाली दवाओं को स्वीकार करने के कारण ₹ 3.27 करोड़ मूल्य की दवाओं का कालातीत होना

निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार, आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की सुपूर्दगी के समय शेल्फ लाइफ 80 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। 60 से 80 प्रतिशत शेल्फ लाइफ वाली आवश्यक दवाओं को प्रबंध संचालक सीजीएमएससीएल के अनुमोदन के बाद ही स्वीकार किया जाएगा, यदि आपूर्तिकर्ता/एजेंसी/निर्माता नोटरीकृत वचनपत्र प्रस्तुत करता है कि वह कालातीत हो चुकी दवा को नए बैच से मुफ्त में बदल देगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,156 मामलों में, सीजीएमएससीएल ने निविदा शर्तों का उल्लंघन करते हुए, सुपूर्दगी के समय 80 प्रतिशत से कम शेल्फ लाइफ वाली विभिन्न दवाएं प्राप्त की थीं। इनमें से, 57 मामलों में, दवाओं की शेल्फ लाइफ 60 प्रतिशत से कम थी। ऐसी दवाओं को स्वीकार करने के लिए अभिलेखों में कोई कारण नहीं पाया गया। परिणामस्वरूप, 36 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई ₹ 3.27 करोड़ की विभिन्न दवाएं गोदामों में कालातीत हो गईं, जैसा कि *परिशिष्ट – 4.11* में विस्तृत है। इसमें से, सीजीएमएससीएल ने केवल दो आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 3.49 लाख मूल्य की कालातीत दवाओं को बदला। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, सीजीएमएससीएल ने आठ आपूर्तिकर्ताओं का ₹ 1.71 करोड़ मूल्य की नौ दवाओं को बदलने का निर्देश दिया (5 अप्रैल 2022), जो कि जून 2019 एवं मार्च 2022 के बीच की अवधि के दौरान कालातीत हो गई थीं। यद्यपि, इन आठ आपूर्तिकर्ताओं ने दवाओं को प्रतिस्थापित नहीं किया (दिसंबर 2022) परन्तु सीजीएमएससीएल द्वारा

₹ 1.52 करोड़ मूल्य की कालातीत हो चुकी शेष दवाओं को बदलने या आपूर्तिकर्ताओं से यह राशि वसूलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ हुआ।

शासन ने आश्वासन दिया (दिसंबर 2022) कि आपूर्तिकर्ता के बिल से वसूली की जाएगी।

4.4.3 स्वास्थ्य संस्थानों में ₹ 2.32 करोड़ मूल्य के रीजेंट किट का कालातीत होना

नमूना जाँच किये गये 10 स्वास्थ्य संस्थानों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीजीएमएससीएल द्वारा 2020–22 की अवधि के दौरान आपूर्ति की गई ₹ 2.32 करोड़ मूल्य की रीजेंट किट कालातीत हो गई थीं क्योंकि तकनीकी कर्मचारी एवं उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा सका था, जैसा कि निम्नलिखित *तालिका – 4.21* में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है :

तालिका – 4.21: रीजेंट किट की समाप्ति का विवरण

क्र. स.	रीजेंट का विवरण	रीजेंट की कुल संख्या	रीजेंट का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	स्वास्थ्य संस्थान का नाम
1	फ्लोराइड आयन मीटर के लिए तिसाब II रीजेंट किट	200	1.33	सीएमएचओ, सूरजपुर
2	एचबीए1सी अनाल्यज़र के लिए एचबीए1सी रीजेंट किट	84	0.33	सीएमएचओः बिलासपुर (36 संख्या), कोरिया (38 संख्या)डी.एच., कोंडागांव (11 संख्या)
3	ब्लड सेल काउंटर के लिए सीबीसी रीजेंट किट	151	0.39	सीएचसी कोटा (13 संख्या), रतनपुर (7 संख्या), खरोरा (20 संख्या), तिल्दा (8 संख्या), आरंग (93 संख्या) एवं भैयाथान (10 संख्या)
4	फ्लोराइड कैलिबिरेशन किट	100	0.27	सीएमएचओ, सूरजपुर
कुल			**2.32**	

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित)

उपर्युक्त स्वास्थ्य संस्थानों में बड़ी संख्या में कालातीत किट से प्रतीत होता है कि विभाग के पास संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध उपकरणों एवं कर्मचारी के आधार पर रीजेंट किट की आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है।

4.4.4 पुश मैकेनिज्म में कमियां

स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा दवाओं का उठाव न करने की समस्या को दूर करने के लिए, सीजीएमएससीएल ने पुश मैकेनिज्म प्रारंभ किया (अगस्त 2015), जिसके अंतर्गत शीघ्र कालातीत होने वाली दवाओं को स्वास्थ्य संस्थानों को बिना किसी मांग के जारी किया गया ताकि इस कारण से नुकसान को कम किया जा सके।

इस प्रणाली को छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्य किया गया एवं इसने स्वास्थ्य संस्थानो को इन दवाओं की आपूर्ति के लिए 'पुश मैकेनिज्म' प्रारंभ (सितंबर 2019) करने का निर्देश दिया, जिसे स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा समय पर नहीं उठाया गया था। तदनुसार, सीजीएमएससीएल ने औपचारिक रूप से 'पुश मैकेनिज्म' प्रारंभ किया (अक्टूबर 2019)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीजीएमएससीएल ने स्वास्थ्य संस्थानो में दवाओं के उपभोग की प्रवृत्ति के आकलन किए बिना शीघ्र कालातीत होने वाली दवाओं (अर्थात दो से तीन महीने के भीतर कालातीत होने वाली) को पुश मैकेनिज्म के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में दवाएं जारी कर रहा था। लेखापरीक्षा ने 3,528 मामलों (9 नवंबर 2016 से 20 जनवरी 2021 के दौरान) में यह पाया कि ₹ 4.87 करोड़ मूल्य की 179 दवाओं को कालातीत होने से मात्र दो माह पहले स्वास्थ्य संस्थानों को जारी किया गया। कुछ प्रकरणों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसी दवाओं की थोक में प्राप्ति के बाद, स्वास्थ्य संस्थानों के औषधि भंडार ने तुरंत ही उन्हें ओपीडी एवं आईपीडी को मरीजों को आगे वितरण के लिए भेज दिया। परिणामस्वरूप, संबंधित दवाएं सीजीएमएससीएल के गोदामों के स्टॉक के साथ–साथ स्वास्थ्य संस्थानों के भंडार से भी समाप्त हो गई तथा डीपीडीएमआईएस मे कालातीत दवाओं की सूची में शामिल होने से बच गई।

इसके अलावा, पुश मैकेनिज्म का एक नुकसान यह था कि निर्धारित शेल्फ–लाइफ से कम समय के साथ स्वीकार की गई दवाएं आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिस्थापित होने से बच जाती थीं। स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी को जारी की गई दवाओं के ऑडिट ट्रेल के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि पुश मैकेनिज्म के तहत जारी की गई दवाओं का वास्तव में उपयोग किया गया था या नहीं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

(क) सीजीएमएससीएल ने फरवरी 2019 की कालातीत तिथि वाली मल्टीविटामिन सिरप की 17.23 लाख बोतलें स्वास्थ्य संस्थानों को जारी की (जनवरी 2019), जो औसत मासिक निर्गमित मात्रा 2.26 लाख बोतलों से अधिक थी। प्राप्ति के बाद, स्वास्थ्य संस्थानों ने जनवरी 2019 में ओपीडी/आईपीडी को मरीजों को आगे वितरण के लिए ₹ 16.03 लाख बोतलें भी जारी की। इससे ये इंगित होता है कि यह दवाएं स्वास्थ्य संस्थानों को इनके कालातीत होने से ठीक पहले निर्गमित की गईं थी।

(ख) सीजीएमएससीएल ने जीएमसीएच, रायपुर को रिबोसिक्लिब 200 एमजी टैब (ड्रग कोड एसपी 19541) के 500 एसकेयू[39] 31 मार्च 2022 की कालातीत तिथि से ठीक एक महीने पहले भेजी (28 फरवरी 2022)

(ग) सीजीएमएससीएल द्वारा चार जीएमसीएच[40] को ₹ 6.16 लाख मूल्य की 26 प्रकार की दवाएं उनकी कालातीत तिथि (कालातीत तिथि के एक से तीन महीने के भीतर) से ठीक पहले निर्गमित की गई थी एवं उन्हें बिना किसी मांग के वार्डों को जारी कर दिया गया था, जो बाद में वार्ड स्तर पर कालातीत हो गई।

केस स्टडी

सीजीएमएससीएल ने प्रबंध संचालक के अनुमोदन के साथ अपने गोदाम में 74 प्रतिशत शेल्फ–लाइफ वाली ₹ 2.20 करोड मूल्य की रिबोसिक्लिब 200 एमजी टैब (ड्रग कोड एसपी19541) के 1143 एसकेयू[41] प्राप्त (8 अक्टूबर 2020) की।

दवाओं के जारी करने की ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार, सिस्टम उन दवाओं के जारी करने से रोक देता है जिनकी कालातीत होने अवधि एक महीने से कम शेष हो। वर्ष 2020–21 के दौरान, सीजीएमएससीएल ने स्वास्थ्य संस्थानों को 52 एसकेयू[42] जारी की। इसी प्रकार, वर्ष 2021–22 के दौरान, सीजीएमएससीएल ने पुश मैकेनिज्म के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों को 753 एसकेयू जारी किए, जिसमें 28 फरवरी 2022 को

39 स्टॉक कीपिंग यूनिट

40 सीम्स बिलासपुर, जीएमसीएच जगदालपुर, जीएमसीएच राजनन्दगांव एवं जीएमसीएच रायपुर

41 एक स्टॉक कीपिंग यूनिट = 1 x 21 टेबलेट

42 क्यूसी विभाग को जोड़कर

जीएमसीएच, रायपुर को 500 एसकेयू जारी करना शामिल था, अर्थात् जारी करने के लिए रोके जाने से ठीक एक दिन पूर्व। चूंकि इस दवा की कालातीत अवधि एक महीने के भीतर थी, इसलिए जीएमसीएच, रायपुर ने 22 अप्रैल 2022 को 407 एसकेयू गोदामों को वापस कर दिए। इस प्रकार, सीजीएमएससीएल के गोदाम में ₹ 1.44 करोड़ मूल्य के रिबोसिक्लिब 200 एमजी टैब (ड्रग कोड एसपी 19541) के कुल 745 एसकेयू कालातीत हो गई।

इसके अलावा, सीजीएमएससीएल के ऑनलाइन सिस्टम के अनुसार, ये दवाएं कालातीत हो चुकी दवाओं की सूची में नहीं दिख रही थीं, जबकि रायपुर के गोदाम में कालातीत हो चुकी दवाओं के 745 एसकेयू पड़े हुए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद, सीजीएमएससीएल ने कालातीत दवाओं को नए बैचों से बदल दिया (जुलाई 2022) एवं कहा (नवंबर 2022) कि आपूर्तिकर्ता ने 743 एसकेयू को नए बैचों से बदल दिया है एवं दो एसकेयू की लागत की वसूली आपूर्तिकर्ता के बिल से की जाएगी।

4.4.5 गोदाम प्रबंधन

गोदाम प्रबंधन के लिए, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 औषधियों एवं दवाओं के भंडारण के लिए आवश्यक अधोसंरचना प्रदान करता है, जैसे कि अच्छे भंडारण की स्थिति (सफाई, आदर्श तापमान का रखा जाना, आदर्श आर्द्रता), उचित हाउसकीपिंग एवं कीट नियंत्रण, पर्याप्त रैक/बिन, अस्वीकृत या वापस बुलाए गए दवाओं के लिए अलग स्थान, अत्यधिक खतरनाक, जहरीली एवं विस्फोटक सामग्री के लिए सुरक्षित क्षेत्र, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा प्रणाली, कंटेनरों के छलकने, टूटने, रिसाव आदि की नियमित जाँच इत्यादि।

स्वास्थ्य संस्थानों को कम से कम समय में आसानी से दवा उपलब्ध सुनिश्चित करने हेतु राज्य में सीजीएमएससीएल के 16 गोदाम हैं। 16 गोदामों में से लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच के लिए पाँच गोदामों यानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर का चयन किया। सीजीएमएससीएल के पाँच चयनित दवा गोदामों के निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

4.4.5.1 मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

सीजीएमएससीएल ने अपने गोदामों के संचालन एवं रखरखाव के लिए कोई एसओपी तैयार नहीं किया था। परिणामस्वरूप, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम एवं अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के कई मामले सामने आए, जिनकी चर्चा बाद की कण्डिकाओं में की गई हैं।

4.4.5.2 अनुचित प्रकाश व्यवस्था

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन गोदामों अर्थात् रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में 50 प्रतिशत से अधिक लाइटें काम नहीं कर रही थीं। बिलासपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर गोदामों के परिसरों के अंदर स्थापित स्ट्रीट लाइटें भी चालू हालत में नहीं पाई गईं।

गोदाम इंचार्ज ने बताया (मार्च 2022) कि लाइट बदलने का प्रस्ताव अगस्त 2020 से सीजीएमएससीएल के मुख्यालय में लंबित है।

4.4.5.3 गोदाम में तापमान प्रबंधन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दवाओं को तापमान के आधार पर श्रेणियों में नहीं बांटा गया था, अर्थात् जिन दवाओं को शून्य डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की

आवश्यकता होती है, उन्हें डीप फ्रीजर में रखा जाना था तथा कुछ विशिष्ट दवाओं के लिए 2 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान वाले ठंडे कमरे की आवश्यकता होती है।

नमूना जाँच किए गए पाँच गोदामों में उपलब्ध शीत भंडारण सुविधाओं का विवरण *तालिका – 4.22* में दिया गया है:

तालिका – 4.22: गोदामों में उपलब्ध शीत भंडारण सुविधाओं का विवरण

गोदाम का नाम	2–8 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए			शून्य से नीचे के डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए
	कोल्ड रूम	लिनियर रेफ्रिजरेटर	आइस लिंकेड रेफ्रिजरेटर	डीप फ्रीज़र
अंबिकापुर	1	1	1	उपलब्ध नहीं ळे
दुर्ग	1	1	1	उपलब्ध नहीं ळे
बिलासपुर	1	1	3	उपलब्ध नहीं है
जगदलपुर	1	1	0	उपलब्ध नहीं ळे
रायपुर	1	0	2	उपलब्ध नहीं ळे

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा दी गई जानकारी)

नमूना जाँच किए गए सभी पाँच गोदामों में माइनस डिग्री सेल्सियस तापमान वाली दवाओं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं थी एवं इसलिए ऐसी दवाओं को गोदाम में नहीं रखा गया। उदाहरण के लिए, कोविड–19 वैक्सीन जिसे –20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करने की आवश्यकता थी, उसे मेडिकल कॉलेज से जुड़े चिकित्सालयों में रखा गया।

दुर्ग में गोदाम में स्थापित शीतलन प्रणाली स्थापना (2017) के बाद एवं जगदलपुर में फरवरी 2022 से पावर केबल जलने के कारण से कार्यशील नहीं थे, जबकि रायपुर में दो में से एक स्टोर रूम में शीतलन प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी, जैसा कि निम्नलिखित *फोटोग्राफ 6* से *9* में दर्शाया गया है :

6. दिनांक (12 अप्रैल 2022) (स्टोर 1)

7. दिनांक (12 अप्रैल 2022) (स्टोर 2)

8. दिनांक (12 अप्रैल 2022) (स्टोर 2)

9. दिनांक (12 अप्रैल 2022) (स्टोर 2)

रायपुर गोदाम के स्टोर 1 एवं स्टोर 2 में कूलिंग की व्यवस्था नहीं पाया गया

सीजीएमएससीएल ने अपनी 32वीं संचालक मण्डल की बैठक में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं अंबिकापुर के चार गोदामों में ₹ तीन करोड़ की अनुमानित लागत से कूलिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया था (5 अक्टूबर 2019)।

यद्यपि, 30 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सीजीएमएससीएल द्वारा इस संबंध में कोई कार्य नहीं किया।

यह प्रबंधन के लापरवाह रवैये को दर्शाता है क्योंकि परीक्षण किए गए सभी गोदामों में एयर–कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। निरीक्षण की तिथि (मार्च/अप्रैल 2022) को सभी परीक्षण किए गए गोदामों में अधिकतम तापमान 31 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

4.4.5.4 जहरीली दवाएं एवं खतरनाक रसायन

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अनुसार, अत्यधिक खतरनाक, जहरीली एवं विस्फोटक सामग्री जैसे कि मादक पदार्थ, मनोविकार नाशक दवाएं एवं आग या विस्फोट के संभावित जोखिम वाले पदार्थों को सुरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्रों में संग्रहित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन[43] गोदामों में जहरीले एवं खतरनाक रसायनों जैसे फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, एंटी–स्नेक वेनम आदि के भंडारण के लिए कोई अलग स्थान नहीं था। इसके अलावा, जगदलपुर गोदाम में जहरीले एवं खतरनाक रसायनों के भंडारण के लिए अलग स्थान होने के बावजूद, पॉलीवेलेंट एंटी–स्नेक वेनम एवं कीटनाशक को सामान्य दवाओं के साथ गोदाम में रखा गया था।

4.4.5.5 कालातीत दवाओं एवं एनएसक्यू दवाओं का प्रबंधन

दुर्ग वेयरहाउस को छोड़कर सभी वेयरहाउस में कालातीत एवं एनएसक्यू दवाओं के भंडारण के लिए अलग से जगह/कमरा था। यद्यपि, जगह की कमी एवं कालातीत दवाओं की बड़ी मात्रा के कारण, उन्हें वेयरहाउस में सामान्य उपयोग की जा सकने वाली दवाओं के साथ ही रखा गया।

4.4.5.6 अन्य विविध मुद्दे

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दवाओं के भंडारण की सुविधा पर्याप्त/उचित नहीं थी, जिसके कारण दवाओं/औषधियों को रैक के बिना फर्श पर संग्रहीत किया गया था। पाँच में से चार गोदामों में पावर बैक–अप सुविधाओं के तहत जेनरेटर सिस्टम उपलब्ध

[43] दुर्ग, बिलासपुर एवं रायपुर

नहीं था। तीन गोदामों में कीट नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। यद्यपि अग्निशामक यंत्र उपलब्ध थे, लेकिन पाँच में से तीन गोदामों में वे 2021 से कालातीत पाए गए। इसके अलावा, सभी नमूना जाँच किए गए गोदामों में स्वचालित फायर डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम स्थापित नहीं किया गया था। मानदंडों के अनुसार गोदामों का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण भी नहीं किया गया था। बारकोड स्कैनर की अनुपलब्धता के कारण दवाओं/औषधियों के पैकेटों की बारकोड स्कैनिंग नहीं की जा रही थी।

शासन ने बताया (दिसम्बर 2022) कि उसने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से सभी गोदामों के निरीक्षण का अनुरोध (सितम्बर 2022) किया था तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए सात दिनों के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया था।

जवाब से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि सीजीएमएससीएल ने कोई प्रभावी गोदाम प्रबंधन विकसित नहीं किया था।

4.5 स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा दवाओं का वितरण

4.5.1 स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता

आईपीएचएस 2012 के मानदंडों के अनुसार, एक डीएच में 20 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 493 एवं सीएचसी में तीन विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 176 दवाएं, प्रयोगशाला रीजेंट, कंज्युमेबल सामग्रियां एवं डिस्पोजेबल सामग्रियां उपलब्ध होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने छत्तीसगढ़ की ईडीएल 2021 से डीएच के लिए 30 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 272 तथा सीएचसी के लिए 21 श्रेणियों के अंतर्गत 149 दवाओं, प्रयोगशाला रीजेंट, कंज्युमेबल सामग्रियों एवं डिस्पोजेबल्स औषधियों की पहचान (नवंबर 2021) की थी, जो क्रमशः डीएच एवं सीएचसी में उपलब्ध होनी चाहिए।

नमूना जाँच किए गए जिला चिकित्सालयों में 30 श्रेणियों के अंतर्गत दवाओं, प्रयोगशाला रीजेंट, कंज्युमेबल सामग्रियों एवं डिस्पोजेबल्स की उपलब्धता का विवरण *तालिका – 4.23* में निम्नानुसार है:

तालिका –4.23; नमूना–जाँच के दौरान डीएच में दवाओं, प्रयोगशाला रीजेंट, कंज्युमेबल सामग्रियों एवं डिस्पोजेबल्स की उपलब्धता

क्र. स.	श्रेणियाँ	ईडीएल 2021 के अनुसार आवश्यक दवाओं की संख्या	नमूना–जाँच किए गए डीएच में उपलब्धता						
			डीएच, सूरजपुर	डीएच, कोरिया	डीएच, सुकमा	डीएच बिलासपुर	डीएच रायपुर	डीएच कोंडागांव	डीएच बालोद
1	बेहोशी की दवा	6	0	5	4	3	2	2	6
2	एनाल्जेसिक, ज्वरनाशक, नॉनस्टेरॉइडल एंटी–इंफ्लेमेटरी दवाएं	14	6	12	10	8	10	8	14
3	एंटीएलर्जिक्स एवं दवाएं	9	2	9	7	5	5	7	8
4	विषनाशक एवं अन्य पदार्थ जिनका उपयोग विषनाशक में किया जाता है	6	1	3	1	2	1	3	5
5	एंटीकॉन्वल्सेन्ट्स एंटीएपिलेप्टिक्स	10	3	8	7	6	3	4	10
6	एंटी इंफेक्टिव , एंटी बैक्टीरियल , एंटी फंगल एवं	23	13	22	19	14	11	12	22

क्र. स.	श्रेणियाँ	ईडीएल 2021 के अनुसार आवश्यक दवाओं की संख्या	नमूना–जाँच किए गए डीएच में उपलब्धता						
			डीएच, सूरजपुर	डीएच, कोरिया	डीएच, सुकमा	डीएच बिलासपुर	डीएच रायपुर	डीएच कोंडागांव	डीएच बालोद
	एंटी बायोटिक्स दवाएं								
7	एंटी वायरल एवं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस इनहिबिटर्स–टार्ट (नॉको द्वारा प्रदान किया जाएगा)	13	0	1	0	3	0	1	7
8	मलेरिया रोधी एवं फाइलेरिया रोधी	13	10	13	13	13	1	11	13
9	एंटीमाइग्रेन दवाएं	3	1	0	0	0	1	1	3
10	एंटीमाइग्रेन दवाएं	21	4	3	18	2	1	1	18
11	एंटीपार्किन्सन दवाएं	1	0	0	0	0	0	0	1
12	रक्त को प्रभावित करने वाली दवाएं	8	7	8	8	8	6	7	8
13	रक्त उत्पाद एवं प्लाज्मा विकल्प	3	1	0	1	1	1	1	2
14	हृदय संबंधी दवाएं	17	9	10	11	10	12	11	17
15	हृदय संबंधी दवाएं	11	9	9	6	8	4	8	10
16	कीटाणुनाशक एवं एंटीसेप्टिक–उपभोग्य वस्तुएं	6	6	5	5	6	5	3	6
17	डॉयरेटिक्स	5	5	4	4	2	2	0	4
18	जठरांत्रिय दवाए	19	16	17	18	16	14	15	19
19	इंसुलिन एवं अन्य मधुमेह रोधी एजेंट	9	8	5	2	7	5	4	7
20	इम्युनोलॉजिकल्स	3	3	3	3	3	3	3	3
21	मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं	2	1	0	0	0	2	0	2
22	नेत्र संबंधी तैयारियाँ	10	2	2	3	3	7	8	8
23	ऑक्सीटोसिक एवं एंटीऑक्सीटोसिक	8	5	5	4	2	4	5	8
24	मनोचिकित्सात्मक औषधियों	12	12	6	2	3	1	1	10
25	श्वसन पथ पर कार्य करने वाली औषधियाँ (ब्रोंकोडायलेटर)	9	6	6	5	4	7	6	8
26	जल, इलेक्ट्रोलाइट एवं एसिड–बेस गड़बड़ी को ठीक करने वाले समाधान	10	7	6	9	10	7	6	10
27	विटामिन एवं खनिज	12	9	11	9	11	9	7	11
28	कान, नाक एवं गले की तैयारी	2	1	0	1	0	1	0	2
29	नवजात शिशु की देखभाल	4	0	0	1	1	2	0	4

क्र. स.	श्रेणियाँ	ईडीएल 2021 के अनुसार आवश्यक दवाओं की संख्या	नमूना–जाँच किए गए डीएच में उपलब्धता						
			डीएच, सूरजपुर	डीएच, कोरिया	डीएच, सुकमा	डीएच बिलासपुर	डीएच रायपुर	डीएच कोंडागांव	डीएच बालोद
	के लिए विशिष्ट दवाएं								
30	जोड़ों के रोग के लिए दवाएं	3	1	2	0	0	1	0	3
कुल		272	148	175	17 1	151	128	135	246

(स्रोत : जिला चिकित्सालयों द्वारा दी गई जानकारी)

कलर कोड; *(प्रतिशत में)*

उपलब्धता सीमा			
75–100	50–75	25–50	0–25

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि किसी भी जिला चिकित्सालय में आवश्यक 272 दवाएं उपलब्ध नहीं थीं एवं दवाओं की उपलब्धता 128 (जिला चिकित्सालय, रायपुर) से लेकर 246 (जिला चिकित्सालय, बालोद) तक थी। इसके अलावा, नमूना जाँच किए गए जिला चिकित्सालयों में 10 श्रेणियों के तहत 103 आवश्यक दवाएं स्टॉक में नहीं थी।

इसी प्रकार, नमूना जाँच किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 21 श्रेणियों के अंतर्गत दवाओं, प्रयोगशाला रीजेंट, कंज्युमेबल सामग्रियों एवं डिस्पोजेबल्स की उपलब्धता का विवरण ***तालिका – 4.24*** ; में दिया गया है

तालिका – 4.24: नमूना–जाँच किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाओं, प्रयोगशाला रीजेंट, कंज्युमेबल सामग्रियों एवं डिस्पोजेबल्स की उपलब्धता

क्र. स.	श्रेणिया	ईडीएल 2021 के अनुसार आवश्यक दवाओं की संख्या	नमूना–जाँच किए गए सीएचसी में उपलब्धता													
			आरंग	तिल्दा	डौंडी	डौ. लोहारा	माकड़ी	बिश्रामपुरी	कोंटा	छिंदगढ	जनकपुर	चिरमिरी	भैयाथान	बिश्रामपुर	कोटा	तखतपुर
1	बेहोशी की दवा	2	2	2	2	2	1	1	1	0	1	1	2	2	0	1
2	एनाल्जेसिक, ज्वरनाशक, गैर–स्टेरायडल एंटी इनफलेमेट्री दवाएं	9	8	8	9	9	7	6	6	7	5	5	8	7	6	8
3	एनाफाइलैक्सिस में प्रयुक्त एंटीएलर्जिक्स एवं दवाएं	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	4	3	6	5	6
4	विषाक्तता में प्रयुक्त विषनाशक एवं अन्य पदार्थ	3	1	2	3	3	1	3	2	1	2	1	2	3	1	1
5	एंटीकॉन्वल्सेन्ट्स / एंटीपीलेप्टिक	8	4	7	8	8	5	5	3	2	1	1	2	3	3	5
6	एंटी–इंफेक्टिव, एंटी–बैक्टीरियल, एंटी–फंगल एवं एंटी बायोटिक्स दवाएं	15	12	12	13	15	14	14	10	9	11	5	6	12	8	10

क्र. स.	श्रेणिया	ईडीएल 2021 के अनुसार आवश्यक दवाओं की संख्या	नमूना–जाँच किए गए सीएचसी में उपलब्धता													
			आरंग	तिल्दा	डौंडी	डी. लोहारा	मांकडी	बिश्रामपुरी	कोटा	छिंदगढ	जनकपुर	चिरमिरी	भैयाथान	बिश्रामपुर	कोटा	तखतपुर
7	मलेरिया रोधी एवं फाइलेरिया रोधी	12	9	10	12	12	7	12	12	11	12	5	10	4	7	9
8	रक्त को प्रभावित करने वाली दवाएं	8	6	7	8	8	6	7	6	4	5	5	5	7	6	7
9	हृदय संबंधी दवाइयां	15	11	11	14	15	11	12	9	5	5	2	7	9	6	7
10	त्वचा संबंधी औषधियाँ (स्थानिक)	8	5	7	8	8	5	6	8	4	5	2	3	6	6	8
11	कीटाणुनाशक एवं एंटीसेप्टिक–कंज्युमेबल सामग्रियां	5	4	3	5	5	2	4	5	3	3	3	5	5	4	4
12	जठरांत्रिय दवाएं	17	14	17	17	17	14	16	15	13	13	8	13	17	15	16
13	इंसुलिन एवं अन्य मधुमेह रोधी एजेंट	4	3	2	4	4	2	4	3	3	2	1	1	3	2	3
14	इम्युनोलॉजिकल्स	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2
15	नेत्र संबंधी तैयारियाँ	3	1	2	3	3	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1
16	ऑक्सीटोसिक एवं एंटीऑक्सीटोसिक	4	1	2	4	4	3	3	3	3	1	1	1	3	2	4
17	मनोचिकित्सात्मक दवाइयां	4	1	2	4	4	2	1	2	0	0	0	4	1	0	2
18	श्वसन पथ पर कार्य करने वाली दवाएं (ब्रोंकोडाइल एएवं)	7	3	5	7	7	1	4	4	3	4	2	2	5	1	3
19	जल, इलेक्ट्रोलाइट एवं एसिड–बेस गडबडी को ठीक करने वाले समाधान	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5
20	विटामिन एवं खनिज	10	7	8	10	10	6	9	5	5	6	5	6	8	9	9
21	कान, नाक एवं गले संबंधी दवा	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
		149	106	123	146	149	102	122	111	87	91	56	87	110	89	112

(स्रोत ; नमूना जाँच किये गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा दी गई जानकारी)

कलर कोड; *(प्रतिशत में)*

उपलब्धता सीमा			
75–100	50–75	25–50	0–25

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि सीएचसी डौंडीलोहारा को छोड़कर किसी भी सीएचसी में आवश्यक 149 दवाओं का स्टॉक नहीं था एवं अन्य सीएचसी में दवाओं की आवश्यक उपलब्धता 149 के विरूद्ध 56 दवाओं (सीएचसी, चिरमिरी) से लेकर 146 दवाओं (सीएचसी, डौंडी) तक थी। इसके अलावा, नमूना जाँच

किए गए सीएचसी में पांच श्रेणियों के अंतर्गत 39 आवश्यक दवाओं का स्टॉक समाप्त हो गया था।

4.6 दवा पर्चियों की लेखापरीक्षा (प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट)

प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर समय–समय पर की जाने वाली दवा पर्चियों की समीक्षा की प्रक्रिया है।

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों (7 जून 2013) के अनुसार, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट सभी शासकीय जिला चिकित्सालयों, कॉलेज से जुड़े चिकित्सालयों में स्थापित की जाने वाली ड्रग्स एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी (डीटीसी) द्वारा किया जाना था। डीटीसी को प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के परिणामों की समीक्षा भी करनी थी एवं राज्य शासन को इस संबंध में अनुशंसा करनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीटीसी केवल डीकेएसपीजीआई में मौजूद है, यद्यपि इसने स्थापना (अक्टूबर 2018) के बाद से प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट नहीं किया है। इसी प्रकार, अन्य जीएमसी चिकित्सालयों एवं बालोद, बिलासपुर, कोरिया एवं कोंडागांव के जिला चिकित्सालयों में कोई डीटीसी गठित नहीं किया गया था। रायपुर, सुकमा एवं सूरजपुर के शेष तीन जिला चिकित्सालयों में, यद्यपि डीटीसी का गठन किया गया था, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट केवल जिला चिकित्सालय, सुकमा (दिसंबर 2021) एवं जिला चिकित्सालय, रायपुर (सितंबर एवं अक्टूबर 2019) में किया गया था एवं जिला चिकित्सालय, सूरजपुर में कोई प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट नहीं किया गया था ।

इस प्रकार किसी भी जीएमसी चिकित्सालय, डीएच, सूरजपुर एवं डीकेएसपीजीआई में अभी तक प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट नहीं किया गया है। प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि डॉक्टर मानदंडों के अनुसार प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या नहीं।

चार जीएमसी चिकित्सालयों एवं सात नमूना जाँच किए गए जिला चिकित्सालयों की जाँच में रोगियों की पर्ची में बीमारी, दवाओं की उचित खुराक एवं खुराक की अवधि के विवरण का अभाव पाया गया, जैसा कि *तालिका – 4.25* में विस्तृत है:

तालिका – 4.25: प्रिस्क्रिप्शन पर्चियों में पाई गई कमियाँ

जीएमसी चिकित्सालय का नाम	नमूना जाँच की गई पर्ची की संख्या	बड़े अक्षरों एवं सुपाठ्य हस्तलेखन वाली पर्चियां (प्रतिशत में)	जेनेरिक नामों से लिखी गई दवाएं (प्रतिशत में)	दवा सेवन करने को समय एवं खुराक की मात्रा स्पष्ट रूप से लिखी हुई पर्ची	डिस्पेंसरी में उपलब्ध दवाओं का लिखा जाना (प्रतिशत में)
जीएमसीएच					
डीकेएसपीजीआई	30	3	26	70	26
अंबिकापुर	51	2	86	100	67
बिलासपुर	32	13	77	72	58
जगदलपुर	47	23	58	87	38
राजनांदगांव	56	9	95	100	31
रायपुर	152	0	92	98	66
जिला चिकित्सालय					
बालोद	127	0	90	88	83
बिलासपुर	29	0	88	55	94
कोंडागांव	25	0	76	68	92
कोरिया	22	0	86	23	95

जीएमसी चिकित्सालय का नाम	नमूना जाँच की गई पर्ची की संख्या	बड़े अक्षरों एवं सुपाठ्य हस्तलेखन वाली पर्चियां (प्रतिशत में)	जेनेरिक नामों से लिखी गई दवाएं (प्रतिशत में)	दवा सेवन करने को समय एवं खुराक की मात्रा स्पष्ट रूप से लिखी हुई पर्ची	डिस्पेंसरी में उपलब्ध दवाओं का लिखा जाना (प्रतिशत में)
रायपुर	52	0	94	100	91
सुकमा	34	0	86	100	91
सूरजपुर	51	0	99	88	98

4.7 चिकित्सा उपकरणों का रखरखाव

4.7.1 उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध में विसंगतियां

सीजीएमएससीएल ने राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित बायोमेडिकल उपकरणों के रखरखाव के लिए एक सेवा प्रदाता को नियुक्त करने के लिए निविदा आमंत्रित की (28 दिसंबर 2017)। बोलियों के मूल्यांकन के बाद, निविदा को मेसर्स मेडिसिटी हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद (मेसर्स मेडिसिटी) के साथ ₹ 98 करोड़ की अनुमानित इन्वेंट्री के मूल्य के 6.80 प्रतिशत की दर से, जो प्रति वर्ष ₹ 7.86 करोड़ (करों सहित) आता है, पर अंतिम रूप दिया गया (मई 2018)।

निविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, कार्य के दायरे में उपकरणों का रखरखाव, खराबी को दर्ज करने के लिए ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना, प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती एवं उपकरण प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रदान करना शामिल था। तदनुसार, मेसर्स मेडिसिटी ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सभी उपकरणों को टैग करके उपकरण प्रोफाइल एवं स्थिति तैयार की थी।

अभिलेखों की जाँच करने पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पायाः

- मेसर्स मेडिसिटी ने 44,345 उपकरणों की पहचान की, जैसा कि *तालिका – 4.26* में विस्तृत है;

तालिका – 4.26: उपकरण मात्रा के साथ–साथ मूल्य को दर्शाने वाला विवरण

उपकरण के मूल्यांकन का विवरण	स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों की संख्या	उपकरणों की राशि (करोड़ रुपए में) (प्रतिशत में)
1 लाख से कम (माइनर)	41,037	62.05 (32.74)
1 लाख से अधिक	3,308	127.46(67.25)
कुल	**44,345**	**189.51** (100)

(स्रोत ; सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित)

लेखा परीक्षा ने पाया कि *तालिका – 4.26* मे उल्लेखित उपकरण की सूची विभाग द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी।

- मेसर्स मेडिसिटी के डेटाबेस से एक लाख रुपये से अधिक के मूल्य वाले उपकरणों को पृथक किया था एवं नमूना जाँच किए गए स्वास्थ्य संस्थान में इन उपकरणों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि

तीन डीएच में ₹ 3.09 करोड मूल्य के 61 उपकरण[44] निष्क्रिय पड़े थे एवं ₹ 1.60 करोड़ मूल्य के 53 उपकरण[45] डीएच के परिसर में नहीं पाए गए।

सीजीएमएससीएल ने कहा (नवंबर 2022) कि उपकरणों को कार्यशील स्थिति में रखना सुनिश्चित करना स्वास्थ्य संस्थानों के प्रमुखों की जिम्मेदारी थी।

4.8 *कोविड– 19 के अंतर्गत क्रय*

छत्तीसगढ़ शासन ने कोविड–19 से संबंधित क्रय के लिए एक राज्य स्तरीय समिति[46] (कोविड समिति) का गठन किया है (28 मार्च 2020)। समिति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार क्रय नियम, 2002 के नियम 10 के अंतर्गत कोविड–19 महामारी से सुरक्षा, उपचार एवं रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं, कंज्युमेबल सामग्रियों एवं उपकरणों की तत्काल एवं आपातकालीन क्रय को अंतिम रूप देना था।

पहली कोविड समिति की बैठक में, कोविड समिति के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कोविड–19 से संबंधित दवाओं, कंज्युमेबल सामग्रियों एवं उपकरणों की क्रय तीन दिनों की सीमित निविदा अवधि के लिए सीजीएमएससीएल द्वारा की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकता का आकलन करने एवं केबिनेट द्वारा इसके अनुमोदन के बाद समिति की अनुशंसा के आधार पर क्रय किया जाएगा। कोविड समिति की पहली बैठक (29 मार्च 2020) में यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड–19 के लिए आपूर्ति की आवश्यकताओं/मांग को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मांग के आकलन के बाद अनुशंसा के लिए कोविड समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति ने ज्यादातर गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जेम), अल्पकालिक ऑनलाइन निविदाओं एवं सीजीएमएससीएल की वर्तमान दर अनुबंध (आरसी) के माध्यम से क्रय को अंतिम रूप दिया था। समिति के क्रय मॉडल को *चार्ट – 4.2* में दर्शाया गया है:

चार्ट – 4.2: राज्य स्तरीय समिति का क्रय मॉडल

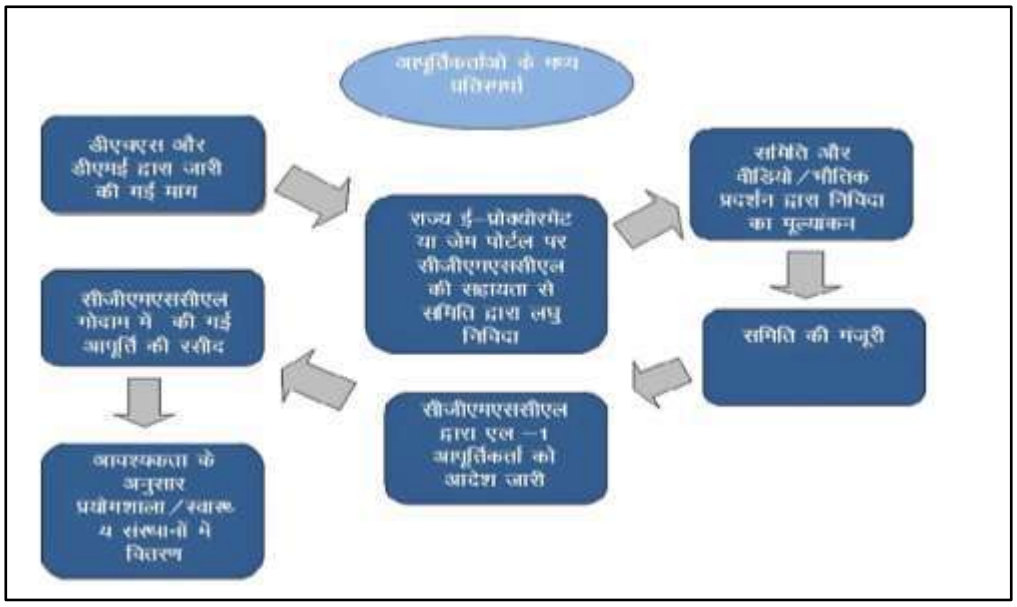

(स्रोतः कोविड समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

---

[44] 28 उपकरण ₹ 172.14 लाख के मूल्य के डीएच बिलासपुर, 15 उपकरण ₹ 57.89 लाख मूल्य के डीएच कोरिया मे एवं 18 उपकरण ₹ 78.5 लाख के मूल्य के डीएच कोंडागाँव मे

[45] 30 उपकरण ₹ 80.77 लाख के मूल्य के डीएच बिलासपुर, 07 उपकरण ₹ 28.70 लाख मूल्य के डीएच कोरिया मे एवं 16 उपकरण ₹ 50.29 लाख के मूल्य के डीएच कोंडागाँव मे

[46] समिति में 10 सदस्य शामिल हैं – राज्य शासन के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ

सीजीएमएससीएल ने, मार्च 2020 से नवंबर 2021 के दौरान, आपूर्तिकर्ताओं को कोविड–19 से संबंधित ₹ 142.73 करोड़ मूल्य के 131 उपकरणों के लिए 340 क्रय आदेश (पीओ) एवं ₹ 860.03 करोड़ मूल्य की दवाओं, औषधियों एवं कंज्युमेबल सामग्रियों की 84 सामग्रियों के लिए 385 पीओ जारी किए थे ।

कोविड–19 से संबंधित आपूर्ति के क्रय के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

4.8.1 अयोग्य बोलीदाताओं के साथ निविदा को अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप ₹ 22.98 करोड़ मूल्य का अनियमित क्रय हुआ एवं परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

(क) अयोग्य बोलीदाताओं से ₹ 13.85 करोड़ की आरटी–पीसीआर किट का अनियमित क्रय

सीजीएमएससीएल को आरटी–पीसीआर टेस्ट किट के क्रय के लिए डीएमई से मांगपत्र (मई 2020) प्राप्त हुआ। तदनुसार, सीजीएमएससीएल ने 3.50 लाख आरटी–पीसीआर किट के लिए निविदा आमंत्रित की (16 जून 2020)। पात्रता मानक के अनुसार, बोलीदाता निर्माता या निर्माता की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी होनी चाहिए। आयातित उत्पादों के लिए अधिकृत वितरक भी बोली में भाग लेने के लिए पात्र थे। इसके अलावा, मात्रा को विभाजित किया जा सकता था एवं अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर 60:40 (शीर्ष दो बोलीदाताओं के लिए) या 50:30:20 (शीर्ष तीन बोलीदाताओं के लिए) अनुपात में अधिकतम तीन सफल बोलीदाताओं के बीच वितरित किया जा सकता है।

बोली के मूल्यांकन के बाद, कोविड समिति ने प्रति किट ₹ 571.20 की दर को अंतिम रूप दिया (15 जुलाई 2020)। तदनुसार, सीजीएमएससीएल ने मेसर्स पीडी एंटरप्राइजेज से ₹ 13.85 करोड़ की लागत से 2,425 यूनिट[47] एवं मेसर्स एसडी बायोसेंसर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड से ₹ 16.12 करोड़ की लागत से 2,941 यूनिट[48] क्रय की (जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेसर्स ह्यूवेल लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मेसर्स पीडी एंटरप्राइजेज ने निविदा में भाग लिया, जिसकी हैदराबाद, तेलंगाना में विनिर्माण फैक्ट्री थी। मेसर्स पीडी एंटरप्राइजेज ने बोली दस्तावेज के साथ सीजीएमएससीएल को प्रस्तुत वचनपत्र में स्वयं को अधिकृत वितरक घोषित किया। यद्यपि, निविदा की शर्तों के अनुसार, अधिकृत वितरक केवल आयातित वस्तुओं के लिए निविदा में भाग लेने के पात्र थे । इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए, मेसर्स पीडी एंटरप्राइजेज को तकनीकी रूप से योग्य घोषित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अयोग्य बोलीदाता यानी मेसर्स पीडी एंटरप्राइजेज के साथ निविदा को अनियमित रूप से अंतिम रूप दिया गया एवं परिणामस्वरूप आरटी–पीसीआर किट की खरीद के माध्यम से ₹ 13.85 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया।

(ख) अयोग्य बोलीदाता के साथ निविदा को अनियमित रूप से अंतिम रूप देना एवं मेसर्स यूनिटी हेल्थकेयर से ₹ 9.13 करोड़ मूल्य का अनियमित क्रय

कोविड समिति को कोविड–19 के लिए पीपीई कवरऑल (ब्रीथेबल फैब्रिक) की खरीद के लिए डीएचएस से मांगपत्र प्राप्त हुआ (सितंबर 2020)। तदनुसार, सीजीएमएससीएल

---

47 एक यूनिट में 100 किट होते हैं
48 एक यूनिट में 96 किट होते हैं

ने छह लाख पीपीई कवरऑल की खरीद के लिए अल्पकालिक निविदा आमंत्रित की (15 सितंबर 2020)।

निविदा की पात्रता मानक के अनुसार, बोलीदाता के पास किसी भी राज्य शासन/भारत सरकार संस्थान को 60,000 समान सामग्रियां बेचने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा, निविदा के अनुसार, यदि एल–2 एवं एल –3 बोलीदाता एल–1 दरों पर सामग्री की आपूर्ति करने के लिए सहमत होते हैं, तो निर्धारित आवश्यकताओं को एल–1, एल–2 एवं एल–3 बोलीदाताओं के बीच 50:30:20 के अनुपात में विभाजित किया जा सकता है।

निविदा के जवाब में, 14 बोलीदाताओं ने निविदा में भाग लिया एवं बोलियों के मूल्यांकन के बाद, कोविड समिति ने मेसर्स पीडी एंटरप्राइजेज द्वारा उद्धृत प्रति यूनिट ₹ 304.45 की न्यूनतम मूल्य को अंतिम रूप दिया (25 सितंबर 2020) एवं तदनुसार, सीजीएमएससीएल ने अन्य बोलीदाताओं को काउंटर ऑफर दिया । जवाब में, मेसर्स बीएमए प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स यूनिटी हेल्थ केयर ने काउंटर ऑफर स्वीकार कर लिया (सितंबर 2020 एवं अक्टूबर 2020)। सीजीएमएससीएल ने मेसर्स यूनिटी हेल्थकेयर एवं मेसर्स बीएमए प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹ 18.26 करोड़ मूल्य के तीन लाख पीपीई किट खरीदे, जैसा कि *तालिका– 4.27* में विस्तृत है:

तालिका – 4.27: निविदा संख्या 67832 के अंतर्गत पीपीई कवरऑल (ब्रीथेबल फैब्रिक) के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं को जारी किए गए क्रय आदेश का विवरण

क्र. सं.	क्रय आदेश संख्या	तिथि	मात्रा (संख्या)	अंतिम एमआरसी[49] तिथि	दर (₹ प्रति किट)	पीओ मूल्य (₹)
	बीएमए प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड					
1	ड्रग सेल/20–21/3बीएमए01122	25–सितंबर–2020	50,000	10–नवंबर–20	304.45	1,52,22,500
2	ड्रग सेल/20–21/3बीएमए01143	10–अक्टूबर–2020	1,00,000	29–नवंबर–20	304.45	3,04,45,000
3	ड्रग सेल/20–21/3बीएमए01299	28–नवंबर–2020	1,50,000	12–जनवरी–21	304.45	4,56,67,500
योग (क)			3,00,000			9,13,35,000
	यूनिटी हेल्थकेयर					
1	ड्रग सेल/20–21/3यूनिटी 01123	29–सितंबर–2020	50,000	15–नवंबर–20	304.45	1,52,22,500
2	ड्रग सेल/20–21/3यूनिटी 01144	10–अक्टूबर–2020	1,00,000	08–दिसम्बर–20	304.45	3,04,45,000
3	ड्रग सेल/20–21/3यूनिटी 01301	28–नवंबर–2020	1,50,000	15–फरवरी–21	304.45	4,56,67,500
योग (ख)			**3,00,000**			**9,13,35,000**
कुल योग (क+ख)			**6,00,000**			**18,26,70,000**

(स्रोत: सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित)

[49] मटेरियल रीसीट सर्टिफिकेट

लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स यूनिटी हेल्थ केयर ने पात्रता मानक को पूरा नहीं किया क्योंकि इसने शासकीय संस्थानों को आवश्यक 60,000 किटों के विरुद्ध केवल 46,872 किट के पीओ की प्रतियाँ प्रस्तुत की थीं। यद्यपि, कोविड समिति ने इस फर्म से ₹ 9.13 करोड़ मूल्य की तीन लाख पीपीई किट के क्रय की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप अयोग्य बोलीदाताओं के साथ निविदा को अनियमित रूप से अंतिम रूप दिया गया एवं ₹ 9.13 करोड़ मूल्य की पीपीई किट का अनियमित क्रय हुआ ।

यह भी पाया गया कि सीजीएमएससीएल ने एल–1 निविदाकर्ता अर्थात मेसर्स पीडी एंटरप्राइजेज को कोई पीओ नहीं दिया था, जिसके लिए कोई औचित्य/कारण अभिलेखों मे नहीं पाया गया।

4.8.2 उच्च दरों पर निविदाओं को अंतिम रूप देने के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय – ₹ 22.54 करोड़

(क) वितरक से ट्रूनेट कॉम्बो किट की खरीद के कारण ₹ 9.33 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

कोविड–19 की जाँच के लिए ट्रूनेट कोविड–19 कॉम्बो किट–ई जीन एवं ऑर्फला जीन (ट्रूनेट कॉम्बो किट) की जरूरत थी। डीएचएस ने सीजीएमएससीएल को अगले तीन महीनों के लिए आवश्यक पांच लाख ट्रूनेट कॉम्बो किट के लिए मांगपत्र (7 दिसंबर 2020) भेजा। इस संबंध में, मेसर्स मोलबायो जो एक एकल निर्माता (ओईएम) था, ने ट्रूनेट कॉम्बो किट के लिए ₹ 1,120 प्रति किट की दर के साथ मुफ़्त किट देने का प्रस्ताव (10 दिसम्बर 2020) इस शर्त पर दिया कि पीओ सीधे (बिना किसी वितरक/ जेम के माध्यम से) 31 दिसम्बर 2020 तक जारी किया जाए। । मुफ्त किट प्राप्त करने के लिए पीओ देने की अनुसूची *तालिका– 4.28* में विस्तृत है:

तालिका – 4.28: पीओ को जारी करने के शर्तों के साथ अनुसूची को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	क्रय आदेश की किट की संख्या	निःशुल्क किट का प्रतिशत	निःशुल्क किट सहित किट की कुल संख्या
1.	1,00,000	10%	1,10,000
2.	1,00,000–3,00,000	15%	1,15,000–3,45,000
3.	3,00,000–5,00,000	20%	3,60,000–6,00,00

(स्रोतः कोविड समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

तालिका – 4.29 में विस्तृत रूप से बताया गया है, ट्रूनेट कॉम्बो किट की प्रभावी दर तीन लाख एवं उससे अधिक की पीओ मात्रा के लिए ₹ 933.33 प्रति किट थी, बशर्ते कि पीओ 31 दिसंबर 2020 से पहले सीधे मेसर्स मोलबायो को दिया जाए। प्रस्ताव के अनुसार, सीजीएमएससीएल को पांच लाख किट की मांग की गई मात्रा के लिए *तालिका – 4.29* में दिए गए तरीके से पीओ रखना आवश्यक था:

तालिका – 4.29: सीजीएमएससीएल द्वारा दिए जाने वाले क्रय आदेश का विवरण

माँगपत्र की मात्रा (डीएचएस)	मात्रा के लिए दिए जाने वाले आदेश	क्रय आदेश मूल्य ₹ 1120 प्रति किट की दर से (₹)	मेसर्स मोलबायो के प्रस्ताव के अनुसार 20 प्रतिशत मुफ्त मात्रा	पीओ के विरुद्ध प्राप्त कुल मात्रा	प्रति किट प्रभावी दर (₹)
1	2	3	4 (2 x 20%)	5	6 (3/5)
5,00,000	4,16,667	46,66,67,040	83,333	5,00,000	933.33

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

यद्यपि, कोविड समिति ने बिना कोई कारण/औचित्य दर्ज किए मेसर्स मोलबायो के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया एवं इसके बजाय, सीजीएमएससीएल ने जेम के माध्यम से निविदा (सं. 917404) आमंत्रित की (11 दिसंबर 2020)। कोविड समिति ने मेसर्स वर्चुओसो मेडिको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹ 1,120 प्रति किट की दर को अंतिम रूप दिया (18 दिसंबर 2020), जिसने मेसर्स मोलबायो के वितरक के रूप में निविदा में भाग लिया था एवं ₹ 56.00 करोड़ मूल्य की पांच लाख ट्रूनेट कॉम्बो किट का क्रय किया था (24 दिसंबर 2020 एवं 8 अप्रैल 2021)।

मोलबायो से सीधे क्रय के सर्वोत्तम प्रस्ताव को नज़रअंदाज़ करके मेसर्स मोलबायो के वितरक से जेम के माध्यम से ट्रूनेट कॉम्बो किट क्रय करने का कोविड समिति का निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के सर्वोत्तम वित्तीय हित में नहीं था। यदि ट्रूनेट कॉम्बो किट सीधे मेसर्स मोलबायो से क्रय की गई होती, तो रियायती प्रस्ताव के अनुसार मुफ़्त किट प्राप्त की जा सकती थी। तदनुसार, प्रभावी दर ₹ 933.33 प्रति किट होता।

परिणामस्वरूप, वितरक से पांच लाख ट्रूनेट कॉम्बो किट की क्रय पर ₹ 9.33 करोड़[50] का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ एवं वितरक को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

(ख) कठोर निविदा शर्तों के कारण उच्च दरों पर आरएटी किट के क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 13.21 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

कोविड समिति को अगले तीन महीनों की आवश्यकता के लिए 18 लाख रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट (आरएटी) किट के क्रय के लिए डीएचएस से मांगपत्र प्राप्त हुआ (8 अप्रैल 2021)। तदनुसार, कोविड समिति की अनुशंसा के आधार पर, सीजीएमएससीएल ने 22 लाख आरएटी किट[51] के क्रय के लिए अल्पकालिक निविदा आमंत्रित की (13 अप्रैल 2021)। सीजीएमएससीएल ने 13 अप्रैल 2021 को निविदा संशोधन नोटिस भी जारी किया एवं आपूर्ति की शर्त को इस प्रकार बदल दिया:

मौजूदा शर्त	संशोधित शर्त
क्रय आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर किट की आपूर्ति	पहले दिन से 10वें दिन तक प्रतिदिन न्यूनतम एक लाख परीक्षण किट की आपूर्ति की जाएगी तथा सम्पूर्ण मात्रा क्रय आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर आपूर्ति की जानी है।

निविदा के जवाब में छह बोलियाँ प्राप्त हुईं। मूल्यांकन के बाद, कोविड समिति ने अन्य सभी तकनीकी बिंदुओं के लिए तीन बोलियों को योग्य (19 अप्रैल 2021) घोषित किया, यद्यपि केवल एक बोलीदाता यानी मेसर्स एसडी बायोसेंसर प्राइवेट लिमिटेड आपूर्ति की शर्त के अनुसार आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ। तदनुसार, उसी दिन सीजीएमएससीएल द्वारा एकल मूल्य बोली खोली गई। बोलीदाता ने प्रति परीक्षण किट ₹ 89.60 (जीएसटी सहित) की दर उद्धृत की। कोविड समिति ने प्रस्ताव का अनुमोदन दिया। तदनुसार, सीजीएमएससीएल ने मेसर्स एसडी बायोसेंसर से ₹ 25.30 करोड़ मूल्य की 33 लाख आरएटी किट क्रय की, जैसा कि *तालिका – 4.30 में विस्तृत है:*

[50] ₹ 56.00 करोड़ – ₹ 46.67 करोड़

[51] निविदा की शर्तों के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर 18 लाख किटों की मूल आवश्यकता के अतिरिक्त 50 प्रतिशत अधिक मात्रा में किट क्रय की जा सकेंगी।

तालिका – 4.30: आरएटी किट के लिए जारी किए गए पीओ को दर्शाने वाला विवरण

पीओ तिथि	मात्रा	प्रति किट दर जीएसटी सहित (₹)	राशि (₹)	टिप्पणी
19 अप्रैल 2021	10,00,000	89.60	8,96,00,000	
13 मई 2021	12,00,000	78.40	9,40,80,000	आपूर्तिकर्ता ने स्वतः ही किटों की कीमत कम कर दी।
5जुलाई 2021	11,00,000	63.00	6,93,00,000	
योग	**33,00,000**		**25,29,80,000**	

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीजीएमएससीएल द्वारा आपूर्ति शर्त में संशोधन करके पीओ की तिथि से 15 दिनों के भीतर किटों की आपूर्ति की पूर्व शर्तों के बदले पहले दिन से 10वें दिन तक प्रतिदिन एक लाख किट एवं 15 दिनों के भीतर पूरी मात्रा की आपूर्ति करने की नई शर्त बहुत कठोर एवं प्रतिबंधात्मक थी। परिणामस्वरूप, प्राप्त छह बोलियों में से केवल एक बोलीदाता ने आपूर्ति शर्त को स्वीकार किया एवं निविदा में अर्हता प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 89.60 प्रति किट की अत्यधिक उच्च दर पर आरएटी किट के क्रय के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया, जो कि मेसर्स ऑस्कर मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स ट्रिविट्रोन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ फाइनल की गई पिछली आरसी (फरवरी 2021) की तुलना में 245 प्रतिशत अधिक था, जिसमें ₹ 5.80 करोड़ मूल्य की 15.84 लाख मात्रा (27 फरवरी 2021 से 13 अप्रैल 2021) के लिए ₹ 36.62 प्रति किट की दर से प्रस्ताव दिया था एवं पीओ की तारीख से 7वें दिन से 15वें दिन तक आपूर्ति का शेड्यूल था, जो वास्तव में 24 मई 2021 तक आपूर्ति किए गए थे। यहां, यह उल्लेख करना उचित है कि आरएटी किट के मूल्यों का ट्रेंड घटते क्रम में था जो कि इस तथ्य से स्पष्ट था कि सीजीएमएससीएल ने नवंबर 2020 में ₹ 304.60 प्रति किट की दर से, जनवरी 2021 में ₹ 150.08 प्रति किट की दर से एवं फरवरी से मार्च तक ₹ 36.62 प्रति किट की दर से क्रय की । इसके अलावा बाद की निविदा जो कि 17 अगस्त 2021 को अंतिमिकृत की गई, में कोविड समिति को बहुत कम दरें प्राप्त हुई जो केवल ₹ 10.80 प्रति किट (पिछले क्रय मूल्य से 583 प्रतिशत कम) थी एवं अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान 24 लाख किट क्रय की। यह उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान राज्य में एक दिन में एक लाख आरएटी आधारित परीक्षण कभी नहीं किए गए थे।

कोविड समिति द्वारा 22 लाख आरएटी किट के लिए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, सीजीएमएससीएल ने आवश्यकताओं को दो अलग–अलग पीओ में विभाजित कर दिया था। तत्पश्चात् पीओ 19 अप्रैल 2021 (10 लाख यूनिट) एवं 13 मई 2021 (12 लाख यूनिट) को जारी किए गए। इस प्रकार, सीजीएमएससीएल ने मेसर्स एसडी बायोसेंसर को अनुचित लाभ पहुंचाया क्योंकि नियम एवं शर्तों के अनुसार, पीओ जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरी मात्रा की आपूर्ति की जानी थी। दो अलग–अलग पीओ जारी करके, सीजीएमएससीएल ने मेसर्स एसडी बायोसेंसर को आरएटी किट की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त समय दिया था।

कठोर निविदा शर्तें लगाने एवं दरों की घटते ट्रेंड को नजरअंदाज करते हुए, कोविड समिति ने आरएटी किट की दर को उच्चतर स्तर पर अंतिम रूप दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.21 करोड[52] का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

[52] ₹ 25,29,80,000 – (₹ 36.62 × 33 लाख किट)

4.8.3 कोविड समिति की अनुशंसा के बिना क्रय – ₹ 23.13 करोड़

कोविड समिति के अधिदेश के अनुसार, यह स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत आवश्यकता/मांग के आकलन के बाद कोविड–19 से संबंधित दवाओं, कंज्युमेबल सामग्रियों एवं उपकरणों की क्रय के लिए अनुशंसा करती है। कोविड समिति की पहली बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड– 19 की सभी आवश्यकताओं/मांगों को मूल्यांकन के लिए कोविड समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छह मामलों में, निविदा आमंत्रित करने से पहले कोविड समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं की गई थी एवं न ही प्राप्त बोलियों को तीन आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश देने से पहले कोविड समिति के समक्ष रखा गया था, जैसा कि *तालिका – 4.31* में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका – 4.31: कोविड समिति की मंजूरी के बिना सीजीएमएससीएल द्वारा की गई क्रय का विवरण

क्र. सं.	सामग्रियों का विवरण	मांग की गई मात्रा (सं.) एवं माँगपत्र दिनांक	पीओ संख्या एवं दिनांक	क्रय मात्रा (सं.)	आपूर्तिकर्ता का नाम	कुल मूल्य (₹ लाख में)
1	ट्रूनॉट मशीन	30 (13 जून 2020)	ईक्यूपी/114/20–21, (16/06/2020)	30	मेसर्स मोलबायो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड	436.80
2	ट्रूप्रेप ऑटो ट्रांसपोर्ट	40,000 (6 जुलाई 2020)	ईक्यूपी/157/2020–2021, (17/08/2020)	40,000		80.64
3	पॉश्चर पिपेट	42,500 (6 जुलाई 2020)	ईक्यूपी/158/20–21, (17/08/2020)	42,500		12.54
4	रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट	निरंक (पांच लाख की अतिरिक्त मात्रा की खरीद के लिए कोई मांगपत्र प्राप्त नहीं हुआ)	ड्रग सेल/20–21/3एमडीएसपीएल/01293 (19–11–20)	5 लाख (केवल 2 लाख की आपूर्ति)	मेसर्स मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	609.20
5			ड्रग सेल/20–21/3डी2001483 (14–01–21)	3 लाख	मेसर्स एसडी बायोसेंसर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	450.24
6	आरटी–पीसीआर किट	60,000 (29 मार्च 2020)	ड्रग सेल/20–21/3एसडी2000073 (15–04–20); 3एसडी2000631 (24–05–20); 3एसडी2000063 (08–06–20)	67,200		724.04
योग						**2,313.46**

(स्रोतः सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से संकलित)

इसके परिणामस्वरूप कोविड समिति की अनुशंसा के बिना ₹ 23.13 करोड़ मूल्य की कोविड संबंधित सामग्रियां का अनियमित क्रय हुआ।

4.8.4 आरएनए एक्सट्रैक्टर मशीन की उच्च दर को अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप ₹ 24.41 लाख की परिहार्य अतिरिक्त लागत।

कोविड समिति के अधिदेश के अनुसार, दरों की मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों, जेम, केंद्रीय आपूर्ति संगठन आदि के साथ वस्तुओं की दरों की तुलना

करके दरों की उचितता का आकलन करके कोविड–19 से संबंधित दवाओं, कंज्युमेबल सामग्रियों एवं उपकरणों के क्रय के लिए अनुशंसा करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्राप्त मांगपत्र (29 अप्रैल 2020) एवं कोविड समिति के निर्देशों (8 मई 2020) के आधार पर, सीजीएमएससीएल ने स्वचालित आरएनए एक्सट्रैक्टर के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित (9 मई 2020) कीं। कोविड समिति ने बोलियों के मूल्यांकन (6 जून 2020) एवं दर की तुलना अन्य राज्यों/ जेम द्वारा की गई क्रय के साथ करने के बाद मेसर्स जेनेटिक्स बायोटेक एशिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रेशन सिस्टम (48 ट्यूब मॉडल संख्या – जेनेटिक्स) के लिए उद्धृत प्रति यूनिट ₹ 37.89 लाख की एल–1 दर की अनुशंसा की थी। तदनुसार, सीजीएमएससीएल ने चार ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रेशन सिस्टम के लिए पीओ जारी किया (5 दिसंबर 2020)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अन्य संस्थानों की दरों की तुलना करते समय कोविड समिति ने पाया कि वही वस्तु एवं वही मॉडल जेम पर ₹ 31.79 लाख में उपलब्ध थी। यद्यपि, उपलब्ध कम दर को नजरअंदाज करते हुए, कोविड समिति ने निविदा को ₹ 37.89 लाख पर अंतिम रूप देने की अनुशंसा की, जो जेम दर से ₹ 6.10 लाख अधिक (लगभग 19 प्रतिशत अधिक) थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.41 लाख की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

4.8.5 दवाओं की आपूर्ति में चूक के लिए शास्ति न लगाकर आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुँचाना

सीजीएमएससीएल ने डीएचएस के माँगपत्र के आधार पर फेविपिरावि‍र 200 एमजी (इंडेंट मात्रा – 51 लाख टैबलेट) एवं 400 एमजी टैबलेट (माँगपत्र मात्रा – 26 लाख टैबलेट) की क्रय के लिए निविदा आमंत्रित की (12 अप्रैल 2021)। दरों की उचितता के आकलन के बाद, कोविड समिति ने दोनों वेरिएंट के लिए मेसर्स सिनोकेम लिमिटेड द्वारा उद्धृत मूल्य की अनुशंसा की (27 अप्रैल 2021)। तदनुसार, सीजीएमएससीएल ने फेविपिरावि‍र 200 एमजी की 51 लाख टैबलेट एवं फेविपिरावि‍र 400 एमजी की 26 लाख टैबलेट के क्रय के लिए मेसर्स सिनोकेम लिमिटेड को ₹ 9.58 करोड़[53] मूल्य के दो पीओ क्रमशः ₹ 9.40 एवं ₹ 18.424 प्रति टैबलेट की दर से दिए (3 मई 2021), जो आपूर्ति आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर आपूर्ति की जानी थी यानि 18 मई 2021 को या उससे पहले।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेसर्स सिनोकेम लिमिटेड ने 51 लाख टैबलेट की पीओ मात्रा के विरुद्ध फेविपिरावि‍र 200 मिलीग्राम टैबलेट की कोई मात्रा की आपूर्ति नहीं की, जबकि फेविपिरावि‍र 400 मिलीग्राम टैबलेट के मामले में, 26 लाख पीओ मात्रा के विरुद्ध केवल एक लाख टैबलेट की आपूर्ति की गई (4 जून 2021)।

कोविड–19 के लिए सबसे ज़रूरी दवाओं की आपूर्ति में चूक के बावजूद, सीजीएमएससीएल ने निविदा की शर्तों के अनुसार मेसर्स सिनोकम लिमिटेड पर आपूर्ति न की गई मात्रा के 20 प्रतिशत की दर से शास्ति नहीं लगाया एवं इस तरह आपूर्तिकर्ता को ₹ 1.88 करोड[54] का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया। सीजीएमएससीएल ने आपूर्तिकर्ता को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से रोकने के लिए ब्लैकलिस्ट करने के लिए कोई कार्रवाई भी प्रारंभ नहीं की।

---

[53] फेविपिरावि‍र 400 एमजी के लिए ₹ 4.79 करोड़ + फेविपिरावि‍र 200 एमजी के लिए ₹ 4.79 करोड़

[54] अप्रदत्त मूल्य ₹ 9.40 करोड़ × 10 प्रतिशत

4.8.6 डीएमई द्वारा उपकरणों एवं कंज्युमेबल सामग्रियों की क्रय में अनियमितताएं

डीएचएस ने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के तहत कोविड–19 के प्रबंधन के लिए डीएमई को उपकरण, पीपीई किट आदि की क्रय के लिए ₹ 6.00 करोड़ प्रदान किए (मार्च एवं जून 2020)। डीएमई ने संचालक, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक समिति गठित की (23 मार्च 2020) एवं ₹ 3.71 करोड़ मूल्य के उपकरण एवं कंज्युमेबल सामग्रियां क्रय की। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां पाईः

(क) क्रय मैनुअल, 2017 का उल्लंघन करते हुए नामांकन के आधार पर क्रय करके फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया

सीजीएसपीआर के नियम 4.3.3 में प्रावधान है कि एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के सभी क्रय, एकल स्वामित्व वाली सामग्री के क्रय के मामले को छोड़कर, खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भण्डार क्रय नियम के नियम 4 का उल्लंघन करते हुए संचालक, डीएमई, रायपुर (श्री एसएल आदिले) ने निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना नामांकन के आधार पर मेसर्स बीएम स्वास्तिक, रायपुर से सीधे ₹ 63.63 लाख की लागत के विभिन्न उपकरण जैसे फाउलर बेड, वीडियो लेरिंजोस्कोप, मैनुअल आईसीयू बेड, स्वैब स्टिक, बेड साइड लॉकर एवं कैजुअल्टी/डेड बॉडी बैग खरीदे थे। यह भी पाया गया कि बी.एम. स्वास्तिक के प्रमोटर श्री संकल्प आदिले समिति के अध्यक्ष के पुत्र हैं। इसके अलावा, समिति के अध्यक्ष एवं आपूर्तिकर्ता (मेसर्स बीएम स्वास्तिक, रायपुर) के बीच हितों का टकराव था, इसलिए, डीएमई को क्रय प्रक्रिया से खुद को अलग कर लेना चाहिए था।

इस प्रकार, क्रय समिति के अध्यक्ष के नजदीकी रिश्तेदार से निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना ₹ 63.63 लाख के क्रय अनियमित होने के अलावा आपूर्तिकर्ता को अनुचित वित्तीय लाभ भी पहुंचाया गया। डीएमई ने बताया कि सभी क्रय आपदा प्रबंधन नियमों के अनुसार संचालनालय स्तरीय क्रय समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की गई थी। क्रय समिति में डीएमई एवं अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संचालक, डीएमई एवं आपूर्तिकर्ता के मालिक के बीच संबंधों के बारे में पूर्व जानकारी होने के बावजूद, आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश देते समय इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया था।

(ख) लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) टैंकों का अनियमित क्रय

सीजीएमएससीएल ने ₹ 1.71 करोड़ मूल्य के एलएमओ टैंक क्रय किए (अप्रैल 2021) एवं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एवं क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक स्थापित करने के लिए चार जीएमसीएच[55] को आपूर्ति किए। यद्यपि, उपयोगकर्ता विभाग यानी डीएमई ने इसके लिए मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ शासन से आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इस प्रकार, प्रशासनिक स्वीकृति के बिना एलएमओ टैंकों का क्रय अनियमित थी।

(ग) लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकों का निष्क्रिय रहना

कोविड–19 महामारी के दौरान, मेडिकल ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक तत्व सिद्ध हुआ। अधिकतर स्वास्थ्य संस्थान बाहरी स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जो उनकी मांग के अनुसार मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन एवं परिवहन करते हैं। कोविड–19 के तीव्र प्रकोप ने अधिकारियों को उत्पादन एवं आपूर्ति चुनौतियों पर फिर से विचार करने

[55] जीएमसी अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव

के लिए मजबूर किया। मेडिकल ऑक्सीजन की मांग एवं उसके परिणामों में अचानक वृद्धि के मद्देनजर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने (मई 2021 एवं जुलाई 2021) स्वास्थ्य संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के महत्व पर ज़ोर दिया एवं इसके अलावा, आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाने के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) स्टोरेज टैंक स्थापित करने पर भी ज़ोर दिया गया।

चयनित जीएमसीएच के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2022) के दौरान, यह पाया गया कि एलएमओ टैंकों में से कोई भी चालू नहीं हुआ था, जबकि फर्मों को ₹ 87.78 लाख का भुगतान किया गया था। ये टैंक केवल जीएमसीएच जगदलपुर एवं राजनांदगांव में बनाए गए थे एवं जीएमसीएच अंबिकापुर में निष्क्रिय पड़े थे ।

चूंकि एलएमओ टैंक या तो स्थापित नहीं किए गए थे या बिना किसी कारण के सात से 10 महीने तक काम नहीं कर रहे थे, इसलिए निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति प्रदान करने का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इसी प्रकार, डीकेएसपीजीआई के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:

- ***डीकेएसपीजीआई चिकित्सालय परिसर में स्थापित एलएमओ टैंक का निष्क्रिय पड़ा होना:*** सीजीएमएससीएल द्वारा ₹ 38.11 लाख मूल्य का क्रायोजेनिक एलएमओ टैंक (12 केएल) आपूर्ति किया गया था (पीओ तिथि 24 अप्रैल 2021)। उपकरण को चिकित्सालय परिसर में स्थापित किया गया था एवं जनवरी 2022 में इसे चिकित्सालय की मुख्य ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़े बिना परीक्षण/प्रदर्शन किया गया था एवं इस प्रकार, इसकी आपूर्ति के बाद से इसे निष्क्रिय रखा गया था।
- ***निम्न गुणवत्ता वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति:*** सितंबर 2018 में डीकेएसपीजीआई में ₹ 2.90 करोड की लागत से 1500 एलपीएम क्षमता का प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन (पीएसए) प्लांट लगाया गया था, जिसकी वारंटी मार्च 2022 में समाप्त हो गई थी। यद्यपि, डीकेएसपीजीआई, रायपुर द्वारा आज तक (जून 2022) एएमसी/सीएमसी नहीं किया गया है। मशीन पर डिस्प्ले से पता चलता है कि ऑक्सीजन की शुद्धता 35 प्रतिशत से कम थी एवं रखरखाव की आवश्यकता थी, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीएसए पर डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुसार, मरीजों को केवल उच्च गुणवत्ता वाली मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन (90 प्रतिशत से 96 प्रतिशत) दी जानी चाहिए।

शासन ने बताया (अप्रैल 2023) कि अंबिकापुर में निर्माणाधीन नए भवन में एलएमओ टैंक स्थापित किया जाएगा। सीजीएमएससीएल को डीकेएसपीजीआई रायपुर में एलएमओ टैंक की स्थापना का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जीएमसी को एलएमओ टैंक की जल्द स्थापना के निर्देश दिए गए हैं।

4.8.7 रीजेंट की अनुपलब्धता के कारण ₹ 2.77 करोड़ मूल्य की ऑटोमैटिक न्यूक्लिक ऐसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम का अनुपयोगी रहना

आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीनों का उपयोग कोशिका या ऊतक के नमूनों से आरएनए एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए किया जाता है एवं कोविड–19 का पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीजीएमएससीएल ने चार चिकित्सा महाविद्यालयों[56] में ₹ 1.79 करोड़ मूल्य के चार ऑटोमैटिक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन सिस्टम 96 चैनल 48 ट्यूब की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए आपूर्तिकर्ता जेनेटिक्स बायोटेक एशिया प्राइवेट लिमिटेड को क्रय आदेश जारी किया (जून एवं अगस्त 2020)। जुलाई एवं अगस्त 2020 के बीच शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालयों में उपकरणों की आपूर्ति एवं स्थापना की गई, जिनकी वारंटी अगस्त 2025 तक थी । यह देखा गया कि एक्सट्रैक्शन किट की अनुपलब्धता के कारण इन उपकरणों का एक से 14 महीने तक उपयोग नहीं किया गया।

इसी प्रकार, दो चिकित्सा महाविद्यालयों[57] में आईसीएमआर, यूनिसेफ द्वारा आपूर्ति की गई एवं स्थानीय स्तर पर खरीदी गई तीन आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीनें सितंबर 2020 एवं जुलाई 2021 के बीच स्थापित की गईं, लेकिन स्थापना के बाद उनका उपयोग नहीं किया जा सका, जैसा कि ***तालिका– 4.32*** में विस्तृत है:

तलिका – 4.32: आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन की आपूर्ति एवं स्थापना का विवरण

जीएमसी का नाम	आपूर्तिकर्ता	प्राप्ति की तिथि	स्थापना की तिथि	मूल्य (₹ लाख में)	इस समय से निष्क्रिय पड़े रहे
जीएमसी बिलासपुर	सीजीएमएससीएल	जुलाई 2020	जुलाई 2020	44.71	मई 2021
	यूनिसेफ ने दान दिया	जुलाई 2021			आपूर्ति की तिथि से
जीएमसी अंबिकापुर	सीजीएमएससीएल	जुलाई 2020	जुलाई 2020	44.71	मार्च 2021
जीएमसी जगदलपुर	स्थानीय क्रय	उल्लेख नहीं है	21 सितंबर 2020	55.48	इसकी स्थापना के बाद से
	आईसीएमआर	जुलाई 2020	04 सितंबर 2020	42.19	इसकी स्थापना के बाद से
जीएमसी राजनांदगांव	सीजीएमएससीएल	जुलाई 2020	जुलाई 2020	44.71	फरवरी 2021
जीएमसी रायपुर	सीजीएमएससीएल	अगस्त 2020	अगस्त 2020	44.71	दिसंबर 2020
योग				**276.51**	

(स्रोतः जीएमसीएच बिलासपुर , अंबिकापुर , जगदलपुर , राजनांदगांव एवं रायपुर के संयुक्त भौतिक सत्यापन के पश्चात संकलित)

इस प्रकार, अपर्याप्त नियोजन जीएमसी एवं सीजीएमएससीएल के बीच समन्वय की कमी के कारण, एक्सट्रैक्शन किट की कमी के कारण उपर्युक्त उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप कोविड–19 महामारी के दौरान इसका उपयोग नहीं हो सका।

शासन ने बताया (अप्रैल 2023) कि सीजीएमएससीएल एक्सट्रैक्शन किट की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखेगी।

---

[56] अंबिकापुर, बिलासपुर, राजनांदगांव एवं रायपुर

[57] बिलासपुर एवं जगदलपुर

4.8.8 नमूना जाँच वाले जिलों में वेंटिलेटर की उपलब्धता

नमूना जाँच किए गए जिले में कोविड–19 के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को प्राप्त एवं वितरित वेंटिलेटर से संबंधित विवरण निम्नलिखित *तालिका– 4.33* में दिए गए हैं:

तालिका – 4.33: नमूना जाँच किए गए जिले में प्राप्त वेंटिलेटर

जिला	सीएमएचओ को आपूर्ति किये गये वेंटिलेटरों की कुल संख्या	समय पर स्थापित वेंटिलेटरों की संख्या	विलंब से स्थापित वेंटिलेटरों की संख्या	स्थापना में देरी की सीमा (दिन)	वेंटिलेटर जिसकी संख्या स्थापित नहीं की गई
रायपुर	114	20	80	1 से 454	14
कोरिया	28	0	28	10 से 14	0
बालोद	15	0	15	18 से 259	0
कोंडागांव	18	18	0	कोई विलंब नहीं	0
सुकमा	18	4	14	25 से 95	0
सूरजपुर	26	26	0	कोई विलंब नहीं	0
बिलासपुर	30	8	22	2 से 17	0
योग	**249**	**76**	**159**	**1 से 454**	**14**

(स्रोतः सीएमएचओ द्वारा दी गई जानकारी)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि सात नमूना जाँच किए गए जिलों को कुल 249 वेंटिलेटर की आपूर्ति की गई थी। इसमें से केवल 76 वेंटिलेटर ही समय पर स्थापित किए गए एवं 159 वेंटिलेटर 1 से 454 दिनों के विलंब से स्थापित किए गए। यह भी पाया गया कि रायपुर जिले में 14 वेंटिलेटर मई 2023 तक स्थापित नहीं किए गए हैं, जबकि उन्हें 1 अप्रैल 2021 से 20 अगस्त 2021 के बीच आपूर्ति की गई थी।

4.9 आयुष में दवाओं, औषधियों, उपकरणों एवं अन्य कंज्यूमेबल सामग्रियों की उपलब्धता

4.9.1 दवाओं के वार्षिक मांगपत्र को अंतिम रूप देने में विलंब

छत्तीसगढ़ शासन ने स्वास्थ्य विभाग के लिए दवाओं की केन्द्रीकृत क्रय एवं वितरण का कार्य सीजीएमएससीएल को सौंपा था, जिसने मांगपत्र, दवाओं एवं औषधियों की क्रय एवं वितरण की सुविधा के लिए ऑनलाइन डीपीडीएमआईएस विकसित एवं चालू (मई 2013) किया। विभाग ने निर्देश (मई 2016) दिया कि प्रति वर्ष दवाओं एवं कंज्यूमेबल सामग्रियों के लिए वार्षिक मांगपत्र (एआई) पूर्ववर्ती वर्ष के 30 सितंबर तक तैयार कर एवं संकलित वार्षिक मांगपत्र 31 अक्टूबर तक सीजीएमएससीएल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संचालनालय ने ऑफलाइन मोड में प्राप्त वार्षिक मांग को संकलित कर सीजीएमएससीएल को विलम्ब से अग्रेषित किया, जैसा कि *तालिका–4.34* में दर्शाया गया है:

तालिका – 4.34: वार्षिक मांगपत्र प्रस्तुत करने में विलंब दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	संस्थानों से मॉगपत्र प्राप्त होने की तिथि[58]	आयुष संचालनालय द्वारा अनुमोदन तिथि	सीजीएमएससीएल को प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	संचालनालय द्वारा अनुमोदन हेतु लिए गए दिनों की संख्या	सीजीएमएससीएल को मॉगवत्र प्रस्तुत करने में विलंब
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	ई (सी–बी)	(एफ)
2017–18	23–07–16	12–09–2016	15–09–2016	51 दिन	विलंब नहीं
2018–19	26–05–17	31–03–2018	31–03–2018	309 दिन	151 दिन
2019–20	29–11–18	08–02–2019	11–02–2019	71 दिन	103 दिन
2020–21	25–10–19	31–10–2019	04–11–2019	06 दिन	04 दिन
2021–22	30–01–21	25–02–2021	26–02–2021	26 दिन	118 दिन

(स्रोतः आयुष संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

संचालनालय ने स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त होने वाले वार्षिक मांगपत्र को अंतिम रूप देने में निर्धारित समय 30 दिनों के स्थान पर छः से 309 दिन का समय लिया। 2017–18 को छोड़कर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर के पश्चात दवाओं के वार्षिक मांगपत्र सीजीएमएससीएल को विलंब से भेजे गए, जो कि चार से 151 दिनों तक विलंबित थी। वार्षिक मांग का विश्लेषण करने के लिए संचालनालय स्तर पर गठित समिति ने बिना किसी कार्य–पत्रक या उनके कारणों को दर्ज किए बिना स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त मांगों को युक्तिसंगत बनाकर सीजीएमएससीएल को मांगपत्र भेज दिया। इसके अलावा, संचालनालय एवं स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा मांगपत्र एवं वितरण के लिए औषधि क्रय एवं वितरण प्रबंधन सूचना प्रणाली (डीपीडीएमआईएस) का उपयोग करने में विफल रही, जो कि वार्षिक मांग, क्रय एवं वितरण को अंतिम रूप देने में होने वाली विलंब को कम कर सकती थी।

छत्तीसगढ़ शासन ने उत्तर (दिसंबर 2022) दिया कि स्वास्थ्य संस्थानों से वार्षिक मांग प्राप्त करने में विलंब एवं संचालनालय स्तर पर मांग को समेकित करने के कारण वार्षिक मांगपत्र को अग्रेषित करने में विलंब हुई। इसके अलावा, सीजीएमएससीएल द्वारा मांग के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है एवं भविष्य में, सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वार्षिक मांग को अग्रेषित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीपीडीएमआईएस 2013 से परिचालन में है एवं संचालनालय द्वारा वर्तमान आयुष संस्थानों को डीपीडीएमआईएस प्रणाली से जोड़ा नहीं गया था।

4.9.2 औषधि परीक्षण प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र (डीटीएलआरसी), रायपुर में मानक उपकरणों की अनुपलब्धता

राज्य शासन ने राज्य में शासकीय एवं निजी फार्मेसियों में उत्पादित दवाओं की गुणवत्ता जाँच करने के लिए डीटीएलआरसी की स्थापना (2001) की गई थी। एनएएम के तहत आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी दवाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, डीटीएलआरसी में रसायन विज्ञान (34 प्रकार), फार्माकोग्नॉसी (16 प्रकार) एवं माइक्रोबायोलॉजी (नौ प्रकार) के नाम के तीन अनुभागों के लिए कुल 59 प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता थी।

[58] प्राप्ति की तिथि को अंतिम स्वास्थ्य संस्थान से वार्षिक मांगपत्र प्राप्त करने की तिथि माना जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीटीएलआरसी में केवल 42[59] प्रकार के उपकरण उपलब्ध थे। इसके अलावा, मानव संसाधन की कमी के कारण माइक्रोबायोलॉजी अनुभाग प्रारंभ नहीं किया गया था एवं दो[60] उपकरण निष्क्रिय पड़े थे।

छत्तीसगढ़ शासन ने (दिसंबर 2022) तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि तकनीकी मानव संसाधन की कमी के कारण माइक्रोबायोलॉजी अनुभाग प्रारंभ नहीं किया जा सका। इसके अलावा, शेष उपकरणों की क्रय के लिए सीजीएमएससीएल को मांग भेजी गई।

4.9.3 औषधियों के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी

शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी (जीएपी) राज्य में आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पादन एवं वितरण में शामिल है। राज्य की स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त वार्षिक मांग के आधार पर जीएपी द्वारा औषधियों के उत्पादन का लक्ष्य प्रति वर्ष के लिए संचालक, आयुष द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016–21 के दौरान जीएपी द्वारा 132 ठोस औषधियों एवं 20 तरल औषधियों का उत्पादन किया, जिसमें ठोस औषधियों के उत्पादन में 58 से 92 प्रतिशत एवं तरल औषधियों के उत्पादन में 72 से 100 प्रतिशत की कमी थी। *परिशिष्ट 4.12* में विस्तृत विवरण के अनुसार, जिलों से मांग के बिना ₹ 93.03 लाख मूल्य की कुल 33 औषधियों का उत्पादन किया गया। इसके अलावा, विगत पांच वर्षों में से चार वर्षों में लक्ष्य के मुकाबले औषधियों के उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक की कमी थी।

छत्तीसगढ़ शासन ने (दिसंबर 2022) उत्तर दिया कि सीजीएमएससीएल द्वारा आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति कम होने के कारणों से जीएपी द्वारा वांछित वार्षिक लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका।

4.9.4 ₹ 0.75 करोड़ मूल्य के उपकरणों की अतिरिक्त आपूर्ति

स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति सीजीएमएससीएल द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक मांग के अनुसार किए जाता हैं, जिसमें स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा आवश्यक उपकरणों की संख्या एवं विनिर्देश शामिल होते हैं। उपकरणों के लिए वार्षिक मांग स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा तैयार किया जाता है एवं संकलित वार्षिक मांग को स्वास्थ्य संस्थानों को आपूर्ति के लिए आयुष संचालनालय द्वारा सीजीएमएससीएल को प्रस्तुत किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात नमूना जॉच जिलों में, वार्षिक मांग पर विचार किए बिना स्वास्थ्य संस्थानों को 281 उपकरणों की अतिरिक्त आपूर्ति की गई, जैसा कि *तालिका – 4.35* में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

---

[59] रसायन विज्ञान में 26 प्रकार के उपकरण, फार्माकोग्नॉसी में 14 प्रकार के उपकरण एवं माइक्रोबायोलॉजी में 2 प्रकार के उपकरण

[60] बीओडी इनक्यूबेटर एवं अन्य संबंधित उपकरण एवं रीजेंट

तालिका 4.35 : 2016–22 के दौरान चयनित जिलों में उपकरणों की अतिरिक्त आपूर्ति

एस. एन.	वार्षिक मांग के विरुद्ध / बिना मांग के प्राप्त उपकरणों की संख्या			उपकरण का मूल्य (₹ करोड़ में)
	वार्षिक मांग मात्रा	वार्षिक मांग प्राप्त मात्रा	अतिरिक्त आपूर्ति की गई मात्रा	
1.	207	282	75	0.19
2.	0	206	206	0.56
योग	**207**	**488**	**281**	**0.75**

(स्रोतः चयनित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े तथा लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

नमूना जाँच में पाया गया की 29 स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यकता से अधिक आपूर्ति के कारण ₹ 0.36 करोड़ लागत के 69 उपकरण निष्क्रिय पड़े थे।

छत्तीसगढ़ शासन ने (दिसंबर 2022) उत्तर दिया कि उपकरणों की आपूर्ति स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा मांग के अनुसार की जाती है एवं सीजीएमएससीएल द्वारा कार्य आदेश जारी करने में विलंब के कारण, विगत वर्ष के मांग के अनुसार उपकरणों की आपूर्ति वर्तमान वर्ष के मांग के साथ की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त आपूर्ति होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विगत वर्षों की आपूर्ति पर विचार किए बिना वार्षिक मांगपत्र तैयार किए जा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा ₹ 0.75 करोड़ मूल्य के अतिरिक्त उपकरण स्वीकार किए गए।

4.10 सीजीएमएससीएल द्वारा विकसित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली

4.10.1 परिचय

छत्तीसगढ़ शासन ने राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत राज्य में ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली विकसित किया है। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) ने राज्य में ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किया है जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के निविदों के लिए किया जाता है। इसी तरह, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में दवाओं, कंज्यूमेबल एवं उपकरणों की खरीद एवं वितरण को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ शासन ने सीजीएमएससीएल के माध्यम से एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली विकसित करने को मंजूरी (जुलाई 2012) दी गयी, जो सम्पूर्ण राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न दवाओं, कंज्यूमेबल सामग्रियों एवं उपकरणों इत्यादि की मांग, खरीद, इन्वेंटरी प्रबंधन एवं वितरण से संबंधित है।

राज्य की केन्द्रीकृत क्रय एजेंसी होने के नाते सीजीएमएससीएल ने कम्प्यूटरीकृत प्रणाली[61] का क्रियान्वयन एवं उपयोग प्रारम्भ किया, जैसा कि *तालिका – 4.36* में दिखाया गया है:

[61] कृपया क्रय की प्रक्रिया प्रवाह के लिए चार्ट–4.1 देखें।

तालिका – 4.36 : सीजीएमएससीएल द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेब–आधारित एप्लिकेशन को दर्शाने वाला विवरण

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम	द्वारा विकसित	परिचालन की तिथि
ड्रग प्रोक्योरमेंट एण्ड डिस्ट्रब्यूशन मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम (डीपीडीएमआईएस)	सीजीएमएससीएल	मई 2013
ईक्यूपमेंट मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम (ईएमआईएस)	सीजीएमएससीएल	अगस्त 2017
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम (एचआईएमआईएस)	सीजीएमएससीएल	दिसंबर 2014
ई–प्रोक्योरमेंट	चिप्स	मार्च 2016

(स्रोतः डेटा सीजीएमएससीएल द्वारा उपलब्ध कराया गया एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

डीपीडीएमआईएस में आठ मॉड्यूल शामिल हैं, जैसे कि इंडेंट, टेंडर – कॉन्ट्रैक्ट, पर्चेस ऑर्डर, वेयरहॉउस, क्वालिटी कंट्रोल, हेल्थ फेसल्टी, सप्लाइर एवं फाईनेंस फॉर पर्चेस ऑफ ड्रग्स एण्ड कन्स्यूमबल। ईएमआईएस में तीन मॉड्यूल शामिल हैं, जैसे कि प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एवं कम्प्लैन्ट फॉर ईक्यूपमेंट। एचआईएमआईएस में छह मॉड्यूल शामिल हैं, जैसे कि हेड ऑफिस, डिवीजन, सब–डिवीजन, सब–इंजीनियर, फाईनेंस एवं कान्ट्रैक्टर फॉर मोनिट्रिंग ऑफ कन्स्ट्रक्शन वर्क्स।

आईटी ऑडिट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे डीपीडीएमआईएस, ईएमआईएस एवं एचआईएमआईएस को शामिल किया गया। ऑडिट में सीजीएमएससीएल के मुख्यालय में मैनुअल रिकॉर्ड/फाइलों की जाँच की गई एवं एसक्यूएल क्वेरी एवं एमएस एक्सेल का उपयोग करके डीपीडीएमआईएस, ईएमआईएस (एवेंकल डेटा डंप) में उपलब्ध डेटा का विश्लेषण किया गया ।

मौजूदा आईटी सिस्टम की ऑडिट को सिस्टम के जनरल, एप्लीकेशन एवं आउटपुट कंट्रोल का मूल्यांकन करने के लिए विभक्त किया गया। ऑडिट में जाँच की गई कि क्या डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय नियंत्रण मौजूद थे एवं क्या सिस्टम में आवश्यक ऑडिट ट्रेल्स शामिल किए गए थे।

4.10.2 जनरल कंट्रोल

जनरल कंट्रोल आईटी नियंत्रण संरचना की नींव हैं जो कि जनरल एन्वायरनमेंट से संबंधित हैं जिसमें आईटी सिस्टम विकसित, संचालित, प्रबंधित एवं संधारित करता है। ऑडिट में देखी गई जनरल कंट्रोलों में कमियों पर नीचे चर्चा की गई है।

4.10.2.1 आईटी प्रणाली विकसित करने में योजना का अभाव

सीजीएमएससीएल एवं उपयोगकर्ता स्वास्थ्य संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने वाली आईटी प्रणाली के विकास के लिए, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजना तैयार करने की आवश्यकता थी।

तदनुसार, सीजीएमएससीएल के विभिन्न कार्यों जैसे दवाओं एवं उपकरणों की खरीद एवं वितरण के साथ–साथ स्थापना एवं रखरखाव, सिविल कार्य, मानव संसाधन प्रबंधन एवं वित्तीय लेखांकन के स्वचालन के लिए, एक वेब–आधारित एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर तैयार करने का कार्य मेसर्स ब्रॉड लाइन कंप्यूटर सिस्टम (बीएलसीएस), चेन्नई को प्रदाय (फरवरी 2013) किया गया । बीएलसीएस ने केवल दवाओं की खरीद एवं वितरण (डीपीडीएमआईएस) के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया एवं सीजीएमएससीएल को सिस्टम (2016) प्रदाय किया गया। आगे, सीजीएमएससीएल की इन–हाउस टीम द्वारा एप्लिकेशन सिस्टम (ईएमआईएस एवं एचआईएमआईएस) विकसित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि आईटी प्रणाली यथा डीपीडीएमआईएस, ईएमआईएस एवं एचआईएमआईएस जैसी प्रणालियों का व्यवहार्यता अध्ययन क्रमशः मार्च 2013, अगस्त 2014 एवं 2016 में किया गया था। इसके अलावा, व्यवहार्यता अध्ययन की तारीख से नौ साल बीत जाने के बावजूद व्यवहार्यता अध्ययन से संबंधित दस्तावेज आज तक तैयार नहीं किए गए।

इसके अतिरिक्त, सीजीएमएससीएल को कार्य प्रदान करने के पश्चात उसकी निगरानी करने में असफल रहा। जिसके कारणें से डीपीडीएमआईएस में आठ मॉड्यूल में से पांच मॉड्यूल अकार्यशील थे एवं यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (यूआरएस), सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस), चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी एवं आईटी सिस्टम के मैनुअल जैसे दस्तावेज बीएलसीएस द्वारा कार्य के निष्पादन के दौरान तैयार नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, ऑडिट के इंगित करने पर सीजीएमएससीएल द्वारा डीपीडीएमआईएस के केवल वित्त मॉड्यूल का समानांतर परीक्षण (फरवरी 2021) किया गया था एवं अन्य सभी मॉड्यूल का समानांतर परीक्षण नहीं किया गया था। समानांतर परीक्षण के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि ऑनलाइन प्रणाली में अपनाई गई प्रक्रिया के विभिन्न चरण मैनुअल प्रणाली के समान थे या नहीं।

सीजीएमएससीएल द्वारां आईटी सिस्टम विकसित करते समय अलग–अलग सॉफ्टवेयर एवं अलग–अलग डेटाबेस (अर्थात डीपीडीएमआईएस, ईएमआईएस, एचआईएमआईएस एवं ई–प्रोक्योरमेंट) विकसित किए एवं ये अलग–अलग डेटाबेस आपस में जुड़े नहीं थे। जिसके कारणों से क्रय की शुरू से अंत तक की प्रक्रिया, स्वास्थ्य संस्थानों को वितरण एवं विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की सुविधों को अभी भी पूरी तरह से जोडते हुए कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया जैसा कि *पैरा 4.10.3.2(स), 4.10.3.2(द),* एवं *4.10.3.3 (अ)* में चर्चा की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि सीजीएमएससीएल द्वारा विकसित मॉड्यूल मौजूदा एसआरएस एवं यूआरएस दस्तावेजों में शामिल किए जाएंगे एवं सभी आवेदनों के व्यवहार्यता अध्ययन के लिए दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है एवं वित्त वर्ष 2023–24 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। समानांतर परीक्षण करने एवं उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए अलग से जनशक्ति सीजीएमएससीएल द्वारा नियुक्त की जाएगी। इसके अलावा, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सभी डेटाबेस को आपस में जोड़ा जाएगा।

4.10.2.2 गैर–परिचालन एकीकृत ई– प्रोक्योरमेंट प्रणाली एवं डीपीडीएमआईएस

छत्तीसगढ़ शासन ने (अगस्त 2007) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) को स्वास्थ्य विभाग सहित पांच[62] विभागों में पायलट आधार पर एक नई एकीकृत ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली (आईईपीएस) को लागू करने का कार्य सौंपा गया था।

चिप्स को पांच पायलट विभागों में अनिवार्य रूप से रोल आउट करने के लिए आठ मॉड्यूल अर्थात विक्रेता प्रबंधन, इंडेंट प्रबंधन, ई–टेंडरिंग, ई–ऑक्शन, कॉन्टेक्ट प्रबंधन, ई–पेमेन्ट, लेखांकन एवं एमआईएस को लागू करना था ।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया की स्वास्थ्य विभाग में आईईपीएस में क्रियान्वित किए जाने वाले आठ मॉड्यूलों में से केवल तीन[63] मॉड्यूल ही क्रियान्वित किए गए थे तथा शेष

---

62 स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग

63 विक्रेता प्रबंधन, ई–टेंडरिंग एवं एमआईएस।

पांच[64] मॉड्यूल मार्च 2016 में ऐप्लीकेशन के गो–लाइव[65] होने के बाद भी क्रियान्वित नहीं किए गए थे। आगे की जाँच से पता चला कि शेष मॉड्यूलों का परिचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू ही नहीं किया गया।

समानांतर में, सीजीएमएससीएल ने उसी उद्देश्य के लिए एक एवं सॉफ्टवेयर अर्थात डीपीडीएमआईएस विकसित (मई 2013) किया एवं उपरोक्त सॉफ्टवेयर में आठ[66] मॉड्यूल विकसित किए गये। सीजीएमएससीएल द्वारा विकसित आठ मॉड्यूल में से चार[67] मॉड्यूल मौजूदा आईईपीएस के साथ ओवरलैप हो रहे थे। हालांकि, केवल दो मॉड्यूल अर्थात पर्चेस ऑर्डर एवं क्वालिटी कंट्रोल पूर्णरूप से कार्यात्मक थे, एवं एक मॉड्यूल अर्थात वेयरहाउस आंशिक रूप से कार्यात्मक थे एवं पांच मॉड्यूल अर्थात इंडेंट, टेन्डर, हेल्थ फेसल्टी, सप्लायर एवं फाईनेंस मार्च 2022 तक अकार्यात्मक थे। चिप्स के आईईपीएस की उपलब्धता के बावजूद, सीजीएमएससीएल ने ₹ 49.02 लाख की लागत से समानांतर सॉफ्टवेयर तैयार किया। हालांकि, इस सॉफ्टवेयर में भी सीजीएमएससीएल द्वारा परिकल्पित सभी मॉड्यूल अकार्यात्मक (जून 2022) थे । इस प्रकार, एक सॉफ्टवेयर के अस्तित्व में होने के बाद भी उसी उद्देश्य के लिए समानांतर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया परंतु दोनों सॉफ्टवेयर अधूरे रहे एवं एक एकीकृत सॉफ्टवेयर के विकास के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

छत्तीसगढ़ शासन ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि ई–प्रोक्योरमेंट प्रणाली का इस्तेमाल केवल ई–टेन्डर करने हेतु किया जाता है। सीजीएमएससीएल ने ई–प्रोक्योरमेंट के अन्य मॉड्यूल की विस्तृत कार्यक्षमता साझा करने के लिए चिप्स को एक पत्र भेजा है।

तथ्य यह है कि आईईपीएस में आवश्यक मॉड्यूल की उपलब्धता एवं सीजीएमएससीएल द्वारा इसकी स्वीकृति के बावजूद, सीजीएमएससीएल द्वारा एक समानांतर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया।

4.10.3 एप्लिकेशन कंट्रोल

एप्लिकेशन कंट्रोल में इनपुट, प्रोसेसिंग एवं ऑउटपुट कंट्रोल से मिलकर बने होते है जो नियमों के अनुसार मैपिंग, उचित प्राधिकरण, पूर्णता, सटीकता एवं लेन–देन की वैधता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

4.10.3.1 इनपुट कंट्रोल

इनपुट कंट्रोल यह सुनिश्चित करते हैं कि दर्ज किया गया डाटा पूर्ण एवं सटीक है। इनपुट कंट्रोल वे नियंत्रण हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से किसी व्यावसायिक एप्लिकेशन में दर्ज किए गए डाटा की सत्यता की जाँच करने के लिए किया जाता है। लेखापरीक्षा में पायी गयी इनपुट कंट्रोल की कमियों पर नीचे चर्चा की गयी है:

(अ) एप्लिकेशन सिस्टम में इनपुट जाँच लागू करने में विफलता

सिस्टम में इनपुट किए गए डाटा की सटीकता को कम्प्यूटरीकृत वैधता जाँच लागू करके नियंत्रित किया जा सकता है। वैधता जाँच यह सुनिश्चित करती है कि इनपुट किया गया डाटा निर्दिष्ट मापदंडों के अंतर्गत रहे।

डीपीडीएमआईएस डाटाबेस में इनपुट नियंत्रण में देखी गई कमियां निम्नानुसार हैं:

---

64 इंडेंट प्रबंधन, ई–नीलामी, अनुबंध प्रबंधन, लेखांकन एवं ई–भुगतान।

65 गो–लाइव का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन विभाग द्वारा अपेक्षित सभी मॉड्यूलों के लिए सेवाओं का एक पूर्ण चक्र पूरा हो जाता है।

66 इंडेंट, टेन्डर, पर्चेस ऑर्डर, वेयरहाउस, क्वालिटी कंट्रोल, हेल्थ फेसल्टी, सप्लाइर एवं फाईनेंस

67 इंडेंट, टेन्डर, सप्लाइर एवं फाईनेंस

- मास्टर टेबल के मासआइटमस डाटा में, जिसमें ड्रग कोड, ड्रग का नाम, स्ट्रेन्थ, पैकिंग मात्रा, प्रविष्टि की तिथि आदि जैसी दवाओं से संबंधित डाटा कैप्चर होता है, जिसमें 3,417 प्रविष्टियां बिना तिथि का उल्लेख किए इन्द्रराज की गयीं एवं 2,546 प्रविष्टियां समान तिथि (01–11–2018) के साथ इन्द्रराज की गयीं, जो पिछली तिथि की प्रविष्टि को रोकने के लिए कोई भी जाँच तन्त्र की अनुपलब्धता को प्रकटकर्ता है।
- उचित अनुमोदन के बिना प्रविष्टि करने के परिणामस्वरूप सिस्टम द्वारा अपूर्ण डाटा कैप्चर किया गया।
- मास्टर टेबलों (अर्थात, मासआइटमस, माससप्लायर्स, माससस्कीम्स, मासआइटमकैटेगरी, एवं मासासीईयरसेटिंग्स आदि) एवं ट्रान्ज़ैक्शन टेबलों (अर्थात, एसओऑर्डरर्डआइटमस, एसओऑर्डरप्लेसड, एओसीकान्ट्रैक्टआइटमस आदि) में प्रविष्टि तिथि, अद्यतन तिथि एवं उपयोगकर्ता आईडी रिकॉर्ड करने के लिए कोई फ़ील्ड नहीं था।
- डीपीडीएमआईएस में अमान्य विनिर्माण तिथि प्रारूप वाले 20 मामले तथा एक ही बैच संख्या लेकिन अलग–अलग विनिर्माण तिथि वाले चार[68] मामले स्वीकार किए गए।
- उपकरणों के लिए छह[69] निविदाओं के मामले में, ₹ 17.92 करोड़ की राशि के क्रय आदेश ईएमआईएस के बजाय डीपीडीएमआईएस के माध्यम से जारी किए गए।
- भौतिक अभिलेखों के अनुसार, निविदा संख्या 27एम(पी) में, सीजीएमएससीएल द्वारा बिना हस्ताक्षर एवं तिथि के कुल 13 अनुबंधों निष्पादित किए गए, जबकि नौ अनुबंधों पर हस्ताक्षर की तारीख सिस्टम में दर्ज पाई गई। इसके अलावा, मैनुअल अनुबंधों में आरंभ तिथि एवं समाप्ति तिथि दर्ज होना नहीं पाया गया, लेकिन चार मामलों में सिस्टम में दर्ज होना पाया गया।

इसके अलावा, ईएमआईएस डाटाबेस में इनपुट कंट्रोल में देखी गई कमियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- अवॉर्ड–ऑफ–कान्ट्रैक्ट टेबल के अनिवार्य फ़ील्ड कान्ट्रैक्ट–साइन–डेट एवं कान्ट्रैक्ट–एन्ड–डेट में क्रमशः शून्य डाटा के 73 एवं 26 मामले थे
- ईएमआईएस में, आपूर्तिकर्ता को सिस्टम द्वारा उत्पन्न क्रय आदेश जारी किए जाते हैं। दो निविदाओं (निविदा संख्या 44 एवं 53) में, 15 वस्तुओं के लिए छह[70] आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए अनुबंध की वैधता अवधि[71] समाप्त होने के बाद सिस्टम द्वारा ₹ 24.69 करोड़ रुपये के उपकरणों के लिए क्रय आदेश जारी किए गए। सिस्टम में किसी भी जाँच प्रणाली के अभाव में, अनुबंध की वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात् क्रय आदेश 184 दिनों से लेकर 436 दिनों तक विलंब से जारी हुआ (जैसा कि *परिशिष्ट 4.13* में विस्तृत है)।

छत्तीसगढ़ शासन ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि सभी मास्टर टेबल में प्रविष्टि तिथि का एक नया कॉलम जोड़ा गया है। इसके अलावा, गलत प्रविष्टियों को मानवीय भूल

---

68 कम्पाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन आईपी – 93एमआइ17027, एच1एन1 ट्राइवेलेन्ट वैक्सीन – आर3जे143वी, न्यूमोकोकल इंजेक्शन – टी12369, एच1एन1 क्वाड्रिवेलेन्ट वैक्सीन – यूजे381एए।

69 निविदा संख्या 029ई(पी), 057/ई(पी), 125ई(पी), 141ई(पी), 87(आर2)/ई(पी), 141(आर)ई(पी)

70 बागरी एंटरप्राइजेज, मोक्षित कॉर्पोरेशन, आशा मेडिकल सिस्टम, मेडिको सर्जिकल, नीतिराज इंजीनियर्स लिमिटेड, सीबी कॉर्पोरेशन।

71 छह महीने की अधिकतम विस्तार अवधि के साथ दो वर्ष की वैधता अवधि।

माना जा सकता है एवं सीजीएमएससीएल इस स्थिति से निपटने के लिए बार–कोडिंग प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया में है।

(ब) इनपुट डाटा की प्रामाणिकता सत्यापित करने में विफलता

सिस्टम में प्रविष्ट डाटा की वैधता जाँच को डेटाबेस में प्रविष्ट इनपुट की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए एकीकृत किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईएमआईएस डाटाबेस में, वैधता एवं प्रामाणिकता की जाँच किए बिना इनपुट डाटा दर्ज किया गया था एवं मास्टर टेबल *मासस्प्लायर्स* में स्वीकार कर लिया गया था जैसा कि ***तालिका–4.37*** में दिखाया गया है:

तालिका–4.37: डाटाबेस में दर्ज अमान्य रिकॉर्ड दिखाने वाला विवरण

आपूर्तिकर्ता आईडी	आईएस –कान्ट्रैक्टर	नाम	मोबाइल नंबर
22	निरंक	मेसर्स एलाइड मेडिकल लिमिटेड	7773006975
42	निरंक	गेटियांज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	7773006975
44	निरंक	डी एंटरप्राइजेज	9329759559
46	निरंक	फैथ इनोवेशन	8889997404
48	निरंक	फेथ बायोटेक लिमिटेड	8889997404
57	निरंक	मेसर्स आरोग्य मेडिको	333
58	निरंक	होस्पीमेडिका इंटरनेशनल लिमिटेड	333
59	निरंक	मेसर्स सन मेडिकल सिस्टम	333
62	निरंक	अवसरला टेक्नोलॉजी लिमिटेड	9329759559
110	निरंक	जय श्री मेडिकल स्एवं	1111122222
111	निरंक	लैबटॉप	1111122222

(स्रोतः डाटा डीपीडीएमआईएस से लिया गया है एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित किया गया)

जैसा कि उपरोक्त ***तालिका–4.37*** में दर्शाया गया है, विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक ही मोबाइल नंबर तथा 10 अंकों से कम वाले अमान्य मोबाइल नंबर भी स्वीकार किए गए, जो सिस्टम में वैधता जाँच प्रणाली के अभाव को इंगित करता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि नए आपूर्तिकर्ता प्रविष्टियों के लिए जाँच प्रणाली लागू की गई है जहां सॉफ्टवेयर केवल दस अंकों की संख्या की प्रविष्टियों को स्वीकार करेगा एवं कोई डुप्लिकेट प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी।

(स) डुप्लिकेट रिकार्डों की जाँच करने में विफलता

जब आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर दिया जाएगा तो डीपीडीएमआईएस एवं ईएमआईएस सॉफ्टवेयर एक अद्वितीय क्रय आदेश संख्या, ऑर्डर टाइप, ऑर्डर तिथि एवं मात्रा जनरेट होता है।

डीपीडीएमआईएस एवं ईएमआईएस डाटाबेस के डाटा विश्लेषण से पता चला कि 14 प्रकरणों में, एक ही नंबर वाले दो या अधिक क्रय आदेश (पीओ) पाए गए, जो कि सिस्टम द्वारा डुप्लिकेट पीओ जारी किया गया हैं। डुप्लिकेट पीओ की वर्षवार प्रवृत्ति ***चार्ट–4.3*** में दर्शाई गई है।

चार्ट–4.3: डुप्लिकेट क्रय ऑर्डर की प्रवृत्ति दिखाने वाला चार्ट

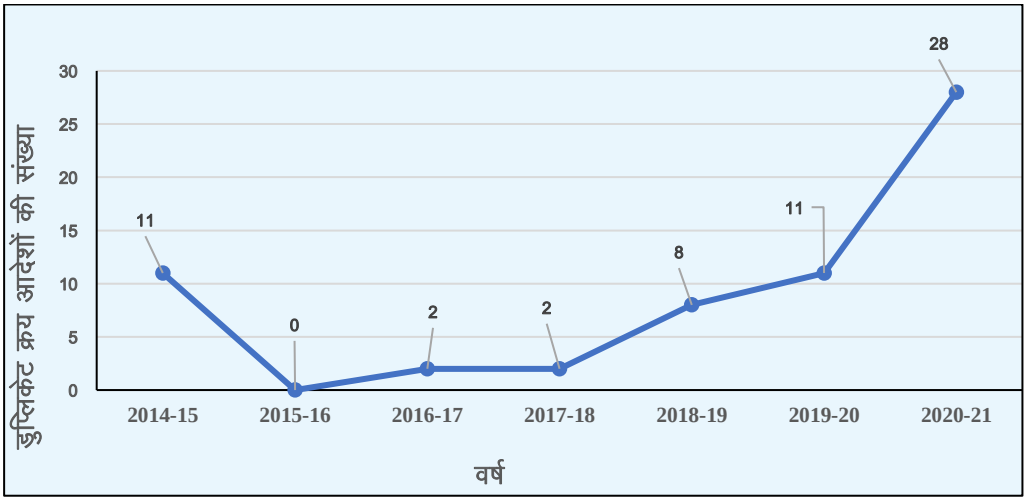

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि सिस्टम में किसी भी जाँच के अभाव में, सॉफ्टवेयर एक ही क्रय आदेश के लिए एक से अधिक पीओ नंबर जनरेट किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि सभी 14 मामलों में डिस्पैच नंबर नहीं है, इसलिए पीओ अपूर्ण था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने प्रत्येक पीओ के लिए एक अद्वितीय नम्बर जनरेट करने के के स्थान पर डुप्लिकेट पीओ नम्बर जारी किया गया।

4.10.3.2 प्रोसेसिंग कंट्रोल

सिस्टम में अंतर्निहित प्रोसेसिंग कंट्रोल को यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया पूर्ण एवं सटीक हो एवं संसाधित डाटा प्रासंगिक फ़ाइलों में अपडेट किया जाता हो। लेखापरीक्षा में देखे गये प्रोग्रामिंग लॉजिक में दोष एवं अनुबंध शर्तों के संबंध में सिस्टम में सभी व्यावसायिक नियमों को सम्मिलित नहीं किये जाने पर नीचे चर्चा की गई है।

(अ) पुश मैकेनिज्म के तहत मांग से अधिक दवाओं की आपूर्ति

सीजीएमएससीएल विभिन्न संचालनालयों से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर दवाओं की क्रय के लिए निविदा आमंत्रित करता है एवं पीओ जारी होने के बाद, विक्रेता डीपीडीएमआईएस का उपयोग करके स्वास्थ्य संस्थानों को आगे वितरण के लिए राज्य के 16 गोदामों में दवाएं पहुंचाता है। गोदाम स्वास्थ्य संस्थानों को उनके द्वारा प्रस्तुत मासिक मांग के आधार पर फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट (एफईएफओ) पद्धति का उपयोग करके दवाओं की आपूर्ति किया जाता हैं। डीपीडीएमआईएस गोदामों को स्वास्थ्य संस्थानों के द्वारा बिना किसी भी मांग के पुश मैकेनिज्म का उपयोग करके शीघ्र कालातीत होने वाली दवाओं की आपूर्ति स्वास्थ्य संस्थानो को प्रदान करने में सक्षम बनाया गया है।

डाटाबेस के ऑडिट विश्लेषण से पता चला कि सीजीएमएससीएल ने 2016–22 की अवधि के दौरान सम्पूर्ण राज्य के संचालनालयों[72] की स्वास्थ्य संस्थानों को 1101[73] प्रकार की दवाएं आपूर्ति कीं गयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीजीएमएससीएल ने

[72] डीएचएस, डीएमई एवं आयुष

[73] डीएचएस एवं डीएमई को 510 एलोपैथिक दवाएं एवं 591 प्रकार की आयुष दवाएं आपूर्ति की गईं।

स्वास्थ्य संस्थानों को औसत वार्षिक खपत[74] से 0.01 से 467 प्रतिशत के बीच आवश्यकता से अधिक दवाएं आपूर्ति की गयीं।

चूंकि स्टोर में कालातीत हो चुकी दवाओं के साथ–साथ स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को वितरित की गई दवाओं का डाटा संग्रहित करने की कोई प्रणालीय स्थापित नहीं किया गया, इसलिए पुश मैकेनिज्म के तहत अधिक आपूर्ति के कारण दवाओं की कालातीत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसकी चर्चा ***पैराग्राफ 4.4.4*** में की गई है।

छत्तीसगढ़ शासन ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि वर्तमान में यह प्रणाली खपत पर आधारित नहीं है, बल्कि यह मांग मात्रा पर आधारित है। इसलिए, खपत पैटर्न में भिन्नता हो सकती है। साथ ही, अगले वित्त वर्ष 2023–2024 से, सीजीएमएससीएल जारी मात्रा को सीमित कर देगा एवं संस्थानों से प्राप्त वार्षिक मांग से अधिक दवाएं जारी नहीं करेगा।

(ब) बारकोडिंग प्रणाली का क्रियान्वयन न होना

बारकोडिंग प्रणाली के कार्यान्वयन से दवाओं की प्रामाणिकता का विषय पर समाधान मिले जाता एवं ट्रेसबिलिटी में सुधार होता, जिससे विनिर्माण इकाइयों से लेकर अंतिम उपयोगकर्ताओं तक संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला को लाभ मिलता है।

10. जीएस1 बारकोड द्वारा कैप्चर किए गए विवरण

फरवरी 2016 की निविदा की सामान्य शर्तों (खंड संख्या 7.5(vii), 8.7 एवं 11.2.3) में बताया गया है कि द्वितीयक एवं तृतीयक पैक पर विस्तृत उत्पाद जानकारी वाला जीएस1 बारकोड होना चाहिए। बिना बारकोड के कोई भी दवा स्वीकार नहीं की जाएगी एवं बारकोड की आवश्यकता का पालन नहीं करने पर माल के मूल्य पर 1.5 प्रतिशत (द्वितीयक पैकिंग के लिए एक प्रतिशत एवं तृतीयक पैकिंग के लिए 0.5 प्रतिशत) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

डीपीडीएमआईएस डाटा के अनुसार, 2016–21 की अवधि के दौरान 201 आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त 39,757 एमआरसी में से 23,671 एमआरसी (60 प्रतिशत) में पैकेजिंग के द्वितीयक स्तर पर बारकोड मौजूद नहीं था, जिसका क्रय मूल्य ₹ 574.43 करोड़ था एवं 18,126 एमआरसी (46 प्रतिशत) में तृतीयक स्तर पर बारकोड मौजूद नहीं था, जिसका क्रय मूल्य ₹ 346.33 करोड़ था। 15,850 (40 प्रतिशत) मामलों में निविदा की शर्तों एवं नियमों के अनुसार पैकिंग के किसी भी स्तर पर बारकोड मौजूद नहीं था। निविदा शर्तों

[74] गोदाम से संस्थानों तक वर्षवार आपूर्ति के औसत के रूप में गणना की गई।

के अनुसार बारकोड की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करने पर ₹ 7.47 करोड़[75] की जुर्माना राशि आपूर्तिकर्ताओं से नहीं काटी गई।

इसके अतिरिक्त, 39 दवा नमूनों (परिशिष्ट 4.14) की नमूना जाँच में पाया गया कि आपूर्ति की गई दवाओ में से केवल 9.09 प्रतिशत (प्राथमिक पैकिंग) एवं 22.72 प्रतिशत (द्वितीयक पैकिंग) ने सीजीएमएससीएल के निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट बारकोड आवश्यकताओं को पूरा किया।

सीजीएमएससीएल के 30वीं निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक (23 फरवरी 2019) में चर्चा की गई थी कि यद्यपि निविदा दस्तावेज में पहले से ही आपूर्तिकर्ता के लिए बारकोड की आवश्यकता का प्रावधान सम्मिलित था, लेकिन सीजीएमएससीएल बारकोड को स्कैन नहीं कर रहा था। निदेशक मंडल ने बारकोडिंग प्रणाली को सभी स्तरों पर लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि मैनुअल डेटा कैप्चरिंग के कारण सिस्टम में विसंगतियों को दूर करने के लिए बारकोडिंग एक आवश्यक आवश्यकता है। जीएस1[76] संगठन द्वारा सुझाए गए बारकोडिंग प्रणाली को तृतीयक स्तर पर लागू किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया कि बारकोडिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए, जून 2022 तक सीजीएमएससीएल द्वारा आवश्यक उपकरण नहीं खरीदे गए थे। डाटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण मे पाया गया कि प्रत्येक सामग्री प्राप्ति प्रमाणपत्र (एमआरसी) में बारकोड अनुपालन के लिए फ़ील्ड/कॉलम ''हाँ/नहीं'' उत्तर के साथ उपलब्ध था। परंतु, आपूर्तिकर्ता से दवाओं की प्राप्ति एवं स्वास्थ्य संस्थानों को दवाएं जारी करने के समय बारकोड को स्कैन करके दवाओं का विवरण कैप्चर नहीं किया गया था।

बारकोडिंग प्रणाली के कार्यान्वयन से सीजीएमएससीएल की वितरण प्रणाली अधिक कुशल बनाता है एवं रोगी सुरक्षा में सुधार होता है। बारकोड प्रणाली की अनुपस्थिति सीजीएमएससीएल को निर्माण के बिंदु से आपूर्ति के बिंदु तक दवाओं की आवाजाही को ट्रैक करने एवं दवाओं की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में बाधा उत्पन्न करती है।

छत्तीसगढ़ शासन ने(नवंबर 2022) उत्तर दिया कि सीजीएमएससीएल बारकोडिंग आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के लिए जीएस1 बारकोड कंपनी के साथ चर्चा कर रही है। आपूर्तिकर्ताओं के साथ दवाओं की मैपिंग की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(स) शास्ति लगाने के लिए व्यावसायिक नियमों का अनुपालन नहीं करना

सीजीएमएससीएल आपूर्तिकर्ताओं को निर्धारित समय के भीतर स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयों एवं उपकरणों की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश जारी करता है, जिसके विफल होने पर निविदा की शर्तों[77] के अनुसार शास्ति लगाई जानी थी। निविदा में कहा गया है कि क्रय आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूरी आदेश की गई मात्रा की आपूर्ति की जाएगी। आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से, उसे क्रय आदेश जारी होने के 90/120 दिनों (सीजीएमएससीएल के प्रबंध संचालक की उचित

---

[75] बारकोड की आवश्यकता का अनुपालन न करने पर जुर्माना राशि की गणना द्वितीयक पैकिंग में बारकोडिंग के अभाव के लिए क्रय मूल्य के 1 प्रतिशत के रूप में की जाएगी तथा तृतीयक पैकिंग में बारकोडिंग के अभाव के लिए 0.5 प्रतिशत के रूप में की जाएगी।

[76] जीएस1 एक गैर–लाभकारी मानक संगठन है , जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीआईआई, फिक्की, एसोचौम, एफआईईओ, आईएमसी, बीआईएस, मसाला बोर्ड, एपीडा एवं आईआईपी के साथ मिलकर स्थापित किया गया है।

[77] दवाओं के लिए धारा II के खंड 6, धारा III के खंड 10 एवं उपकरणों के लिए धारा II के खंड 5, धारा III के खंड 7 के अनुसार

स्वीकृति के साथ) के भीतर आदेश की गई मात्रा की आपूर्ति पूरी करनी चाहिए, जिसके बाद सीजीएमएससीएल द्वारा शास्ति (एलडी) लगाई जाएगी।

- डीपीडीएमआईएस डाटाबेस के डाटा विश्लेषण से पता चला कि 692 मामलों में, विभिन्न आपूर्तिकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर क्रय आदेश निष्पादित करने में विफल रहे एवं दवाओं की डिलीवरी 97 से 1729 दिनों की विलंब के साथ लंबित रही।
- ईएमआईएस डाटाबेस के डाटा विश्लेषण से पता चला कि 5046 क्रय आदेशों का 125 से 1204 दिनों की विलंब से या तो निष्पादन नहीं किया गया या आपूर्ति के बाद उपकरण स्थापित नहीं किए गए।

चूंकि डीपीडीएमआईएस एवं ईएमआईएस में भुगतान मॉड्यूल पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं था, इसलिए आपूर्ति नहीं करने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण एवं आपूर्तिकर्ताओं से वसूले गए शास्ति की राशि, शास्ति के लिए व्यावसायिक नियमों की मैपिंग नहीं होने के कारण आज तक सिस्टम में दर्ज नहीं की गई थी।

छत्तीसगढ़ शासन ने(नवंबर 2022) उत्तर दिया कि अगस्त 2021 तक शास्ति की गणना एमआरसी के आधार पर मैन्युअल रूप से की गई थी। भुगतान मॉड्यूल फरवरी 2021 (डीपीडीएमआईएस) एवं अप्रैल 2021 (ईएमआईएस) से लागू किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सीजीएमएससीएल भुगतान मॉड्यूल को लागू करने में विफल रहा तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्धारित शास्ति की वसूली को सिस्टम में दर्ज नहीं किया गया।

(द) ईएमआईएस सॉफ्टवेयर में व्यावसायिक सिद्धांतों का पालन न करना

सीजीएमएससीएल ने उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावी प्रबंधन के लिए वेब–आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ईएमआईएस विकसित किया है। ईएमआईएस के डाटा विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने व्यावसायिक सिद्धांतों का पालन नहीं करने के निम्नलिखित प्रकरण देखे गये:

- वर्ष 2016–22 के दौरान, 42 निविदाओं[78] में संचालनालयों (डीएचएस, डीएमई एवं आयुष) द्वारा एक ही आपूर्तिकर्ता को एक ही तिथि पर प्रोसेस कंट्रोल जाँच प्रणाली के अभाव में सिस्टम के माध्यम से अनेक पीओ जारी किए गए।
- वर्ष 2018–19 के लिए ***आयुष 31*** (ब्लड सेल काउंटर) उपकरण के लिए डीएचएस का मांग 60 यूनिट था, लेकिन क्रय मात्रा 70 यूनिट थी, जैसा कि *तालिका–4.38* में दर्शाया गया है।

तालिका – 4.38: 2018–19 में डीएचएस के मांग एवं क्रय दर्शाने वाला विवरण

उपकरण कोड	माँग तिथि	माँग मात्रा	पीओ नंबर	क्रय गई मात्रा
आयुष 31	31.07.2018	55	ईक्यूपी / 223 / 2018–19 दिनांक 04 / 08 / 18	7
	07.08.2018	5	ईक्यूपी / 327 / 2018–19 दिनांक 25 / 08 / 18	15
			ईक्यूपी / 328 / 2018–19 दिनांक 25 / 08 / 18	16

[78] वर्ष 2016–22 के दौरान 42 निविदाओं में 26 आपूर्तिकर्ताओं को पीओ जारी किया गया।

उपकरण कोड	माँग तिथि	माँग मात्रा	पीओ नंबर	क्रय गई मात्रा
			ईक्यूपी / 329 / 2018–19 दिनांक 25 / 08 / 18	27
			ईक्यूपी / 571 / 2018–19 दिनांक 08 / 03 / 19	5
कुल माँग		60	कुल क्रय	70

(स्रोतः डेटा ईएमआईएस से निकाला गया एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

- वर्ष 2018–19 के लिए ***आयुष 31*** हेतु डीएचएस द्वारा माँग मात्रा 61 दर्शाई गई है, क्योंकि सिस्टम द्वारा वर्ष 2018–19 में पिछले वर्ष 2017–18 (07 अक्टूबर 2017) के लिए माँगे गए उपकरण को समाहित किया गया।
- सीजीएमएससीएल ने एक ही उपकरण, अर्थात ब्लड सेल काउंटर के लिए अलग–अलग उपकरण कोड ***बीसीसी 001*** एवं ***आयुष 31*** का उपयोग करते हुए निविदाएं जारी कीं गयी।

छत्तीसगढ़ शासन ने (नवंबर 2022) स्वीकार किया कि उपकरणों की क्रय के लिए कई क्रय आदेश देने के लिए सिस्टम में कोई जाँच प्रणाली नहीं थी । पिछले वर्ष के मांगपत्रों के क्रय आदेश जारी करने से पहले, संचालनालयों के साथ चर्चा एवं अनुमोदन की सुनिश्चित करने हेतु जाँच प्रणाली स्थापित की जाएगी।

(म) गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) रिपोर्टिंग में विलंब

सीजीएमएससीएल ने परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा रिपोर्ट देने में विलंब एवं गुणवत्ताहीन दवाओं की आपूर्ति जैसे क्यूसी के पहलुओं पर निगरानी रखने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) प्रोटोकॉल बनाए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं क्रय की जाएं एवं स्वास्थ्य संस्थानों को आपूर्ति की जाएं।

औषधियों के गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण के अनुबंध खंड 15 (i) एवं (ii) के अनुसार, पैनल में शामिल प्रयोगशालाओं को प्रत्येक नमूने का पूर्ण विश्लेषण करना चाहिए एवं नमूना प्राप्त होने के 8 / 21 दिनों के भीतर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके अलावा खंड 15 (iv) के अनुसार, निर्धारित अवधि से अधिक विलंब के लिए, प्रतिदिन परीक्षण शुल्क का 0.5 प्रतिशत जुर्माना के रूप में कटौती किया जाएगा, जो अधिकतम 20 प्रतिशत तक हो सकता है ।

2016–22 की अवधि के लिए डीपीडीएमआईएस के क्यूसी मॉड्यूल के डेटा विश्लेषण के दौरान सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं द्वारा क्यूसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब का विवरण ***चार्ट–4.4*** में दर्शाया गया है ।

चार्ट – 4.4: क्यूसी रिपोर्टिंग में वर्षवार विलंब

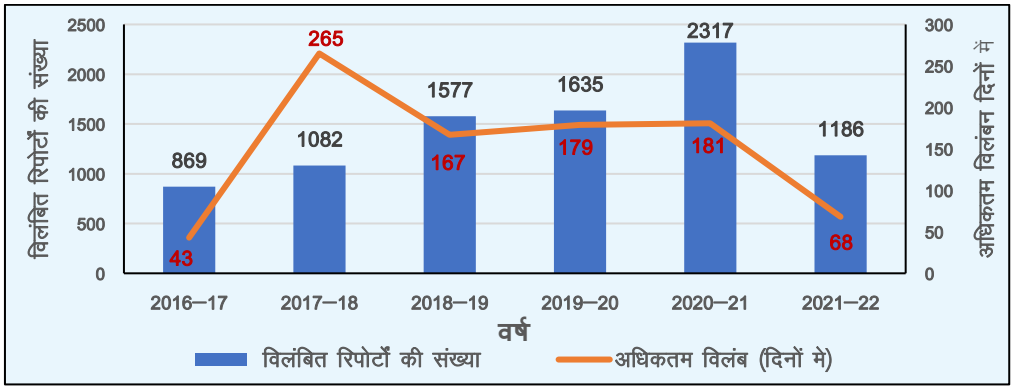

जैसा कि देखा गया, 2016–2022 की अवधि के दौरान, 26,924 नमूनों में से 8,666 नमूनों (32 प्रतिशत) में, सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं ने निर्धारित अवधि 8/21 दिन के बजाय 43 से 265 दिनों की विलंब के साथ क्यूसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दवाओं का उपयोगी जीवन में हानि हुई। आगे, विलंब के लिए लगाए गए जुर्माने की राशि प्रणाली में नहीं दिखाई गई एवं सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, डीपीडीएमआईएस में दर्ज नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ शासन ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि सैंपल की स्थिति एवं लैब की निगरानी के लिए क्यूसी डैशबोर्ड मौजूद है। अगर क्यूसी जाँच में कोई विलंब पाया जाता है तो लैब पर जुर्माना लगाया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 32 प्रतिशत क्यूसी रिपोर्ट विलंब से प्राप्त हुईं तथा लगाई गई जुर्माना राशि सिस्टम में दर्ज नहीं की गई।

4.10.3.3 आउटपुट कंट्रोल

आउटपुट कंट्रोल यह सुनिश्चित करते हैं कि कंप्यूटर आउटपुट पूर्ण एवं सटीक हो। लेखापरीक्षा में देखी गई आउटपुट कंट्रोल में कमियों पर नीचे चर्चा की गई है।

(अ) संस्थान प्रबंधन मॉड्यूल में विसंगतियां

संस्थान प्रबंधन मॉड्यूल को डीपीडीएमआईएस की स्वास्थ्य संस्थान मैनुअल के अनुसार (2017) लागू किया गया था। नमूना–जाँच किए गए संस्था सीएचसी कोंटा, के डेटा विश्लेषण से संस्थान प्रबंधन मॉड्यूल में विसंगतियां सामने आईं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- नमूना जाँच किए गए संस्थान सीएचसी कोंटा, ईडीएल[79] के अनुसार दवाओं के वितरण के लिए एक द्वितीयक स्तर की संस्थान है। यह पाया गया कि द्वितीयक स्तर की संस्थान होने के बावजूद यह संस्थान नियमित आधार पर तृतीयक स्तर की दवाओं की मांग एवं उन्हें प्राप्त कर रही थी। ऐसे मामलों का विवरण *तालिका – 4.39* में दिया गया है:

तालिका – 4.39: सुविधा के लिए तृतीयक स्तर की दवाओं की वर्षवार आपूर्ति

वर्ष	दवाओं की संख्या	ईडीएल के अनुसार तृतीयक स्तर की औषधियों के नाम
2016–17	5	डी350– मिडाज़ोलम इंजेक्शन आईपी डी187– डोबुटामाइन एचसीएल इंजेक्शन डी378– ओफ़्लॉक्सासिन टैबलेट डी94– सेफैड्रोक्सिल एवंल सस्पेंशन के लिए डी93– सेफैड्रोक्सिल टैबलेट डी21– एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन डी498– टेरबुटैलाइन इंजेक्शन डी744– टेल्मिसर्टन टैबलेट डी725– रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन इक्विन इंजेक्शन डीक्9– पाइपेरासिलिन एवं टैज़ोबैक्टम पाउडर डी728– रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग इंजेक्शन डी569– बाइफ़ेसिक इंसुलिन डी734– सोडियम कॉर्बॉक्सिमिथाइल सेल्यूलोज+ स्टैबलाइज़ड ऑक्सीक्लोरो कॉम्प्लेक्स डी535– ज़ाइलोमेटाज़ोलिन नेज़ल ड्रॉप
2017–18	6	
2018–19	13	
2019–20	5	

[79] स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 2019 में जारी आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल)।

वर्ष	दवाओं की संख्या	ईडीएल के अनुसार तृतीयक स्तर की औषधियों के नाम
		डी510– ट्रैनेक्सैमिक एसिड इंजेक्शन एनडी37– लॉन्ग ऐक्टिंग इंसुलिन ग्लार्गिन कार्ट्रिज डी626– एस्सिटालोप्राम टैबलेट

(स्रोतः डेटा डीपीडीएमआईएस से निकाला गया एवं ऑडिट द्वारा संकलित)

राज्य भर में 805 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 768 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ₹ 5.66 करोड़ मूल्य की ₹ 25.78 लाख तृतीयक स्तर दवाओं की आपूर्ति की गई।

- डीपीडीएमआईएस में संस्थान स्तर पर दवाओं की कालातीत होने एवं उनके निपटान से संबंधित डाटा दर्ज नहीं किया गया था।
- मैनुअल के अनुसार, सीएचसी को महीने में एक बार ऑनलाइन मांगपत्र भेजना चाहिए। तथापि, डाटा विश्लेषण से पता चला है कि सीएचसी कोंटा ने महीने में कई बार मुख्यतः मैनुअल मोड में मांगपत्र अग्रेषित किए, वर्ष 2017–21 के दौरान मैनुअल मांगपत्र 90.35 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक थे, जैसा कि ***चार्ट–4.5*** में दर्शाया गया है ।

चार्ट – 4.5: संस्थानों के अनुसार वर्षवार मांग का प्रकार

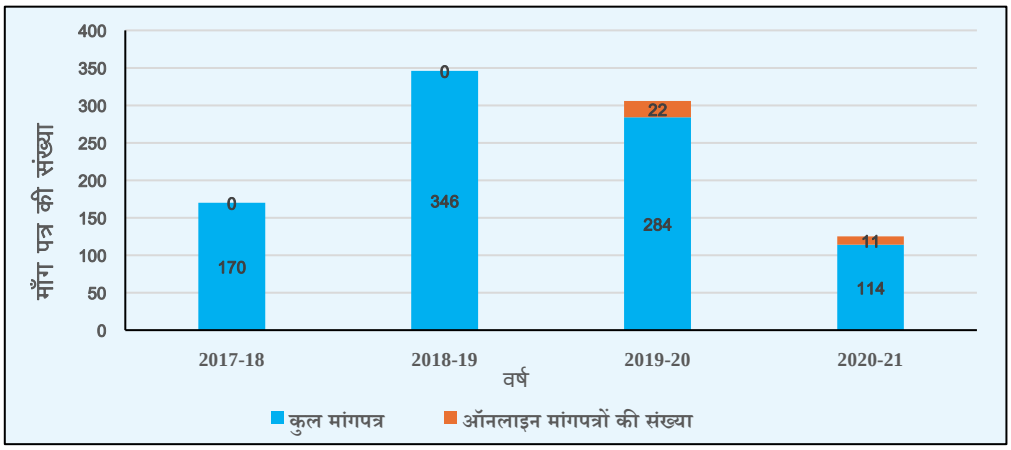

तृतीयक स्तर की दवाओं की आपूर्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि सीजीएमएससीएल निम्न–स्तर की संस्थानों को उच्च श्रेणी की दवाएं जारी नहीं करता है। डीपीडीएमआईएस में आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न स्तरों की दवाओं का अंतर–संस्थान हस्तांतरण करने का प्रावधान है। कालातीत हो चुकी दवाओं के डाटा को कैप्चर करने के संबंध में, छत्तीसगढ़ शासन ने कहा कि संचालनालयों के परामर्श के बाद कालातीत हो चुकी दवाओं एवं निपटान प्रक्रिया का विवरण संस्थान स्तर पर कैप्चर किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रणाली में किसी भी जाँच के अभाव में, निम्न–स्तर की संस्थानें डीपीडीएमआईएस के माध्यम से ईडीएल में निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध तृतीयक स्तर की दवाएं प्राप्त कर रही हैं।

4.10.4 सूचना प्रणाली सुरक्षा

संगठन द्वारा निर्मित एवं संधारित सूचना परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी आईटी सुरक्षा नीति महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा में देखी गई आईटी सुरक्षा में कमियों पर नीचे चर्चा की गई है।

4.10.4.1 पासवर्ड नीति का निर्माण न करना

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटी) की आईटी नीति के अनुसार, एक ही पासवर्ड का उपयोग एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, ताकि दर्ज किए गए डाटा की प्रामाणिकता को बाद के चरणों में सत्यापित किया जा सके।

डीपीडीएमआईएस के डाटा विश्लेषण से पता चला कि उपयोगकर्ताओं को दिए गए चार सामान्य पासवर्ड 237 में से 28 उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए गए थे। यह भी देखा गया कि सीजीएमएससीएल ने उपयोगकर्ताओं के लिए कोई पासवर्ड नीति नहीं बनाई है एवं सिस्टम के सुरक्षा मानदंडों को लागू करने के लिए कोई स्वचालित जाँच भी लागू नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ शासन ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि उन्होंने एक पासवर्ड नीति बनाई है (07 नवंबर 2022)। इसके अलावा, डीपीडीएमआईएस एक नया उपयोगकर्ता बनाते समय, उपयोगकर्ता के लिए एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट करता है एवं उपयोगकर्ता को यह सुनिश्चित करना होता है कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जल्द से जल्द बदल दिया जाए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सिस्टम में डिफॉल्ट पासवर्ड भी अलग–अलग होने चाहिए तथा उपयोगकर्ता को समय–समय पर अपना पासवर्ड बदलने तथा एक ही पासवर्ड को दोहराने के लिए संकेत देने वाली जाँच प्रणाली तैयार नहीं की गई।

4.10.4.2 मजबूत वेबसाइट सुरक्षा नीति का अभाव

सीजीएमएससीएल डीपीडीएमआईएस, ईएमआईएस एवं एचआईएमआईएस के संचालन के लिए वेब सर्वर पर वेबसाइट के रूप में नौ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर[80] (यूआरएल) होस्ट कर रहा है। लेखापरीक्षा के दौरान वेबसाइट सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं:

- कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीइआरटी) द्वारा वर्ष 2017 में जारी यूआरएल की वेबसाइट सुरक्षा के बारे में दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए, सीजीएमएससीएल ने मेसर्स आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को सीजीएमएससीएल के पाँच यूआरएल[81] का सुरक्षा ऑडिट करने के लिए कार्य आदेश जारी (अगस्त 2019) किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीजीएमएससीएल ने केवल एक यूआरएल[82] के लिए सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की एवं शेष चार यूआरएल के सुरक्षा ऑडिट के परिणाम, रिकॉर्ड में नहीं पाए गए। इसके अलावा, दो अन्य यूआरएल[83] की सुरक्षा मंजूरी प्राप्त हुई, जिसके लिए सीजीएमएससीएल द्वारा कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया गया।
- वेबसाइट को *एचटीटीपीएस* प्रोटोकॉल का उपयोग करके होस्ट किया जाना चाहिए जिसमें सिक्योर सॉकेट लेयर (एसएसएल) इनक्रिप्शन का उपयोग किया गया हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीजीएमएससीएल द्वारा होस्ट किए गए नौ यूआरएल में से केवल चार यूआरएल[84] ही एसएसएल प्रमाणित थें।

---

80 1) सीजीएमएससीएल, 2) डीपीडीएमआईएस, 3) ड्रग रिपोर्ट, 4) ईएमआईएस, 5) एचआईएमआईएस, 6) संस्था ऑनलाइन, 7) वेयरहाउस लॉगिन, 8) संस्था ा डीडीसी लॉगिन, 9) विक्रेता पंजीकरण प्रणाली (वीआरएस)

81 1) सीजीएमएससीएल, 2) डीपीडीएमआईएस, 3) ईएमआईएस, 4) एचआईएमआईएस, 5) वीआरएस

82 डीपीडीएमआईएस

83 वेयरहाउस लॉगिन एवं संस्था ऑनलाइन

84 सीजीएमएससीएल, एचआईएमआईएस, ईएमआईएस, वीआरएस

छत्तीसगढ़ शासन ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि सुरक्षा ऑडिट पूरा हो चुका है एवं इसके लिए प्रमाणित सूचीबद्ध फर्म 'टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड' द्वारा मार्च 2022 में एक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। सभी यूआरएल को एसएसएल प्रमाणित किया गया है।

4.10.5 ऑडिट ट्रेल

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मैनुअल एवं आईटी दोनों ही परिवेशों में यह सुनिश्चित करती है कि सारे नियंत्रण व्याप्त है।

सिस्टम की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीपीडीएमआईएस, ईएमआईएस एवं एचआईएमआईएस सिस्टम में आंतरिक ऑडिट के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए कस्टमाइज्ड रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई ऑडिट मॉड्यूल नहीं था। हालांकि यह सिस्टम 2013 से परिचालित है, लेकिन सिस्टम में ऑडिट ट्रेल्स की अनुपस्थिति के कारण गोदामों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में लेनदेन एवं स्टॉक बैलेंस को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

छत्तीसगढ़ शासन ने (नवंबर 2022) उत्तर दिया कि ऑडिट के लिए जनशक्ति की नियुक्ति के बाद ऑडिट मॉड्यूल शुरू किया जाएगा एवं वित्त वर्ष 2022–23 के अंत तक ऑडिट ट्रेल सुविधा जोड़ दी जाएगी।

निष्कर्ष

वर्ष 2016–22 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (विभाग) ने ₹ 3,753.18 करोड़ मूल्य की दवाएं, औषधियाँ एवं उपकरण क्रय किए थे। छत्तीसगढ़ शासन ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत दवाओं, औषधियों एवं उपकरणों की सभी क्रय एवं आपूर्ति के लिए एक केन्द्रीकृत नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन निगम लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) की स्थापना (2010) की थी।

स्वास्थ्य विभाग के संचालनालयों द्वारा दवाओं, औषधियों एवं कंज्युमेबल सामग्रियों के क्रय के लिए वार्षिक मांगपत्र को देरी से एवं तदर्थ तरीके से अंतिमीकृत किया गया जिसमें पिछली खपत, मौजूदा स्टॉक एवं पहले से दिए गए क्रय आदेशों पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा, कार्यक्रम/योजना की दवाओं को वार्षिक मांगपत्र में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा, स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा स्थानीय क्रय को ड्रग प्रोक्योरमेंट एण्ड डिस्ट्रिब्युशन मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम (डीपीडीएमआईएस) में दर्ज नहीं किया गया।

केन्द्रीकृत क्रय एजेंसी होने के बावजूद 2016–22 के दौरान कुल क्रय का 26.79 से 50.65 प्रतिशत क्रय की गई दवाएं, औषधियां एवं कंज्यूमेबल स्थानीय स्तर पर (विकेन्द्रीकृत क्रय) क्रय की गईं ।

सीजीएमएससीएल छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम (सीजीएसपीआर) के अनुरूप क्रय प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए क्रय मैनुअल तैयार करने करने/अंतिम रूप देने में विफल रहा, जिसके कारण कई मामलों में सीजीएसपीआर का उल्लंघन करते हुए क्रय किया गया। 2016–22 के दौरान दवाओं, औषधियों एवं उपकरणों के क्रय के लिए दर अनुबंध (आरसी) को अंतिम रूप देने के लिए आमंत्रित कुल 278 निविदाओं में से 165 निविदाओं को अंतिम रूप देने में 3 से 649 दिनों का विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, दवाओं की आपूर्ति में विलंब के मामले सामने आए, जिसके कारण स्वास्थ्य संस्थानो में आवश्यक दवाओं की सूची (ईडीएल) के अनुसार दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाईं एवं स्थानीय क्रय या रोगियों द्वारा अपने खर्च पर आवश्यक दवाओं का क्रय किया गया।

उपकरणों एवं दवाओं के क्रय के लिए नई आरसी की वैधता अवधि को सीजीएमएससीएल द्वारा क्रमशः एक वर्ष से दो वर्ष एवं एक वर्ष से 18 महीने तक बढ़ा दिया गया था, जिससे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना वैधता अवधि छः महीने तक बढ़ गई थी।

सीजीएमएससीएल ने सभी मांग की गई दवाओं के लिए आरसी को अंतिम रूप नहीं दिया एवं 2016–22 के दौरान मांग की गई मात्रा के विरुद्व जिन दवाओं के लिए आरसी को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, उनका प्रतिशत 48.82 (2016–17) एवं 63.59 (2018–19) प्रतिशत के मध्य था। इसके परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य संस्थानो को 2017–22 के दौरान ₹ 97.93 करोड़ मूल्य की ईडीएल दवाएं बिना जाँच के स्थानीय क्रय के माध्यम से क्रय करनी पड़ीं ।

सीजीएमएससीएल ने उपकरणों के साथ परीक्षण के लिए आवश्यक रीजेंट की कीमत पर विचार नहीं किया था एवं जिसके परिणामस्वरूप निविदाएं आमंत्रित किए बिना एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धृत दरों पर उन्हें एकल स्वामित्व वाली सामग्री मानकर ₹ 129.27 करोड़ की लागत वाले रीजेंट क्रय किए गए थे। चार मामलों में, डीएचएस/सीजीएमएससीएल द्वारा उपकरणों की तकनीकी स्पेसिफिकेशन की समुचित जाँच–पड़ताल किए बिना तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलीभगत से तय की गई, जिसके परिणामस्वरूप टेलरमेड स्पेसिफिकेशन तय किए गए तथा ₹ 30.48 करोड़ रुपए का अनियमित क्रय हुआ। सीजीएमएससीएल ने उद्धृत दरों का उचित मूल्यांकन किए बिना ही चार मामलों में उपकरणों के क्रय के लिए आरसी को अंतिम रूप दे दिया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.26 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

सीजीएमएससीएल ने मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, रायपुर के लिए में पीईटी–सीटी मशीन के संचालन के तौर तरीके को अंतिम रुप दिये बिना पीपीपी मोड पर क्रय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.46 करोड़ मूल्य के उपकरण एवं अधोसंरचना निष्क्रिय पड़े रहे, साथ ही आज तक (नवंबर 2022) आम जनता को सुविधा से वंचित रखा गया। स्वास्थ्य विभाग ने बायोसेफ्टी कैबिनेट, कैलोरीमीटर एवं माइक्रो पिपेट का क्रय आवश्यकता से अधिक किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.09 करोड़ का क्रय बिना आवश्यकता के किया गया, जो कि निष्क्रिय पड़े रहे। जीएमसी/जीएमसीएच रायपुर, जगदलपुर एवं राजनांदगांव में ₹ 8.13 करोड़ मूल्य के कुल 21 चिकित्सा उपकरण विभिन्न कारणों जैसे तकनीकी खराबी, महत्वपूर्ण भागों की अनुपलब्धता, रीजेंट/किटों की आपूर्ति न होना, आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण न होना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण न देना आदि के कारण निष्क्रिय पड़े रहे।

सीजीएमएससीएल ने मौजूदा बाजार मूल्य की निगरानी में कमी, कम दरों वाली मौजूदा आरसी की अनदेखी एवं अनुचित आधारों पर कम दर को अस्वीकार करने के कारण उच्च दरों पर दवाईयां, औषधियां एवं कंज्युमेबल सामग्रियों का क्रय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। सीजीएमएससीएल ने ब्लैकलिस्ट फर्मों से ₹ 23.98 करोड़ की दवाएं भी क्रय की थीं। दवाओं एवं औषधियों को टैलरमेड मापदण्ड के आधार पर क्रय के मामले पाए गए। थोक मात्रा के बजाय सांकेतिक मात्रा के साथ निविदाएं आमंत्रित करने के परिणामस्वरूप थोक क्रय के लाभ से वंचित होना पड़ा एवं परिणामस्वरूप ₹ 4.09 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

सीजीएमएससीएल आपूर्तिकर्ताओं से 'मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं' दवाओं का प्रतिस्थापन करवाने में विफल रहा तथा उन पर न तो ₹ 1.69 करोड़ की शास्ति लगाई एवं न ही ऐसे चूककर्ता आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 24.60 लाख का डेमरेज शुल्क वसूल किया।

दवा स्टॉक प्रबंधन प्रणाली दोषपूर्ण थी क्योंकि सीजीएमएससीएल ने अपने गोदामों में उपलब्ध स्टॉक, पिछली खपत प्रवृत्ति एवं भविष्य की आवश्यकता पर विचार किए बिना ही क्रय आदेश जारी कर दिए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.63 करोड़ मूल्य की औषधियां कालातीत हो गईं।

स्वास्थ्य संस्थानों में दवाएं उपलब्ध न होने के मामले देखे गए। नमूना जाँच के लिए चयनित सात जिलों मे 31 मार्च 2022 की स्थिति में डीएच के लिए आवश्यक 272 ईडीएल दवाओं में से कुल 103 दवाएं उपलब्ध नहीं थीं। इसी तरह, नमूना जाँच के लिए चयनित 14 सीएचसी में, सीएचसी के लिए आवश्यक 149 ईडीएल दवाओं में से कुल 39 दवाएं उपलब्ध नहीं थीं।

सीजीएमएससीएल द्वारा विभिन्न दवाओं के भंडारण के लिए गोदामों में निर्धारित तापमान बनाए नहीं रखा गया था, गोदामों में प्रभावी शीतलन प्रणाली की कमी के कारण के परिणामस्वरूप दवाओं की प्रभावकारिता एवं गुणवत्ता में कमी हो सकती है।

क्रय एजेन्सी (सीजीएमएससीएल) ने कोविड समिति की अनुशंसा के बिना ₹ 23.13 करोड़ मूल्य की कोविड–19 संबंधित सामग्रियों का क्रय किया गया, जो अनियमित था।

जीएमसीएच के लिये क्रय किए गए चार लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) टैंक या तो लगाए नहीं गए या चिकित्सालयों की सप्लाई लाइन से जुड़े नहीं थे एवं ये निष्क्रिय पड़े थे।

आईटी सिस्टम को विकसित करने में योजना की कमी थी क्योंकि विभिन्न सॉफ्टवेयर जैसे ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (डीपीडीएमआईएस), इक्विपमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (ईएमआईएस), हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचआईएमआईएस) एवं ई–प्रोक्योरमेंट का डाटाबेस तैयार किया गया था। आपस में जुड़े हुए नहीं थे एवं खरीद एवं भुगतान से संबंधित ओवरलैपिंग मॉड्यूल थे।

डीपीडीएमआईएस एवं ईएमआईएस में विभिन्न इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट नियंत्रण एवं सिस्टम सुरक्षा अपर्याप्त थी जैसे बारकोड को स्कैन करके रसीद के समय दवाओं का विवरण लेने में विफलता, पीएचसी को आपूर्ति की गई तृतीयक स्तर की दवाएं, अद्वितीय क्रय आदेश (पीओ) संख्या उत्पन्न करने में विफलता, दवाओं एवं गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्टों की आपूर्ति में देरी के मामले में सिस्टम के माध्यम से लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी) जुर्माना न लगाया जाना।

अनुशंसाएं

छत्तीसगढ़ शासन :

छत्तीसगढ़ शासन को चाहिए कि:

12. *स्वास्थ्य संस्थानो को निर्बाध आपूर्ति के लिए दवाओं, औषधियों एवं उपकरणों के केन्द्रीकृत क्रय में समयबद्धता को सुनिश्चित करे;*
13. *क्रय में एकरूपता एवं मितव्ययिता बनाए रखने के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानो में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के लिए मानक सामान्य स्पेसिफिकेशन तैयार करे;*
14. *सीजीएसपीआर के अनुसार क्रय मैनुअल तैयार करे;*
15. *परीक्षण उपकरणों की निविदाओं का मूल्यांकन इस प्रकार करें कि उपभोग्य सामग्रियों/रीएजेण्टों की लागत पर विचार किया जा सके;*

16. *सामग्री प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों को लागू करके एवं मौजूदा भण्डार, पिछली खपत प्रवृत्ति एवं भविष्य की मांग पर विचार करके सीजीएमएससीएल में सामग्री प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करें;*

17. *स्वास्थ्य संस्थानों में आपातकालीन क्रय के अंतर्गत बनाई गई संपत्ति जैसे ऑक्सीजन संयंत्र, ऑक्सीजन पाइपलाइन आदि का उपयोग सुनिश्चित किया जाए;*

18. *विकसित या विकसित किए जाने वाले आईटी में व्यावसायिक नियमों की उचित मैपिंग द्वारा प्रासेस कंट्रोल/आउटपुट कंट्रोल को मजबूत करे;*

19. *न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अप्रामाणिक एवं डुप्लिकेट डेटा को रोकने के लिए सिस्टम में उचित वैधता जाँच सुनिश्चित करें,*

20. *विभिन्न सॉफ्टवेयर के उपलब्ध डेटाबेस के इंटरकनेक्शन एवं सभी मौजूदा मॉड्यूल के संचालन के लिए पूर्ण कम्प्यूटरीकरण प्राप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करे; एवं*

21. *बारकोड स्कैनिंग प्रणाली का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।*